महानगर नई दिल्ली गुरुवार 27 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने पर अडिग राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

लोकसभा चुनाव में करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश करने वाले राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर अपनी इच्छा दोहराई। पार्टी सांसदों की बैठक में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के मुखिया नहीं बने रहना चाहते। हालांकि सांसदों ने एक स्वर से उनके नेतृत्व की जरूरत और विकल्प के अभाव का हवाला दिया। यहां तक कि युवक कांग्रेस ने बुधवार को राहुल के आवास पर प्रदर्शन कर उनसे पद पर बने रहने का आग्रह भी किया।

संसद भवन परिसर में सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य सांसद शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संसद के मौजूदा सत्र में पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि वे अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते। लेकिन बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसदों

बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस सांसदों ने एक स्वर से उनके नेतृत्व की जरूरत और विकल्प के अभाव का हवाला दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, झारखंड में युवक की भीड़ द्वारा हत्या शर्मनाक

दोषियों को मिले कड़ी सजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के लिए ईवीएम पर 'ठीकरा' फोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विपक्ष को 'नकारात्मकता' त्यागने और देश की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान देने की नसीहत दी। उन्होंने झारखंड में भीड़ द्वारा एक युवक की हत्या किए जाने को 'दुखद व शर्मनाक' बताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, यह हम मानते हैं लेकिन इसे लेकर पूरे राज्य को गलत बताना अनुचित है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री

बाकी पेज 8 पर

झारखंड में भीड़ द्वारा एक युवक की हत्या किए जाने को 'दुखद' बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर पूरे राज्य को गलत बताना अनुचित है।

बिहार में इन्सेफेलाइटिस से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी बच्चों का बुखार से मरना देश की 70 साल की विफलताओं में से एक है और हम सभी को इनसे निपटने के समाधान खोजने होंगे।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब देते हुए गालिब का यह शेर भी पढ़ा... 'ता उम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा।'

आइबी व रॉ को मिले नए मुखिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अरविंद कुमार को खुफिया ब्यूरो (आइबी) और सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुमार कश्मीर और नक्सल मुद्दों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वहीं, गोयल के बारे में यह बताया जाता है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले की योजना बनाने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइबी और रॉ के शीर्ष पदों के लिए बुधवार को ये नियुक्ति की गई।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दो साल के निर्धारित

बाकी पेज 8 पर

आकाश विजयवर्गीय सुपुत्र कैलाश विजयवर्गीय...

खबर पेज 8 पर

पिटाई भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर में नगर निगम के अधिकारी की ओर बल्ला लेकर बढ़ते हुए। उन्होंने अधिकारी की पिटाई की।

सभी डिजाइन के सिक्के वैध, लोग स्वीकार करें : रिजर्व बैंक

मुंबई, 26 जून (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को विभिन्न आकार-प्रकार और डिजाइन के सिक्कों को स्वीकार करने को लेकर लोगों के बीच संदेह को दूर किया।

आरबीआइ ने कहा कि चलन में विभिन्न राशि के जो भी सिक्के हैं, वे पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और लोगों को बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को आरबीआइ चलन में डालता है।

साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे सिक्के बदलने आने वाले ग्राहकों को अपनी शाखाओं से नहीं लौटाए। वे ग्राहकों से छोटी राशि के सिक्कों और नोट को स्वीकार करें। रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों की लेन-देन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर जो भी

बाकी पेज 8 पर

रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों की लेन-देन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर जो भी सिक्के चलन में लाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं।

एस-400 समझौते पर माइक पोम्पिओ को भारत की दो टूक

भारत-अमेरिका महत्त्वपूर्ण साझेदार : पोम्पिओ

राष्ट्रीय हित में जो होगा वही करेंगे : जयशंकर

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पिओ से बुधवार को कहा कि भारत प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ एस-400 मिसाइल रक्षा समझौते पर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा।

जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पिओ को राजग सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एस-400 समझौते पर भारत के मजबूत रुख के बारे में अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि भारत रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद रहा है।

दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाए जाने की भी प्रतिबद्धता जताई। साझा संवाददाता सम्मेलन में पोम्पिओ और जयशंकर ने स्वीकार किया कि व्यापार पर अलग-अलग विचार हैं लेकिन कहा कि मित्रों और व्यापारिक साझेदारों के पास 'मुद्दे' होंगे जिन्हें हल किया जा सकता है।

जयशंकर और पोम्पिओ ने ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों और खाड़ी में अमेरिका-ईरान तनाव के मद्देनजर पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की। एस-400 समझौते के साथ आगे बढ़ने के लिए 'काउंटरिंग अमेरिकाज ऐडवरसरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट' (काटसा) के तहत भारत द्वारा प्रतिबंधों का सामना करने की संभावना के मुद्दे पर पोम्पिओ ने कहा, 'वे इस समय मुद्दे हैं लेकिन हम उनके माध्यम से काम करने का एक तरीका खोज लेंगे और मुझे पता है कि जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो संबंध और मजबूत होंगे।'

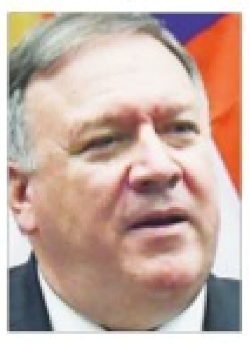

माइक पोम्पिओ

एस जयशंकर

पेज 8

मोदी से मुलाकात कर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की

भारतीय टीम की नारंगी जर्सी पर विवाद

कांग्रेस ने अपने विधायक के बयान से पल्ला झाड़ा, कहा यह राजनीतिक विषय नहीं

नई दिल्ली/ मुंबई, 26 जून (भाषा)।

भारतीय टीम विश्व कप में 30 जून को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में नारंगी रंग की जर्सी पहनकर उतरेगी। मैच से पहले ही इस जर्सी को लेकर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस जर्सी के पहनने के पीछे भगवाकरण का संदेह है। भाजपा ने इसका मजाक बनाते हुए उनकी प्रतिक्रिया को

बाकी पेज 8 पर

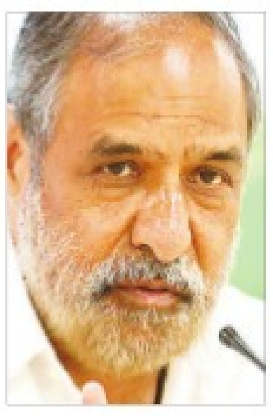

यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर टीम और बीसीसीआइ को कोई समस्या नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय टीम किस रंग की जर्सी पहनती है। मतलब इस बात से है कि वह अच्छा खेले और विश्वकप जीते।

-आनंद शर्मा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस

पुलवामा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

श्रीनगर, 26 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल के जंगलों में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आंतकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने त्राल के बरानपत्री वन्य क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि इस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने

बाकी पेज 8 पर

असम एनआरसी मसविदे से और एक लाख लोगों के नाम हटाए

गुवाहाटी, 26 जून (भाषा)।

असम में अयोग्य पाए जाने के बाद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे में से एक लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए हैं, जो पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित सूची से हटाए गए 40 लाख नामों के अतिरिक्त हैं।

एनआरसी के राज्य समन्वयक के बयान के अनुसार नागरिक पंजीकरण के स्थानीय रजिस्ट्रारों (एलआरसीआरएस) की सत्यापन प्रक्रिया में 1,02,462 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया। असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए 1951 से पहली बार इस सूची को उच्चतम न्यायालय

बाकी पेज 8 पर

एनआरसी के राज्य समन्वयक के बयान के अनुसार नागरिक पंजीकरण के स्थानीय रजिस्ट्रारों (एलआरसीआरएस) की सत्यापन प्रक्रिया में 1,02,462 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया

ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकदमे को मंजूरी

वाशिंगटन, 26 जून (एपी)।

अमेरिका में एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंगलवार को अनुमति दे दी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी लाभ कमाया है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमेट जी. सुलीवन ने विधि विभाग के वकील के अनुरोध के खिलाफ फैसला सुनाया। वकील ने मुकदमे के बीच में उच्च न्यायालय में अपील करने और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई रोकने की मांग की थी। करीब दो सौ डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा समर्थित

बाकी पेज 8 पर

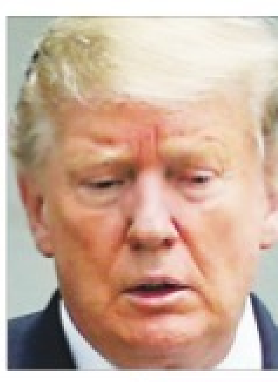

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी लाभ कमाया है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है

दरअसल

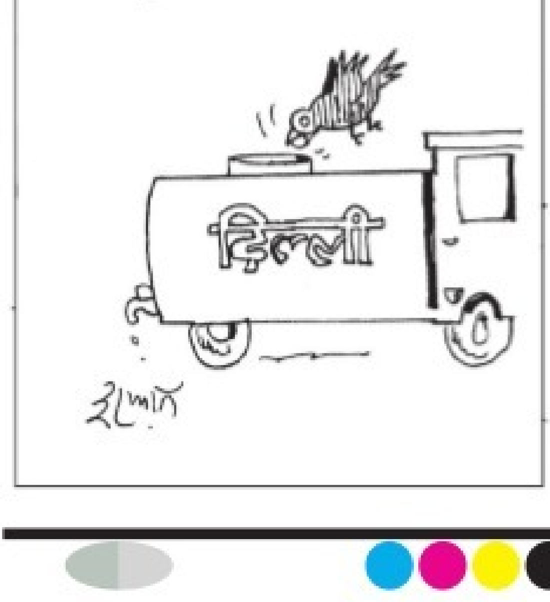

एक साथ दिया चार शावकों को जन्म | **सफारी की शान** | उसके तीन शावक पहले से ही हैं

जेसिका ने सिंबा, सुल्तान और बाहुबली का कुनबा बढ़ाया

दिनेश शाक्य
इटावा , 26 जून।

चंबल की छवि बदलने के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थापित लायन सफारी में शेरनी जेसिका ने एक साथ चार शावकों को जन्म देकर खुशी का माहौल बना दिया है । लायन सफारी प्रशासन सात शावकों की पैदाइश के बाद जेसिका शेरनी को सफारी की शान मान कर चल रहे है।

इटावा सफारी पार्क के निदेशक वीके सिंह ने बुधवार बताया कि लायन सफारी में शेरनी जेसिका तीसरी बार मां बन गई है। उसने चार शावकों को जन्म दिया है। इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी है कि ये शावक नर हैं या मादा। शेरनी जेसिका ने पहले शावक को देर रात 2:08 मिनट, दूसरे शावक को 2:58 मिनट और तीसरे को 4:56 मिनट पर जन्म दिया। इसके बाद उसने दो और शावकों को जन्म दिया। शेरनी जेसिका के शावकों की पैदाइश को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पार्क के विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा कीपर आदि ने देखा है। गर्भवती जेसिका का बीते तीन महीनों से खास ख्याल रखा जा रहा था। उसके बाड़े के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सफारी के रेंजर विनीत सक्सेना, डॉ गौरव श्रीवास्तव, डॉ आरपी वर्मा, डॉ सुयश सचान, कीपर मोहम्मद आरिफ, इमरान, आसिफ और मंजूल जेसिका के मां बनने के दौरान अलर्ट थे।

देर रात 2:08 बजे जेसिका ने पहले शावक को जन्म दिया

तड़के 2:58 बजे दूसरे शावक का जन्म

तड़के 4:56 बजे तीसरे शावक का जन्म

6 अक्तूबर, 2016 को जन्मे सिंबा, सुल्तान और 15 जनवरी 2018 को जन्मे बाहुबली सफारी की रौनक बने हुए है। हालांकि जुलाई और अगस्त 2015 में शेरनी हीर व ग्रीष्मा ने पांच शावकों को जन्म दिया था।

सिंह ने बताया कि इससे पहले जेसिका ने 6 अक्तूबर, 2016 को सिंबा व सुल्तान को जन्म दिया था। 15 जनवरी, 2018 को बाहुबली को जन्म दिया था। सिंबा और सुल्तान अब ढाई वर्ष के व बाहुबली डेढ़ वर्ष का हो गया है। अब तीसरी बार शेरनी के मां बनने से सफारी पार्क में खुशी की लहर दौड़ गई है।

उन्होंने बताया कि डॉ गौरव श्रीवास्तव व उनकी टीम ने शेरों की देखरेख की उनका कुनबा बढ़ाने के लिए काफी परिश्रम किया है। सिंह ने बताया कि चंबल की छवि को बदलने के इरादे से इटावा के दुर्गम बीहड में बनाए लायन सफारी में एक के बाद एक हो रही प्राणियों की मौत के बीच गुजरात से आई शेरनी जेसिका सफारी के लिए अच्छे दिन लेकर आई है। तीन शावकों को जन्म देने के बाद एक साथ चार शावकों की पैदाइश ने लायन सफारी प्रशासन को बेहद खुश कर दिया है। शेर

बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,hitherto known as KM Nazmi Alias Najmi, W/o Mr.Nafees Ahmad R/o-A-12, 2nd Floor, Okhla-Vihar, P.O.Jamia-Nagar, N.D-110025.have changed my name and shall hereafter be known as Najmi Fatima.
0040500848-10

I,Tripteesh Kaur Bagga D/O Charanjeev Singh Bagga R/O-610, Navniti-Apartments, 51, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-110092.Have Changed My Name To Tripteesh Kaur
0040500843-1

I, Syed Laeeq Ahmad Rizvi S/O Sh.Iqbal Ahmad Rizvi R/O-Flat.No.-96, Block-B-3, Arawali Appartment, Sector-34, Noida Gautam Budh Nagar, U.P. Have Changed My Name To Laeeq Rizvi All Purposes.
0040500760-1

I,Sunita Rani W/O Yogesh Kumar Bhandari, H.No-3-A, Shivam Enclave, Delhi-110032. Have changed My Name to sunita bhandari. 0040500843-2

I,Ritesh Surendra Sabharwal S/O Surindra Kumar Sabharwal, R/O-House.No-141, Duplex-II, Rajat Vihar, Sector-62, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301.Have Changed My Name To Ritesh Sabharwal.
0040500843-10

I,Rakesh Singhal R/o-D-4/85, Ratiya Marg, Sangam Vihar, New.Delhi-110080 have changed my son's,name from Harshit Singal to Harshit Singhal,for all future purposes. 0040500866-5

I,Prem W/o Gopal Charan R/o-108, Mangla Vihar-First, New PAC-Lines, Kanpur Nagar, U.P.-208015,have changed my name to Prem Sharma for all future purposes. 0040500863-2

I, Meenakshi Bagga W/O Rahul Walia R/O B5-503, Cherry County, Techzone-IV, Near Ek Murti Greater Noida West UP have changed my name to Meenakshi Tandon for all purposes 0040500682-2

I,Manish Kumar Dhand/ Munish Kumar S/O Hans Raj Dhand R/O WZ-27B, Second-Floor, Street NO-17, Krishna-Park Extn.,Tilak-Nagar, New-Delhi-110018. Have Changed my Name to Manish Kumar.
0040500848-4

I,Hari Bahadur Suncheuri S/o Makhan Singh Suncheuri. R/o.23, Pocket-2, Schedule-A, P.B.G. NDMC, Rashtrapati Bhawan New Delhi-110004.my Service Record my father name wrongly written as Vikra Bahadur instead of Makhan Singh Suncheuri.
0040500868-1

I,Gurvinder kumar Dhand S/O Hans Raj R/O-WZ-27B, Second-Floor, Gali NO-17, Krishna-Park Extn.,Tilak-Nagar, New Delhi-110018.Have Changed my Name to Gurvinder Kumar.
0040500848-5

I,Faiz Uddin S/o Iman Uddin,R/o-C-85, 3rd-Floor, Back-Side, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave, Part-2, JamiaNagar, Okhla, Delhi-110025,have Changed my name to Faiz Uddeen
0040500866-4

I,Dalip Kumar R/O 3808, Gali Ramnath Patwa, Pahar Ganj, New Delhi-110055 Have Changed My Daughter Name Yashika To Yashika Gola.
0040500853-8

I,Ashu Nagpal S/o Bhagwan Dass,R/o-103, Sector-15, Sonipat have changed my minor daughter',name Manshaa and Mansha to Mansha Nagpal,for all purposes. 0040500866-3

I,Ashu Nagpal S/o Bhagwan Dass R/o-103, Sector-15, Sonipat have changed my minor daughter's,name Vanyaa Nagpal to Vannya Nagpal,for all purposes.
0040500866-1

I,Arjun Dev Arora S/O Hari Chand Arora R/O D-19, Hakikat Rai Road, Adarsh Nagar, Delhi-33 Changed My Name To Arjun Dev.
0040500868-4

I,Anupama W/o Neeraj Sharma R/o-A-105, Parsvnath, Vaibhavkhand, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014,have changed my name to Anupama Sharma for all future purposes. 0040500863-1

I, Vijay Juyal, R/o C-411, Sector-22, NOIDA-201301, Dist. Gautam Budh Nagar U.P. informs that my son Anmol Juyal have changed his name from Anmol to Anmol Juyal as appeared in his 10th Class Certificate for all purposes vide affidavit sworn before Advocate on 26 June 2019.
0040500867-1

I, Vignesh Aiyer S/o V. Neelakantan R/o C2B/2C, Janakpuri, New Delhi-58, state that both names Vignesh Aiyar and Vignesh Aiyer are of one and same person and I will be known as Vignesh Aiyer for all purposes.
0040500798-1

I, Kapil Kumar S/o Sh. Madan Lal Malhotra R/o WB-40, 3rd Floor, Shakarpur, Delhi-110092, have change my name from Kapil Kumar to Atul Malhotra for all future purpose. 0040500785-1

व्यक्तिगत

I, Surinder Singh S/o Sh.Sohan Singh R/o 4/62, Second Floor, GeetaColony, Delhi-110031. have changed my name to Surinder Singh Arora.
0040500843-8

I, Sunita Airan W/o Naresh Kumar Airan R/o-C-1/25, Mianwali Nagar, Rohtak Road, Paschim Vihar,New Delhi-110087,that my husband's name has been wrongly mentioned as Naresh Kumari Gupta and my sex mentioned as Male in my Passport No.J317003. The actual name of my husband is Naresh Kumar Airan and my correct sex is Female. 0040500856-3

I, Suman Bala W/O Arjun Dev R/O D-19, Hakikat Rai Road, Adarsh Nagar, Delhi-33 Changed My Name To Suman Arora. 0040500868-3

I, Sonam W/o Ankit Malik R/o-230 Second Floor BU-Block Pitampura Delhi-110034. changed my name to K Sonam for all purposes.
0040500853-5

I, Satnam Singh S/o Amar Singh Bains R/o G-8, Police Station, Lajpat Nagar-III, N.D.-110024, have changed my name to Satnam Singh Bains for all future purposes.
0040500784-1

I, Saswat Sahu S/o Sh.Muralidhar Sahu R/o-J-49/First Floor,J-Block,Mayfield Gardens,Sector-51, Gurugram, Haryana,have changed my name to Shashwat Sahu for all future purposes.
0040500760-2

I, Sanjay Kumar Mishra S/o Ram Nath Mishra R/o E-3/36, second floor Sector-11 Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sanjay Mishra for all purposes. 0040500787-1

I, Sadhna Prakash W/O Anand Prakash R/O 5/5, F.F, Indira Vikas Colony, Delhi-110009. Changed My Name To Sadhana Prakash.
0040500848-9

I, S. Deepak Iyer S/O, Mahalingam Chandrashekhar R/o 272-f Pocket-5 Mayur Vihar Phase-1, New Delhi 110091, have changed my name to Deepak Chandrashekhar for all purposes. 0040500860-1

I, Rosy Arora W/o Atul Kumar R/o 12/482, BatraColony, Sonipat have changed my name to Rosy for all purposes. 0040500866-2

I, Ritu D/o Panna Singh R/o S-219/196, Ashoka Bindusar Camp, East of Kailash, New Delhi-110065 have changed my name to Ritu Kumari for all purposes. 0040500790-1

I, Reshu Rani W/O Rahul Gupta R/O C-270, 2nd Floor, Vivek Vihar Phase-1, Delhi-110095.Have Changed My Name To Reshu Gupta
0040500863-6

I, Renu Kakkar w/o Tarun Bhandari r/o B-170, Phase-1,Ashok Vihar, Delhi-52, have changed my name to RASHI BHANDARI. 0040500778-1

I, Surbhi D/O Vijay Kumar R/O B-16, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, N.D-110024 Changed My Name To Surbhi Ichpal.
0040500853-4

I, Rajesh Kumar Sharma S/o Late Shri Inder Raj Sharma R/o-RZ-A-127, SitaPuri Part-1,New Delhi-110045,inform that my minor daughter name wrongly-written as Diksha in her school record.Actual name of my minor daughter is Diksha Sharma . 0040500863-8

I, Rajesh Kumar Gupta S/O Tilak Raj Gupta R/O B-39/G-2, Dilshad Colony, Delhi-110095. Have Changed My Name To Rajesh Kumar. 0040500853-9

I, Raghuraj Yadav S/o Shri Ram Sunder Yadav R/o Vill: Shivdaspur (DDBA), Post: Jyotisadan, Distt: Ayodhya, U.P., do hereby solemnly affirm that Ram Sunder and Ram Sunder Yadav are the same person who is my father. 0040500893-1

I, RITU GUPTA W/O RAKESH KUMAR R/O-109, PKT-8, SEC-TOR-21, II-FLOOR, ROHINI, DELHI-110086. CHANGED MY NAME TO RITU SINGHAL.
0040500843-3

I, Preety Kapoor W/O Parveen Malik, H. No.118, West Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Changed My Name To Preeti Malik 0040500868-2

I, Praveen Kumar S/o Megh Raj Singh R/o H.No.-53, Gali No-7, Balbir-Nagar, Extn., Shahdara, Delhi-110032 have Changed my name from Praveen Kumar to Praveen Kumar Gupta for all future purposes.
0040500848-3

I, Prabhakar Singh S/o Vaidya Nath Singh R/o Flat No.-C-16, Parivahan Apartment, Sector-5, Vasundhara, Ghaziabad, U.P-201012, have changed my minor son's name from Aayansh Singh to Ayansh Singh. 0040500775-1

I, Dolly W/O Vikas Gupta R/O 1862, Outram Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009. Changed My Name To Divya Gupta After Marriage. 0040500856-1

I Kiran Gupta D/o Shri Ram Gupta W/o Sh. Vinod Jaiswal R/o F-22/110, Sector-3, Rohini, Rohini Sector-7, North West Delhi, Delhi-110085 have changed my name after marriage to Kiran Jaiswal for all purposes. 0040500808-1

I Kavita Khetwal, R/o 147/B, PKT-M, Sarita Vihar, Delhi-110076 Have Changed My Name To Kavita. 0070662146-1

I, Poonam Kaushal W/O Umesh Kaushal R/O E-1/26, Dlf, Sector-11, Faridabad, Haryana-121006, have Changed My Name To Poonam Sharma.
0040500863-10

I, Parveen Kumari W/o Sanjeev Kumar Jain R/o Flat No. 334, DDA SFS Flats, Golden Jubilee Apartments, Sector-11, Rohini, Delhi-110085 have changed my name after my marriage on 29.06.2001 from Parveen Kumari to Ritu Jain for all future purposes.
0040500825-1

I, Parmjeet Kaur W/O Mohabbat Singh R/O HNo.17, Gali No.1, Sanjay Nagar, Delhi-110033. Have Changed My Name To Paramjeet Kaur.
0040500863-7

I, Nisha W/O Sushil Kalra Add-F-15/23, Pkt-15, Rohni Sec-15, Delhi-89. Have Changed My Name To Neesha Kalra.
0040500853-3

I, Neha D/o Shri Inder Kumar, W/o Shri Kapil Monga R/o House No. 662/3, Pandit Park, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051 informs hereby that I Have changed my name from Neha To Neha Monga Forever. 0040500801-1

I, Neelam W/o Mukesh R/o AB-330, Amarpuri, Krishna Basti, Ram Nagar, Paharganj, New Delhi-110055 have changed the name of my minor daughter Shallu to Shalu.
0040500780-1

I, Naveen Kumar s/o Om Parkash Verma r/o 2/139, Veena Enclave, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to NAVEEN.
0040500777-1

I, Naveen Kumar S/o Gyan Singh R/o D-5/22, Krishna Nagar, New Delhi-110051, have changed my name to Naveen for all purposes.
0040500810-1

I, Mohammad Zafar S/O Mohammad Sharif Khan H.No-110, B-Block, Street No-3, BrijPuri, Delhi-110094.Have Changed My Name To Mohammad Zafar Khan.
0040500853-2

I, Mohammad Shakir Hasan R/o D-94, Gali no 01, Chand bagh, Karawal nagar Delhi 110094 have changed my name to Mohammad Shakir Hussain. 0070662155-1

I, Rashmi Khurana W/o Anil Khurana R/o 10/123, Geeta Colony, East Delhi. have changed my name to Sangeeta Khurana.
0040500853-6

I, Milan Sharma S/o Devender Sharma R/o U-164, Shakarpur, Delhi-110092, inform that my mother name is wrongly written as Pooja Sharma instead of Madhu Sharma in my Educational Documents.
0040500774-1

I, Meera Samajpati W/O Bicharan Samajpati R/O 319, Chopal-Waligali, Sarai-Pipal Thala Adarsh-Nagar, Delhi-110033. Changed my Name to Meera Rani Samajpati.
0040500843-6

I, Manisha Kumari D/O Jagdish Chand born on 12/03/1986 residing at , House No. 2784, Sector 47/C, Chandigarh-160047 have changed my name to Manisha vide affidavit 21 June 2019 at Chandigarh. 0050150587-1

I, Mahabir Prashad S/o Late.Ramchander R/o T-2578, Gali No.21A, Baljeet Nagar, N.Delhi-110008. have changed my name to Mahabir Prashad Mundra. 0040500863-5

I, Madhusudin Yadaw S/O Prahlad Yadaw R/O D-370, Pul Prhladpur, New Delhi-110044. Have Changed My Name To Madhu Sudan Yadav.
0040500856-2

I, Laxmi Rani W/o Kiran Pal Singh R/o-9/192, A4, Sector-3, Rajendra-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name to Laxmi Devi.
0040500853-7

I, Lalita Juyal, R/o w/o Vijay Juyal, R/o C-411, Sector-22 NOIDA-201301, Dist. Gautam Budh Nagar, U.P., have changed my name from Lalita to Lalita Juyal for all purposes vide affidavit sworn before Advocate on 26 June, 2019.
0040500882-1

I, Kushagra Nagpal S/o Raman Nagpal R/o-120, Vaishali Pitampura Delhi-34. changed my name to Kushagr Nagpal for all purposes. 0040500863-9

I, Kunal S/o, Anil Singh R/o H-34 J.J. Colony Wazirpur, Ashok Vihar, North West Delhi, Delhi-110052have changed my name to Kunal Singh.
0070662148-1

I, Kum.Manju Kumari, W/O Piyush Chahar R/O.Flat.No-244, Swarup Sadan, C.G.H.S. Plot No-4, Sector-13, Dwarka, New Delhi-110078.Changed My Name To Manju Chahar.
0040500848-7

I, Khushboo Devi D/O Subhash Chand W/O Atul Garg R/O-S-42, Budhvihar Phase-1, Delhi-110086.Changed my Name to Khushboo Garg After Marriage. 0040500853-10

I Ahmed Hussain S/O Haji Tajammul Husain R/o-145 Gali No.10 Jafrabad Delhi-110053,have changed my name to Ahmed Husain Ansari for all purposes.
0040500843-9

I, Ashok Kumar Sharma S/o Banshi Dhar Sharma R/o D-3/12, Vashist Park Pankha Road ND-46, have changed my name to Ashok Sharma for all purposes. 0040500836-1

व्यक्तिगत

I, Ishansh S/o Mahabir Prashad Mundra R/o T-2578, Gali No.21A, Baljeet Nagar, N.Delhi-110008 have changed my name to Ishansh Mundra.
0040500863-4

I, Inderjeet Kaur W/O Satnam Singh Bains R/O G-8, Police Station, Lajpat Nagar-III, N.D.-110024, have changed my name to Inderjeet Kaur Bains for all future purposes.
0040500784-2

I, Harish Narula S/o Late Shri Girdhari Lal Narula R/o 132, Chowk wali gali, Village Punjab Khore, Kanjhwala, Delhi-110081, informs that my father and his name is mentioned as Girdhari Lal in various documents and both are same person. All concerned may note. 0040500779-1

I, Harish Chander S/O, Late. Krishan Lal Sharma R/O T-235/1A, Baljeet Nagar have changed my name to Harish Sharma for all purposes.
0040500865-1

I, Gurmit Singh Ramgaria S/O Bahadur Singh R/O-4/C, Taimoor Nagar, Opp. Gurudwara, Nr.Newfriends Colony, Delhi-110065. Changed my Name to Gurmeet Singh. 0040500848-6

I, Gulinder Singh R/o H.No.A-105, Kenwood Tower, Charmwood-Village, Faridabad, HR-121009, have changed my minor daughter's name Suhaila to Suhaila Kaur.
0040500863-3

I, Dhani Ram S/O Reet Ram R/o Flatno.180, Pkt-6, Sector-33, Rohini, Delhi-110099.Changed my Child Name Samyak Jesus To Samyak Rishi.
0040500843-5

I, Deepak Kumar Sharma S/o Harbans Lal Sharma residing 3/37, Block-3, Roop Nagar Delhi have changed my name to Deepak Sharma for all purposes. 0040500831-1

I, Deepak Batra R/o TP-136 Pitampura, Maurya Enclave, New Delhi-110034, have changed my minor daughter's name from Sanya Batra to Ssanya Batra for all purposes. 0040500772-1

I, Carol Veronica Thorpe W/o Sh. Oscar Thorpe R/o A-3/8, Top Floor, Alok Kunj, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Carol Thorpe for all purposes.
0040500855-1

I, Begam Khaleda, W/o Rofiul Alam R/o Village & PO-Geetgram, P.S.-Bharatpur, Dist. Murshidbad, W.B.-742401 inform that my correct name is Begam Khaleda as per all certificate, But my name is wrongly written as Miss Khaleda in my husband Army Record. My respect be used Begam Khaleda for all purpose. 0040500783-1

I, Ashok Dogra S/O Mulraj R/O 1/10402/2-A 2nd Floor Street No-3 Mohan-Park Naveen-Shahdra Delhi110032,Have Changed My Name To Ashok Kumar. 0040500853-1

I, Ashmeet Guliani D/o Puneet Singh residing H.No. 90/1A, Malviya Nagar Delhi have changed my name to Ashmeet Kaur for all purposes. 0040500831-2

I, Arvind Verma s/o Om Parkash r/o 2/139, Veena Enclave, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to ARVIND.
0040500777-2

I, Arpana Kumari Singh,W/o Shashi Kant Singh R/o-Plot no.415, Ground-Floor-3, Sector-5, Vaishali-Ghaziabad, U.P. 201010,have changed my son's name from Shlok to Shlok Singh for all future purposes. 0040500843-4

I, Arif Mohammad Khan, R/o-FF-1, Plot No-1045, NitiKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. 201014, Changed My Minor Son Sahir Khan To Sahir. 0040500848-1

I, Anil Bhadana S/O, Rambir Singh R/O 1013, Sector 17 B Gurgaon, have changed my name to Anil Kumar for all purposes. 0040500864-1

I, Aman S/O Vijay Kumar Moria R/O-H.No-1400, Road No-7, Wazir-Nagar, KOTLA MubarakPur, N.D-110003. Have Changed My Name To Aman Moria. 0040500848-8

I hitherto known as Meenakshi Bala W/o Ashish Singh D/o Kamal Kant Singh R/o H No. 42, IInd Floor, Gopal Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as Meenakshi Singh.
0070662143-1

I Simple Kumari W/o Anand Kumar Jain R/o RZ-A-6, 1st Floor, Nand Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Simple Jain for all Purposes
0040500809-1

I Ramesh Chand Madaan @ Ramesh Madan @ Ramesh Chander @ Ramesh Chand S/o Late Sh. Dewan Chand R/o 52, Street No.6, Sarojini Park, Shastri Nagar, Delhi-110031 have changed my name to Ramesh Chander Madaan for all purposes. 0040500808-2

I Rajesh,Rajesh sethi s/o Roop Chand Sethi R/o DG2/227C 2ND Floor Vikaspuri Delhi-110018. have changed name to Rajesh Kumar Sethi.
0040500843-7

I Naresh Kumar Luthra S/O Ram Prakash Luthra R/O-384, 2nd Floor, Nirankari Colony, Delhi-110009. Changed My Name To Naresh Luthra.
0040500848-2

I, Kiran Mehra W/O Ashok Kumar, H.No-Wa-29, WA-Block, Shakarpur, Delhi-110092. Have Changed My Name To Kiran. 0040500632-3

खोया+पाया

I, Gaurav Bhalla S/o Sandeep Bhalla R/o-A-24, Raksha Vikas-apartment, Vikaspuri, New delhi-110018. Have lost my original-certificate Class-10 Pass year-2017 Rollno.-8209381 C.B.S.E. Delhi.
0040500856-5

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination Certificate and Marksheet of 2005 roll no 6248235 issued by CBSE has been actually lost. Name: Deepak Suryavanshi, Add: Plot No. B-283, Sector-19, Dwarka, New Delhi-110075, Mob. 9953245790.
0040500841-1

Lost Original Certificate & Marksheet of Senior Secondary Examination-2010, Roll No-5696517 & Original Certificate of Secondary Examination-2008, Roll No-5208209 Rachit Tandon R/o 6, Village Patparganj, Delhi-110091.9560886473
0040500682-1

I Anamika john, notifies that my original qualifying examination certificate of secondary examination of year 2017, roll no. 8755976 issued by CBSE has been lost. Add-N-140, panchsheel park new Delhi - 110017. Mob. 8287019592 0050150690-1

I, ANUJ KUMAR S/O D.P Maurya R/o-E-86 shashi-garden mayur-vihar ph-1, New Delhi-91.Have lost my original certificate class-12th year-2000 Rollno-6603477 C.B.S.E. Delhi.
0040500856-4

सार्वजनिक सूचना

मैं राखी बंसल पत्नी श्री प्रवीण बंसल निवासी मकान नं.-76, मौलाना आजाद, लोटस एंक्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, सूचित करती हूं कि मेरे मकान संख्या-76, मौलाना आजाद, लोटस एंक्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, के प्रोपर्टी के कागज जैसे इकरारनामा, पावर ऑफ अटॉरनी एवं विशिष्ट पावन ऑफ अटॉरनी दिनांक 20.05.2005, गत 17.08.2007 को पीतमपुरा में रोड़ पर जाते वक्त खो गए हैं और इसके सम्बंध में एफआईआर संख्या 1183255/2019 दिनांक- 24.06. 2019 को दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public in General that my client S. Palvinder Singh S/o S. Channen Singh R/o 1C/98, Namdhari Colony, Ramesh Nagar, N. Delhi-15, have severed all relations with his Son Inderpal Singh ane his wife Karamjit Kaur and debar them from all his moveable & immoveable properties. Anybody dealing with them in any manner shall do so at his/their own risk and responsibility/ consequences. My client shall not be responsible for their acts and deeds.

Mohinder Dhawan (Advocate)
Enl. D-643/97 (R), Bar Room No. 3
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to all whosoever is concerned that my client Shankar Dayal Gupta S/o Late Shiv Bachan Gupta & Kanti Devi W/o Shri Shankar Dayal Gupta both R/o H. No. 37/2, Gali No. 14, Sarai Enclave Part-I, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 being fed up with our daughter Ms. Priyanka Kumari disquieting and maltreatment of her serve or break up all her relationship with her from this day onwards and hereby disown her from self-earned properties as well as from all other immoveable and moveable properties and shall not responsible for her act. Anybody deals with her shall be doing so at their own risk responsibilities and they shall not have any lawful relationship with my client.

Avdhesh Kumar Advocate,
A-107, R.G. Complex, D.B. Gupta Road, New Delhi-55, Mob. 9910050625

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार सुषमा जैन, संपत्ति न. १६७, पहली मंजिल छत सहित, दिल्ली यूनियन सी.एच.बी.एस. लिमिटेड, कपिल विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली, और रितिका गोयल उपरोक्त संपत्ति का भू तल को अमिताभ सिंघल से खरीदने जा रही है और एक्सिस बैंक के साथ बंधक रखने जा रही है और अमिताभ सिंघल उपरोक्त संपत्ति के मालिक कृष्णा अवतार सिंघल के देहांत के उपरांत उनके कानूनी वारिस के हक से बने थे. कृष्णा अवतार सिंघल ने उपरोक्त संपत्ति को कन्वेयन्स विलेख के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदा था. अगर किसी व्यक्ति को कृष्णा अवतार सिंघल के कानूनी वारिस की क्षमता में या किसी और कारण से कही गयी संपत्ति के संबंध में, कोई आपत्ति है, दावा है या बंधक से कोई आपत्ति है तो वह इस प्रकाशन के ७ दिनों के भीतर नीचे लिखे न. पर संपर्क कर अपने दावा और आपत्ति की जानकारी दे दे।

एडरेम लिगल सल्यूशन
[illegible], लायर्स चैंबर, द्वारका कोर्ट, सेक्टर १०, मो. [illegible]

PUBLIC NOTICE

This is inform general public at large for and on behalf of my client Sh. Chander Shekhar Khanijow S/o Late Sh. Q.L. Khanijow (Adv.) R/o B-74, Gujranwala Town, Delhi- 110007 and presently R/o 1700 EGRET LANE, South Lake, Texas-76092 U.S.A., that my client has divorced his wife Ruchika Dhawan D/o Smt. Usha Dhawan and Jagbir Dhawan R/o H.No.269, R, Model Town, Karnal, Haryana, who was also living in U.S.A. at the time of the divorce and appeared in the divorce proceeding in the Court. The Divorce was granted by the District Court, 231, Judicial District, Tarrant County, TEXAS, U.S.A. on 30th April, 2019. If anyone deals with the aforesaid divorcee wife, he/she/they may do so at their own risk, costs & consequences. My client or his family members shall not be responsible in any manner for the acts, deeds or misdeeds of the aforesaid Ruchika Dhawan.

D.S. CHOUDHARY (Advocate)
Ch.No. 371-372, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती गंगादेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप निवासी-शनि धर्मशाला शिव मंदिर, शालीमार गॉव दिल्ली ने अपनी पुत्रवधु श्रीमती सोनिया धर्मपत्नी स्व. श्री हरिओम के अनुचित व असामाजिक आचरण के कारण उसे व उसके तीनों बच्चों राम-श्याम और श्रद्धा को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करके उनसे अपने सभी प्रकार के संबंध विच्छेद कर लिए हैं, क्योंकि श्रीमती सोनिया, निवासी गली नं.-7, मिलन विहार जरौदा दिल्ली पर दिनेश के साथ अपने बच्चों को लेकर अवैध, अनुचित तरीके से रह रही है। आज के बाद मेरी मुवक्किला उसके किसी भी कृत्य के लिए उत्तरदायी नही होगी।

अजीत कुमार भारद्वाज (अधिवक्ता)
चै.नं. बी-17, बी.जी.एस. ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती लाज देवी पत्नी स्व0 कमल किशोर तिवारी, निवासी मकान नं0 सी-25, टिगरी एक्सटेंशन, साउथ दिल्ली-110062 ने अपने पुत्र नवीन तिवारी व पुत्रवधु ज्योति तिवारी के दुर्व्यवहार हेतु अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबंध-विच्छेद कर लिये हैं। उनके किसी कृत्य हेतु मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी।

जतिन कुमार (अधिवक्ता)
एनरोलमेंट नं0 D/3852/2014
चैंबर नं 734, सातवां तल, साकेत कोर्ट कॉम्लेक्स, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलान नसीर अहमद पुत्र हाजी करीमुद्दीन एवम इनकी पत्नी रुकसाना ई-75, गली नं 4, चॉद बाग दिल्ली-110094, ने अपने पुत्र अमजद खॉ एवम पुत्रवधु शबनम उर्फ आशिया को दुर्व्यवहार करने, घातक धकियॉ देने व नियंत्रण से बाहर होने के कारण उन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर पारिवारिक रिश्ते समाप्त कर लिये हैं। भविष्य में उनके अच्छे-बुरे कार्यों के प्रति मेरी मुवक्किलान जिम्मेदार नहीं होगी।

वी.के. बाकोडिया
एडवोकेट
9818459585

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Rajpal S/o Sh. Charan Singh R/o Gali No. 2, Plot No. 112-C, Kh. No. 183/186, Dabar Enclave, Rawta More, Jaffar Pur Kalan, South West Delhi-73 has disowned & debarred his Son Mr. Pankaj, his wife Mrs. Bharti & their female child Pari from all his movable & immovable properties with immediate effect because of their constant fighting at home & loss of my client's mental peace, harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them & they also threaten my client to file false dowry case. Anybody dealing with them shall do so at his/her own risk, cost & responsibilities.

Adv. B. B. N. Deo
Authority Building, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Shrvan Singh alias Sarwan Singh S/o Tulsa Singh R/o C-350, C-Block Resettlement Colony, Khyala, Tilak Nagar, New Delhi-110018 do hereby disowned and severed all his relations with his daughter Harvinder Kaur alias Inderjit Kaur and her son Jaspreet Singh and debar them from all his movable and immovable properties as they are out of control of my client. In future any body deals with them shall do so at their own risk and responsibility. My client shall not be responsible for their any acts and deeds.

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR-II, B. Coumpus, Janakpuri, New Delhi-58

Public Notice

I,Ram Bhawan Singh S/O Sri Lal Bahdur Singh R/o, 6/FA, Vikas Vihar, Vikas Nagar, Uttam Nagar New Delhi-110059.Have disowned my son Yogesh Kumar & his wife Mrs.preeti Singh from all of my movable & immovable properties. hearafter I shall not be responsible for any kind of their act.

Sd/. (Anil Kumar) Advocate

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client Harish Sachdeva Son of late Shyam Lal, aged 72 years and his wife Veena Sachdeva aged 68 both resident of 19/1, West Patel Nagar, Delhi and permanent resident of 16/11, old Rajinder Nagar, New Deli-110060, has no control over his son namely Jatin Sachdeva and his wife and due to their unpleasant behaviour neither they nor any of their legal heirs will have any right whatsoever in the movable and immovable property of my clients. If anybody/persons deal with him, he/she shall be liable of its own at their own risk and consequences for any purpose, my client and his family will have no responsibility for any acts and transactions entered into by him. My client and his family members shall not be held responsible for the same in any manner whatsoever.

Manish Arya (D561/07)

PUBLIC NOTICE

My clients SURESH S/o Sh. Rage Ram and USHA W/o Sh. Suresh, Both R/o 26/3, Old APS Colony, New Delhi-110010, have break their all relations and disowned their Son ARUN from all their moveable-immovable properties, due to disobedience, my clients shall not be responsible for the any act done by him.

Sd/-
NEELAM SHARMA
Advocate
Ch. No. 165A, PHC,
New Delhi-110001

NOTICE

Informed Public at large that my client MAHAJABI wife of Late Mahfooz Ali resident of H.No.P-50B, Sharma Colony, Budh Vihar Phase-II, Delhi-110086, has debarred her son Mr. NAUSHAD son of late Mahfooz Ali, and his wife named SAHIN. from her movable and immovable properties and severed her all relations from them. If in future anybody deals with them to do so his/her own costs, risks and responsibilities, my clients will not be responsible for the same in any manners whatsoever.

SAMUNDRA SINGH
(Advocate)
Office-QU-259A,
Pitampura Delhi-34.

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that my client Smt. Sudha Sodhi w/o Late Sh. Sucha Singh Sodhi, R/o 2/31, Kalkaji Extension, New Delhi-110019 has severed all relations with her elder son Sh. Harvinder Singh Sodhi and has disinherited him and his family from all her movable and immovable properties. Sh. Harvinder Singh Sodhi and his wife Smt. Honey Sodhi have been constantly abusing, threatening and physically assaulting my client. My client also expresses serious apprehension to her life and limb from the said Sh. Harvinder Singh Sodhi and his wife. My client shall not be responsible in any manner for acts and deeds of Sh. Harvinder Singh Sodhi and his family.

Sd/
PARIKSHIT SINGH
ADVOCATE
ENROLMENT NO-UP 06833/2014

PUBLIC NOTICE

PLEASE TAKE NOTICE THAT MY CLIENTS SHRI VED PRAKASH GUPTA S/O SHRI MUSADI LAL GUPTA AND HIS WIFE SMT. NEELAM GUPTA W/O SHRI VED PRAKASH GUPTA BOTH R/O WZ-276-G/1, INDERPURI, DELHI-110012. DISOWNED AND DEBARRED HIS SON NAMELY SHRI TARA GUPTA S/O SHRI VED PRAKASH GUPTA AND HIS WIFE VISHAKHA GUPTA W/O SHRI TARA GUPTA WHO HAVE BEEN LIVING SEPARATELY FROM THEIR PROPERTIES BOTH MOVABLE AND IMMOVABLE. MY CLIENTS HAVE SEVERED ALL THEIR RELATIONS WITH SHRI TARA GUPTA AND HIS WIFE SMT. VISHAKHA GUPTA AND SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY KIND OF ACTS, IF ANY, COMMITTED BY THEM IN FUTURE. ANY PERSON DEALING WITH THEM IN ANY RESPECT WHATSOEVER SHALL DO SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISK.

Sd/
AMIT TYAGI (Advocate)
692, Main Road, Burari, Delhi-84

PUBLIC NOTICE

"Be Known to all, that my clients Amir 'Ahmad S/o Niyaz Ahmad and Ruksana W/o Amir Ahmad Both R/o 209, Gali No 4, Jyoti Nagar Rishi, Kardam Puri, has debarred & disowned their Son Mohd Danish from their all moveable and immovable properties. My clients had also severed all their relations and connections from the all above said persons. If any body deals with them in any manner, then my clients will not be responsible for any of their deeds and acts."

Sd/-
PAWAN GUPTA
(ADVOCATE)
878, LAWYERS CHAMBER
BLOCK SAKET COURT,
NEW DELHI 110017

PUBLIC NOTICE

General Public are hereby informed that Smt. Neetu Modi @ Nitu Modi W/o Sh. Anand Kumar D/o Sh. Keshav Prasad Modi R/o C-3/402, Capital Apartments, Vasundhra Enclave, Delhi-110096, formerly residing at Flat No. 11D, Highway Apartments, Ghazipur, Crossing, New Delhi is the same person. True spelling of her name is "Neetu Modi" however in-advertently in some of her documents the spelling of her name is mentioned as "Nitu Modi".

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Brahm Raj Singh Tyagi s/o Late Jagat Singh Tyagi r/o House no.87A, 1st Floor, Village Budhela,Vikaspuri, New Delhi- 18, have disowned / debarred his son Munish Chand Tyagi and Naresh Tyagi and their family members from his all moveable & immovable assets/ properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall do at his/her own cost/risk.

RAJIV HOODA, Advocate,Ch.No.229, W. Wings, Tis Hazari, Delhi

NOTICE

1.) It is published for the information of all concerned that Mr. Ketan Bhagat S/o Late Shri Kulbhushan Raj Bhagat (Age about 30 years) resident of H.NO 456, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakurbasti, Delhi-110034 left home of his own accord / will along with his wife Shriya Bhagat (Age About 25 years) on 14th May, 2019 with a brief note without telling anyone.
2) He is debarred from the share of property as per the WILL made by me on 07th July, 2011. He is also debarred from all the moveable and non-moveable Property for one reason or other.
3) His where about are not known till date.

Sd/-
HARI KISHAN BHAGAT
(Grand Father)
456, RISHI NAGAR,
SHAKURBASTI,
DELHI-110034
Ph: +91-9811622692

VINOD WADHWA
(ADVOCATE)
EN NO. D/769/2005

PUBLIC NOTICE

I, **Akansha** D/o Naresh Kumar Airan R/o C-1/25, Mianwali Nagar, Rohtak Road Paschim Vihar, New Delhi-110087 that name of my father and my mother has been wrongly mentioned as **Naresh Gupta** and **Sunita Gupta** in my Passport No.P6860753, 12th class certificate No.591897 and 10th class certificate No.698355. The actual name of my father and my mother are **Naresh Kumar Airan** and **Sunita Airan**.

PUBLIC NOTICE

I, **Naresh Kumar Airan** S/o Rameshwar Dass R/o C-1/25, Mianwali Nagar, Rohtak Road Paschim Vihar, New Delhi-110087 that my father's name has been wrongly mentioned as **Rameshwar Dash** in my Passport No.P6859927, Rameshwar Das in my 12th class certificate No.075658 and **Rameshwar Dass Gupta** in my Pan Card No.AAHPG3948G and my name is also wrongly mentioned as **Naresh Kumar Gupta** in my Pan Card No. AAHPG3948G and 12th class certificate No.075658. The actual and correct name of my father and mine are **Rameshwar Dass** and **Naresh Kumar Airan**.

PUBLIC NOTICE

I, **Aditya Airan** S/o Naresh Kumar Airan R/o C-1/25, Mianwali Nagar, Rohtak Road Paschim Vihar, New Delhi-110087 that my father's name has been wrongly mentioned as **Naresh Airan** in my Passport No.P6859929, 12th class certificate No.0256935 and 10th class certificate No.0626995, Driving License No.DL-0420170434105 and **Naresh Kumar** in birth certificate no.2400 and my mother name has been wrongly written as **Sunita** in my birth certificate no.2400. The actual name of my father and my mother are **Naresh Kumar Airan** and **Sunita Airan**.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Vishnu S/o Mahesh Chand and Smt. Jugal Devi w/o Vishnu both R/o House No. 991, Block-S, Mango! Puri, Delhi-110083, have severed all the relations with their both son Kumar Bahadur S/o Vishnu, his wife Sarita and Manoj Kumar S/o Vishnu, his wife Renu and disowned them from all their movable and immovable properties. For all references, my clients are not related, interested, concerned or responsible in any manner for the acts, deeds, commitments and liabilities of above said Kumar Bahadur S/o Vishnu, his wife Sarita and Manoj Kumar S/o Vishnu, his wife Renu as they have gone beyond their control and are living and acting as per their own wishes. Anyone dealing with above said Kumar Bahadur S/o Vishnu, his wife Sarita and Manoj Kumar S/o Vishnu, his wife Renu shall be doing so entirely at his/her own personal risk and liability.

Sd/-
SUMIT GARG
ADVOCATE
Enrollment No. D/3790/2010

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT
FREE COUNSELLING SESSION

ROHINI
Sat. 29th June 2019
Sun. 30th June 2019
4 P.M. to 6 P.M.

TILAK NAGAR
Sat. 29th June 2019
Sun. 30th June 2019
10 A.M. to 12 P.M.

NIRVANA IAS ACADEMY
Personalised Coaching in Small Batches
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005.
Kindly Register yourself for the Counselling Session

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

You Deserve the Best...
Now in English Medium...
Our Faculty
Manikant Singh
Alok Ranjan
Rameshwar
Srikant Bhagat
Dharmendra (Sociology)
& Others...

GENERAL STUDIES
Foundation Batch
Today
27th June
Time :- 6:30 PM
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011-27658013, 7042772062/63

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

शुक्रवार से शुरू होंगे पहली कटऑफ के आधार पर दाखिले

विषय-वर्ग बदलाव की कटौती पर असमंजस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) स्नातक पाठ्यक्रमों में पहली कटऑफ के आधार पर शुक्रवार से दाखिले शुरू होने हैं लेकिन अभी तक विश्वविद्यालयों की ओर से कॉलेजों को स्ट्रीम (विषय-वर्ग) बदलाव की कटौती को लेकर कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। इससे कॉलेजों में भ्रम की स्थिति है। गुरुवार को उन्हें कटऑफ तय करके विश्वविद्यालयों को भेजनी है, लेकिन जब तक स्ट्रीम बदलाव की कटौती तय नहीं होती है, तब तक कटऑफ को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

डीयू से संबद्ध एक कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि डीयू की ओर से अभी तक स्ट्रीम बदलाव की कटौती को लेकर कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। दरअसल, बीए प्रोग्राम पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक कॉमर्स और विज्ञान के विद्यार्थियों को स्ट्रीम बदलाव की कटौती का सामना करना पड़ता है। पिछले साल यह कटौती 0 से 5 फीसद तक थी। 2018 तक इस कटौती के संबंध में डीयू की ओर से जारी होने वाली विवरणिका में भी जानकारी दे दी जाती थी लेकिन इस बार अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश कॉलेजों को नहीं मिला है। मंगलवार को सभी कॉलेजों के नोडल अधिकारियों (दाखिला) की विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में भी कई सवाल स्ट्रीम बदलाव को लेकर पूछे गए थे लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से उस दौरान भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया।

ईडब्लूएस की कटऑफ को लेकर भी भ्रम की स्थिति

मंगलवार को हुई बैठक में सबसे अधिक सवाल ईडब्लूएस कोटे की कटऑफ को लेकर पूछे गए। कॉलेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे गैरआरक्षित और ईडब्लूएस कोटे की अलग-अलग कटऑफ जारी करें या एक जैसी। इसको लेकर भी डीयू ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं और कॉलेजों को अपने हिसाब से तय करने के लिए कहा है।

हरियाणा महा उद्योग संगम 28 को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन सरीन ने कहा कि 28 जून को हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हरियाणा महा उद्योग संगम-2019 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सूबे के करीब एक हजार से अधिक उद्योगपति एक ही मंच पर जमा होंगे।

राजधानी स्थिति हरियाणा भवन में संवाददाताओं से बातचीत में सरीन ने बताया कि सुबह से शाम तक चलने वाले इस हरियाणा महा उद्योग संगम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश, हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल के अलावा केंद्र व राज्य के आला अधिकारी शिरकत करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रतिवर्ष करीब एक लाख रोजगार सृजित करने, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने आदि पर चर्चा होगी।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
शाखा -तिलक रोड देहरादून

शुद्धिपत्र (ई-नीलामी बिक्री सूचना)

दिनांक 26.06.2019 को जनसत्ता हिन्दी समाचार पत्र (दिल्ली संस्करण) में "ई-नीलामी बिक्री सूचना" प्रकाशित की गई है, **ऋणी: मेसर्स शुभरिका कंटेनर (शाखा -तिलक रोड देहरादून) बंधक सम्पत्ति नं0 2 की रिजर्व मूल्य** रू0 238000/- त्रुटिवश गलत छप गई है जिसके स्थान पर सही रिजर्व मूल्य **रू0 23,80,000/-** पढ़ी जाये। अन्य सभी नियम व शर्तें पूर्ववत ही रहेगी।

दिनांक: 26.06.2019 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी

यूवी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : 1304, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

शुद्धिपत्र

फाइनांसियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता समाचार पत्र में 23.06.2019 को प्रकाशित बिक्री के लिये हमारी सार्वजनिक सूचना पर ध्यान दें। इस संदर्भ में सूचना में धरोहर राशि भुगतान मूल्य का उल्लेख गलत किया गया है, कृपया धरोहर राशि भुगतान की राशि रु. 11.50 करोड़ पढ़ें।

अन्य सभी विवरणों तथा नियमों एवं शर्तों अपरिवर्तित रहेंगे।

तिथि: 26.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली (यूवी एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.)

गुडईयर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद)-121004, हरियाणा, भारत
टेलीफोन: 0129-6611000, **फैक्स:** 0129-2305310
कॉर्पोरेट कार्यालय: 1ला तल, एबीडब्ल्यू एलीगैन्स टावर, प्लॉट नं. 8, कॉमर्सियल सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025, भारत
ईमेल: goodyearindia.investorcell@goodyear.com, **वेबसाईट:** www.goodyear.co.in

शेयरों के प्रस्तावित अंतरण के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") ने अधोलिखित विवरणों के अनुसार सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओएस 3/ सीआईआर/पी/2018/139 तिथि 06 नवम्बर, 2018 ("सेबी सर्क्युलर") के अनुपालन में कम्पनी की भौतिक शेयरों के अंतरण के लिये अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए), स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय डी-153/ए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में है, फोन नं. 011-40450139/97 के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्राप्त किया है:

फोलियों नं.	अंतरकों का नाम	अंतरिती का नाम	प्रमाण पत्र सं.	शेयरों की सं.	विशिष्ट सं.	
					से	तक
84930	श्री नंद किशोर राठी एवं श्रीमती कान्ता देवी राठी	श्री महेश कुमार लखोटिया	216751	100	14004731	14004830
86999	श्री मुरारी लाल राठी एवं श्री नंद किशोर राठी	श्री महेश कुमार लखोटिया	68634	16	2272282	2272297
			68632	16	2272258	2272273
			78295	16	2506544	2506559
			78272	16	2506229	2506244
			69028	16	2291504	2291519
			45198	15	1878866	1878880
			8599	5	1644086	1644090
69173	श्रीमती नीलिमा चटर्जी	संतोष लखोटिया	206584	100	13337568	13337667
			185620	100	5084796	5084845
					7371107	7371138
					5084765	5084782
71963	श्रीमती भवानी रानी देवी एवं श्री हीरेन्द्र नाथ चटर्जी	संतोष लखोटिया	4802	5	1625101	1625105
			094020	13	2571088	2571100

उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा सेबी सर्क्युलर के दिशा-निर्देशों के आधार पर कम्पनी उपरोक्त विवरणों के अनुसार भौतिक शेयरों को अंतरित करने का प्रस्ताव करती है। यदि किसी व्यक्ति(यों) का शेयरों के उपरोक्त प्रस्तावित अंतरण के संदर्भ में कोई दावा/आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन की 30 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त पते पर कम्पनी अथवा उसके आरटीए के पास उसे दाखिल करें। 30 दिनों की अवधि की पूर्णता के उपरांत किसी भी दावे/आपत्ति पर विचार नहीं की जायेगी तथा कम्पनी लागू होने वाले/निर्धारित सेबी के दिशा निर्देशों/नियमों/विनियमनों/सर्क्युलर्स के अनुसार आगे कोई सूचना दिये बिना उपरोक्त शेयरों के अंतरण पर विचार करेगी।

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अनुप कर्नवाल
(कम्पनी सचिव)

तिथि: 26 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची I
फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017)

वाइबर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ

1.	कॉरपोरेट व्यक्ति का नाम	वाइबर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉरपोरेट व्यक्ति के शामिल होने की तिथि	19.12.2014
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति शामिल / पंजीकृत है	कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी के दिल्ली और हरियाणा.
4.	कॉरपोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट व्यक्ति की सीमित देयता पहचान संख्या	U74140HR2014FTC054055
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का रजिस्टर्ड कार्यालय और प्रिंसिपल कार्यालय (यदि कोई) का पता	यूनिट न0 117 1 फ्लोर, गोल्फ कोर्स रोड ग्लोबल फ्लोयर बिल्डिंग, सेक्टर-43 गुड़गांव, 122002 इंडिया
6.	कॉरपोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि	15 जनवरी, 2018
7	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समापन की तिथि	30 सितम्बर, 2019 को अपेक्षित
8.	नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और परिसमापक का रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम: तरुण जग्गी पता: ए-1/292, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058, इंडिया ईमेल आईडी: TARUNJAGGI@GMAIL.COM टेलीफोन न0: 011-4173-1351 पंजीकरण सं0. IBBI/IPA-001/IP-P00113/2017-18/10220
9.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26 जुलाई, 2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **वाइबर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने 15 जनवरी, 2018 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

वाइबर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को आइटम 8 के सामने दिए गए परिसमापक के पते पर 26 जुलाई, 2019 तक या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाण के साथ अपने दावों को जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार प्रमाण के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्माना देना होगा।

सार्वजनिक घोषणा करने में देरी हुई है।

एसडी/-
तरुण जग्गी
परिसमापक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून, 2019

यमुना जल टैक्सी परियोजना पर कवायद तेज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

● नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने किया सोनिया विहार जल टैक्सी योजना स्थल का निरीक्षण

यमुना में जहाज चलाकर दिल्ली वालों को पर्यटन व परिवहन की नई सुविधा देने को लेकर केंद्र सरकार के नौवहन मंत्रालय ने कवायद तेज कर दी है। नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने बुधवार को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्लूएआइ) की यमुना जल टैक्सी परियोजना के सोनिया विहार स्थित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। आइडब्लूएआइ ने पर्यटन के उद्देश्य से दिल्ली में यमुना नदी को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।

परियोजना स्थल पर मंडाविया ने कहा कि यमुना जल टैक्सी परियोजना शहरी परिवहन का एक नया साधन होगा। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करेगा। यमुना जल टैक्सी परियोजना की कल्पना एक एकीकृत विकास परियोजना के रूप में की गई है, जिसमें टर्मिनल विकास और जहाजों के संचालन जैसे कई कार्य शामिल हैं। परियोजना की कुल लंबाई 16 किलोमीटर है और इसमें दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पांच स्थान शामिल हैं, जिनमें फतेपुर जाट, ट्रोनिका सिटी, जगतपुर, सोनिया विहार और वजीराबाद शामिल हैं। इसे दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है-पहला चरण-सोनिया विहार से ट्रोनिका सिटी और दूसरा चरण-वजीराबाद से सोनिया विहार तथा ट्रोनिका सिटी से फतेहपुर जाट तक। परियोजना में यमुना में पर बहु-ईंधन स्रोतों पर जहाजों को संचालित करने का भी प्रस्ताव है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।

दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी पहनेंगे हथकरघा से तैयार परिधान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले गाउन के स्थान पर जल्द ही हथकरघा से तैयार परिधान ले लेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है।

यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से कहा गया है कि यूजीसी ने 15 जुलाई 2015 को लिख पत्र में कहा था कि विश्वविद्यालयों को विभिन्न समारोहों में हथकरघा वस्त्र से तैयार परिधानों को पहनने पर जोर दिया जाए। इससे न केवल भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति होगी बल्कि गरमी और नमी के मौसम में अधिक आरामदायक होगा। इसके अलावा परिधानों के लिए हथकरघा वस्त्रों का अधिकाधिक उपयोग करने से देश में हथकरघा उद्योग बढ़ावा मिलेगा।

इसी को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे दीक्षांत समारोह आदि विशेष अवसरों के लिए परिधानों के लिए हथकरघा के वस्त्रों का उपयोग करने पर विचार करें। प्रोफेसर जैन की ओर से कुलपतियों से यह अनुरोध भी किया गया है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के उठाए कदमों के बारे में यूजीसी को भी अवगत कराएं।

हिंदी विषय पर मांगा सुझाव : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्यार्थियों की ओर से विश्वविद्यालय पर स्नातक पाठ्यक्रमों में हिंदी अनिवार्य करने का आरोप यूजीसी के जिस पत्र के हवाले से लगाया गया था, वह विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगने के लिए लिखा गया पत्र था। यूजीसी ने इस संबंध में बताया कि उस पत्र का आशय हिंदी विषय के अध्यापन के बाबत विश्वविद्यालयों से उनके मत और सुझाव प्राप्त करना था। यूजीसी की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थान हैं और किसी भी विषय को पढ़ाने संबंधी निर्णय उनके कार्य क्षेत्र के अधीन हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि मै. संचेतना फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड ("कम्पनी") जिसका पंजीकरण संख्या U65910DL1995PTC074281 है, एक नान बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है तथा उसके पास एनबीएफआई का व्यवसाय करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बी-14.00025 तिथि 14 मई, 2009 के माध्यम से पंजीकरण का एक वैध प्रमाणपत्र है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी नान सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट नान-डिपोजिट टैकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 के चैप्टर IX (अर्थात् एप्लिकेबल एनवीएफसीज के अधिग्रहण/नियंत्रण) के निर्देश सं. 59 से 62 के प्रावधान के अनुपालन में कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के परिवर्तन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आवेदन जमा किया था। उक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति सं. डी.एन.बी.एस. (एन.डी.) नं. 5999/सीएमएस-VIII/05.19.432/2018-19 तिथि 21 जून, 2019 के माध्यम से कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के परिवर्तन की स्वीकृति को अपनी मंजूरी दी है।
तदनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद कम्पनी का नियंत्रण तथा प्रबंधन जो वर्तमान में श्री नीरज प्रतीक तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के हाथ में है, श्री विनोद कुमार राई, सुश्री बिन्दु राई, श्री नंद कुमार तुका राम, मै. मा भगवती सैल्स तथा अन्यों के नाम में संयुक्त रूप से निहित हो जायेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया जायेगा तथा कम्पनी के वर्तमान निदेशकों, नाम श्री नीरज प्रतीक त्याग-पत्र देंगे तथा शेष निदेशकों नाम श्री विनोद कुमार राई तथा गौरव कुमार राई कम्पनी के निदेशकों के रूप में बने रहेंगे।
चूंकि, प्रस्तावित नये प्रबंधन के पास बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा दक्षता है तथा कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के उक्त परिवर्तन के कारण नये प्रबंधन की अनुभव तथा दक्षता से कम्पनी के व्यावसायिक क्रियाकलापों में उन्नति होगी तथा सभी स्टेकधारकों की मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी होगी।
क्रेडीटर सहित किसी भी व्यक्ति को यदि कम्पनी के नियंत्रण एवं प्रबंधन में इस प्रस्तावित परिवर्तन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं महा प्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षक विभाग (डीएनबीएस), भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली-110001 को लिखें।
यह सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनीज नान सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट नान-डिपॉजिट टैकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2016 के निर्देश सं. 62 के अनुपालन में अंतरक(कों), अंतरिती(तियों) तथा कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से दी जा रही है।
द्वारा जारी
मै. संचेतना फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
ऊपर वर्णित अंतरकों
ऊपर वर्णित अंतरितियों

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक
शाखा: ग्रेटर नोएडा
एस.एल. टावर्स, अल्फा- I कमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.)

क्र. सं.	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा प्रो0 मेसर्स श्री कृष्णा ट्रेडर्स मकान/ खेत नंबर 765, गांव बिसरख जलालपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, (यू.पी.) इसके अलावा रामू मार्केट, गाँव ऐछार, सेक्टर-पी -2, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. - 201308	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति मकान/ खेत नंबर 765, खसरा नंबर 765, गांव बिसरख जलालपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जय चंद शर्मा के नाम।** क्षेत्रफल 315.27 वर्ग गज या 263.70 वर्ग मीटर। **सीमाएँ:-** पूर्व: प्लॉट मैदान, पश्चिम : 14 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: प्लॉट मैदान, दक्षिण: बिसरख हलदोनी रोड।	26.06.2019 नोटिस के अनुसार देय राशि रु0 20,22,394.00 दिनांक 26.06.2019 तक + ब्याज व अन्य खर्चे

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग/कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया/ लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप मे अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते है
आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

दिनांक 26.06.2019 स्थान: ग्रेटर नोएडा प्राधिकृत अधिकारी

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री अनुराग सक्सेना ऋण खाता सं. 583338089	30-अप्रैल-18* को बकाया रु. 14,39,648/- (केवल चौदह लाख उनतालीस हजार छह सौ अड़तालीस रुपए)	26-जून -2018	21-जून -2019 (भौतिक)	हाउस नं0 3101, द्वितीय तल, यू.पी. आवास विकास परिषद, सैक्टर - 4बी, वसुंधरा, गाजियाबाद और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
2.	श्री कुलदीप सिंह (मृतक कर्जदार स्वर्गीय श्रीमती हरमिंदर कौर के कानूनी प्रतिनिधि और मृतक कर्जदार स्वर्गीय श्रीमती हरमिंदर कौर के कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि श्री प्रंजुल सिंह के अभिभावक) एवं श्री अवतार सिंह भुल्लर (गारंटर) ऋण खाता सं. 603618469	30-नवम्बर-17* को बकाया रु. 20,02,639/- (केवल बीस लाख दो हजार छह सौ उनतालीस रुपए)	11-दिसम्बर -2017	22-जून -2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 62, ग्राउण्ड फ्लोर, महागुन मेस्कोटवालेंसिया, प्लॉट नं0 5, सैक्टर-11, धुंधेरा, गाजियाबाद - 201011, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
3.	श्रीमती शालिनी ढांडा ऋण खाता सं. 589379118	30-जून-18* को बकाया रु. 1,26,72,356/- (केवल एक करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ छप्पन रुपए)	08-अगस्त -2018	26-जून -2019 (भौतिक)	8-बी, टाटा रायसीना रेजीडेन्सी - वेनेशिया, सैक्टर-59, गुड़गांव और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।
जैसा कि उपरोक्त वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए विशेषकर कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) एवं सामान्यतः आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित तिथियों को उपर्युक्त अचल सम्पत्ति(यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) का **भौतिक कब्जा** ले लिया है।
विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।
अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।
लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 27.06.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
एआरएमबी, पहला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110025
फोन नं: 25854327, 25853243, ईमेल: bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/गारन्टरों ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/गारंटरों को "जान-बूझकर चूककर्ता" घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/गारंटरों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिए बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्यवाई शुरु की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

श्री विनोद अरोड़ा

खाता का नाम: **मै. हाईटेक गार्मेन्ट्स कं.**
एनपीए की तिथि: 31.12.2011
बकाया राशि: रु. 100.00 लाख तथा 01.12.2011 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 300.00 लाख

श्री प्रवीण कुमार बंसल

खाता का नाम: **मै. इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी**
एनपीए की तिथि: 13.03.2009
बकाया राशि: रु. 299.20 लाख तथा 01.06.2019 से ब्याज लागत
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 390.00 लाख

श्रीमती इश्मा अरोड़ा

खाता का नाम: **मै. वी के इन्टरनेशनल**
एनपीए की तिथि: 16.03.2012
बकाया राशि: रु. 158.03 लाख तथा 01.03.2012 से ब्याज लागत
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 220.00 लाख

देवेन्दर पाल सिंह कोहली

भूपिन्दर सिंह साव्हनी

गुरमीत सिंह साव्हनी

खाता का नाम: **मै. कुटन्स रिटेल्स इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में)**
एनपीए की तिथि: 31.03.2013
बकाया राशि: रु. 8841.00 लाख तथा 31.03.2019 से ब्याज लागत
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु.8888.00

श्री मनमोहन सिंह

खाता का नाम: **मै. मॉडर्न मशीन टूल्स**
एनपीए की तिथि: 01.07.2013
बकाया राशि: रु. 777.14 लाख तथा 01.07.2013 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 810.00 लाख

श्री सुभाष चन्द वाधवा

खाता का नाम: **मै. प्रशान्त ट्रेडर**
एनपीए की तिथि: 01.10.2012
बकाया राशि: रु. 386.05 लाख तथा 01.10.2012 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 387.76 लाख

श्री पी.के. तिवारी

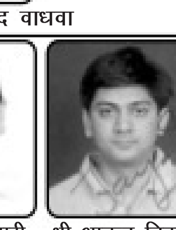
श्री आनन्द तिवारी

खाता का नाम: **मै. पर्ल विजन प्रा. लि.**
एनपीए की तिथि: 31.12.2011
बकाया राशि: रु. 5156.26 लाख तथा 31.12.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 6117.00 लाख

श्री पी.के. तिवारी

श्री आनन्द तिवारी

खाता का नाम: **मै. पिक्सन मीडिया प्रा. लि.**
एनपीए की तिथि: 31.12.2011
बकाया राशि: रु. 4064.02 लाख तथा 31.12.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 5500.00 लाख

श्री पी.के. तिवारी

श्री आनन्द तिवारी

खाता का नाम: **मै. सेंचुरी कम्युनिकेशन लि.**
एनपीए की तिथि: 31.12.2011
बकाया राशि: रु. 1767.44 लाख तथा 31.12.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 3865.00 लाख

श्री एस.पी.सिंह

खाता का नाम: **मै. डायनैमिक शेल्स (इंड) प्रा. लि.**
एनपीए की तिथि: 31.12.2011
बकाया राशि: रु. 2777.95 लाख तथा 31.12.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 3143.71 लाख

श्री विनीत कुमार

खाता का नाम: **मै. टेम्पटेशन फूड्स लि.**
एनपीए की तिथि: 31.03.2011
बकाया राशि: रु. 5316.79 लाख तथा 31.03.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 11500.00 लाख

श्री दिनेश चावला

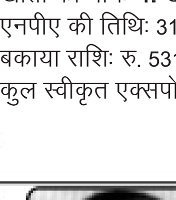
श्री अरुनाभा बिस्वास

खाता का नाम: **मै. पी एस आई इन्फोटेक**
एनपीए की तिथि: 15.03.2011
बकाया राशि: रु. 80.87 लाख तथा 15.03.2011 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 100.00 लाख

श्री राकेश गुप्ता

श्री ऋषि गुप्ता

खाता का नाम: **मै. एस. आर. फ्वॉइल्स एण्ड टिस्स्यूज लि.**
एनपीए की तिथि: 31.03.2014
बकाया राशि: रु. 296.28 लाख तथा 31.03.2019 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 300 लाख

तिथि: 25.06.2019, स्थान: दिल्ली शाखा इन्कम्बैन्ट

लूटपाट के इरादे से की गई थी हत्या, दो गिरफ्तार

वसंत विहार तिहरा हत्याकांड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

दिल्ली के वसंत विहार में एक बुजुर्ग दंपति और उनकी नर्सिंग सहायक की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला (42) और उसके सहजीवन साथी को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग दंपती की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई। गिरफ्तार प्रीति सहरावत और मनोज भट्ट को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। प्रीति शशि माथुर की सहयोगी की बेटी है। आरोपियों के पास से हीरे और सोने के जेवरात, 86 हजार रुपए नकद, मोटरसाइकिल और कुछ अन्य सामान मिले हैं।

अपराध शाखा के विशेष आयुक्त सतीश गोलचा ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग दंपति विष्णु माथुर, शशि माथुर और उनकी नर्सिंग सहायक खुशबू नौटियाल के शव रविवार की सुबह वसंत अपार्टमेंट, वसंत गांव में मिले थे। उनका गला रेता गया था। जांच आगे बढ़ी तो माथुर दंपति की बेटी ने अहम जानकारी पुलिस की दो। बेटी ने बताया था कि अचानक उनकी मां की सहयोगी रही एक महिला की बेटी प्रीति सहरावत उर्फ मोना कुछ दिन पहले घर आई थी और फिर पूरी रात घर में रहकर दूसरे दिन गई थी। प्रीति ने माथुर की बेटी से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी। प्रीति माथुर की नर्सिंग सहायक खुशबू का फोन नंबर लेकर गई थी

और दोनों आपस में बातचीत भी करती थीं। प्रीति गुरुग्राम में रहती है। उसने होटल प्रबंधन का पाठयक्रम करने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर-9 में रेस्तरां का व्यापार शुरू किया, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। 2000 में उसकी शादी निकोलस नामक एक युवक से हुई और जो 2005 में कनाडा में चली गई। तीन साल पहले जन्मदिन की पार्टी के दौरान प्रीति का परिचय मनोज भट्ट से हुआ। शुरू में दोनों ने साथ व्यापार किया लेकिन घाटा होने के बाद वे व्यापार छोड़ पैसे की जुगत में लग गए। प्रीति और मनोज दोनों सहजीवन साथी के रूप में साथ रहने लगे।

एनजीटी ने हज हाउस से सील हटाने से किया इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को जल मल शोधन संयंत्र लगाने में नाकाम रहने पर गाजियाबाद के हज हाउस से सील हटाने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के अर्थला गांव स्थित हज हाउस हिंडन नदी के निकट स्थित निर्माणाधीन सात मंजिला इमारत है और इसे पिछले साल सील कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदेश हज समिति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बड़ी पीठ इस मामले में पहले ही आदेश पारित कर चुकी है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश हज हाउस कमेटी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि घरेलू अशुद्ध जल के शोधन के लिए 136 किलो लीटर प्रतिदिन का जल मल शोधन संयंत्र लगाया जाए।

एनजीटी ने कहा कि हज हाउस को सीमित समय के लिए सील हटाने की अनुमति दी गई थी और हज हाउस ने अब तक जल मल शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किया है। इससे पहले एनजीटी ने गाजियाबाद के हज हाउस की इमारत को ढहाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने गृह कर किया दोगुना

कांग्रेस करेगी आंदोलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

सीलिंग के खिलाफ न्याय युद्ध चलाकर राजधानी की सियासत को गरमाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स (गृह कर) को दोगुना करने के निर्णय के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का एलान किया है। निगम द्वारा पार्किंग पर भी शुल्क लगाने और इमारतों के नक्शे पास करने के शुल्क को दोगुना किए जाने की तैयारी का दावा करते हुए दिल्ली के तमाम कांग्रेसियों का आह्वान किया कि वे जनहित के इस मुद्दे पर सड़क पर उतरें और भाजपा शासित नगर निगमों की जोरदार मुखालफत करें।

कांग्रेस नेता शर्मा ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उन संपत्तियों से दोगुना गृह कर वसूलने का आदेश जारी किया है जिनमें किराएदार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाकी गृह स्वामियों से भी इसी दर से गृह करों की वसूली होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कोई ऐसी अनधिकृत कॉलोनी नहीं है जहां लोगों ने मकानों में दुकान

शर्मा बोले, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के फैसले से जनता में रोष

नहीं खोल रखी हो। लिहाजा, नगर निगम का यह फैसला गरीब लोगों को दिल्ली से भगाने का षडयंत्र है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने मकान को किराए पर लगाकर उससे अपना खर्च चलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी निगम का यह फैसला घोर अन्याय करने वाला है।

शर्मा ने कहा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के इस आदेश का कम से कम सूबे के 30 विधानसभा क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अभी यह आदेश केवल उन संपत्तियों के लिए लागू किया गया है जिनमें किराएदार रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम संपत्तियों को इसके दायरे में लिया जाएगा। दूसरी ओर अभी यह आदेश केवल दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने जारी किया है लेकिन जल्दी ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी यह आदेश लागू हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने निगम के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे नजफगढ़ से इस आदेश के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आवश्यक हुआ तो जेल भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल केवल इमारतों के गृह कर को दोगुना करने का नहीं है बल्कि पार्किंग पर भी गृह कर लगाया जा रहा है। इससे भी दुःखद बात यह है कि पिछले दो महीने से दिल्ली में मकान बनाने के नक्शे इसलिए पास नहीं किए जा रहे क्योंकि इसी महीने के अंत से यह राशि भी दोगुनी की जा रही है। लोगों से नक्शे लेकर जमा कर लिए गए हैं लेकिन उनको पास नहीं किया जा रहा, ताकि बढ़ी हुई लाखों रुपए की दर वसूल कर इन्हें पास किया जाए।

गुस्सा जंतर मंतर पर झारखंड में हुई भीड़ की हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी। फोटो : आरुष चोपड़ा

नरेला और रंजीत नगर में लगी आग, लोगों को सुरक्षित निकाला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

बाहरी दिल्ली के नरेला में बुधवार की सुबह एक किराने की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के दो बच्चों सहित सात लोग झुलस गए। इन्हें राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सभी घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग लगने की वजह फ्रिज के सिलेंडर में विस्फोट बताया जा रहा है। सिलेंडर फटने से धमाका भी हुआ। उधर, रंजीत नगर में बुधवार शाम एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। व्यावसायिक परिसर के दूसरी मंजिल पर लगी आग में यहां भी सात लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी के मुताबिक हादसे में आठ साल का आयुष और चार साल का विजय 20 फीसद झुलस गया। सोलह

फाइल फोटो

साल के महेश और 15 साल के राजू राम मामूली रूप से झुलस गए। वहीं, 25 साल के भगवान स्वरूप 35 फीसद और 22 साल का सतपाल 40 फीसद झुलस गया। दमकल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि घटना में 23 वर्षीय अमरजीत 80 फीसद झुलस गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। दमकल विभाग के मुताबिक उसे सुबह चार बजकर 39 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दो दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। सुबह पौने सात बजे आग पर काबू पा लिया गया। ऐसा संदेह है कि आग दुकान में लगे बिजली के मीटर से लगी।

अज्ञात बदमाशों ने चालक पर चलाई गोली, मौत

फरीदाबाद, 26 जून (जनसत्ता)।

बाइपास रोड पर कैली गांव के पास बुधवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक कार चालक के सिर में गोली मार दी। सिर पर गोली लगने से कार का संतुलन बिगड़ गया और ग्रीनबेल्ट पर लगे एक खंभे से जा टकराई। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायल व्यक्ति को सेक्टर-8 के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए पुलिस आयुक्त संजय कुमार से परिजनों ने मुलाकात की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया गया है।

बल्लभगढ़ के गांव हीरापुर में प्रवीन (35) अपने परिवार के साथ रहता था। वह सीकरी गांव में स्थित टाटा मोटर्स के एक शोरूम के एचआर विभाग में काम करता था। अन्य दिनों की तरह बुधवार सुबह भी प्रवीन अपनी कार से काम पर जा रहा था। कैली गांव से गुजरते समय अचानक एक कार प्रवीन की कार के बराबर में चलने लगी। तभी यह घटना घटी।

गोली मारने की धमकी देकर लूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

समयपुर बादली में हथियारबंद बदमाशों ने एक कंटेनर चालक को गोली मारने की धमकी देकर लूट लिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित चालक के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

भानू प्रताप सिंह परिवार के साथ सिरसपुर में रहता है। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चालक की नौकरी करता है। मंगलवार रात वह अलीपुर से कंटेनर में पॉलिथीन लेकर मोदी नगर गया था। देर रात वापस अलीपुर की तरफ आ रहा था तभी स्वरूप नगर बस स्टैंड पर दो ट्रक उसके आगे खड़े थे। रास्ता नहीं होने के कारण उसने कंटेनर सड़क किनारे खड़ा कर दिया। अचानक चार बदमाश उसके कंटेनर में घुस गए। एक बदमाश ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी देकर उसके साथी ने उसकी जेब से पर्स निकाल लिया। पर्स में कई हजार रुपए, मोबाइल फोन व अन्य कागजात रखे हुए थे। बदमाश कंटनेर के कैबिन में सामान इधर-उधर करते रहे और फरार होने से पहले कंटेनर की चाबी निकालकर बाहर फेंक दी। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया

शराब तस्कर गिरफ्तार

हरियाणा से अवैध रूप से शराब लाकर दिल्ली के बोर्डर में बेचने वाले दो शातिर शराब तस्करों को पीसीआर पर तैनात पुलिस टीम ने पकड़ा है। आरोपियों की पहचान मुकेश और अहशान के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से दो सौ शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। अलीपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार रात पीसीआर के इंस्पेक्टर श्रीकृष्ण की देखरेख में एएसआइ रोहताश कुमार, कांस्टेबल जगमेंद्र और ड्राइवर कांस्टेबल पवन सिंधु बोर्डर पर तैनात थे। तभी उन्होंने आरोपियों को पकड़ा।

अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में शामिल हुए आला अधिकारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अंतरराज्यीय स्तर के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारियों के साथ, हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित रेलवे के आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में अंतरराज्यीय स्तर पर बदमाशों की धड़पकड़ के लिए आपस में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने और अवरोधक लगाकर जांच करने पर जोर दिया गया। नशीले पदार्थों की तस्करी और मकोका जैसे आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई करने का बल दिया गया।

हवाई अड्डे से 1.75 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 1.75 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा के साथ दो महिलाओं को पकड़ा है। बरामदगी दो अलग-अलग मामले में हुई है। बल के प्रवक्ता के मुताबिक बुधवार तड़के दुबई से मरयम गरबा नामक महिला को 1.61 करोड़ विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया। उसने अपने बैग में मुद्रा छिपा रखा था। जबकि एक अन्य मामले में सऊदी अरब के रहने वाली समर अहमद के पास से 14.25 लाख विदेशी मुद्रा बरामद की गई। वह सऊदी की एक विमान से दिल्ली आई थी।

मांग राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की मांग करते युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता।

तैयारियां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं की बैठक शुक्रवार को

हिलेगी शीला की कुर्सी या फिर चाको की होगी छुट्टी?

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 26 जून।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं से लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की वजह जानेंगे और राज्य में कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के साथ सूबे के कांग्रेसी दिग्गजों की इस पहली बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित से लेकर प्रभारी पीसी चाको तक को हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद आम आदमी पार्टी (आप) को नीचे धकेलकर दिल्ली में दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब रही कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारी असमंजस में है। चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं लेकिन यह तय नहीं है कि कांग्रेस, लोकसभा की चुनावी हार के बाद पद से इस्तीफा दे चुकीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीक्षित की ही अगुआई में विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर किसी और नेता को चेहरा बनाया जाएगा। दूसरी ओर यह भी देखना दिलचस्प है कि अपनी नियुक्ति के बाद से सूबे में कांग्रेस की चार-पांच हार देख चुके दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको को विधानसभा चुनाव के लिए भी पद पर बने रहने की मोहलत दी जाएगी या नहीं?

शीला दीक्षित खेमे के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से दीक्षित के इस्तीफे को इसलिए बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि अकेले उन्होंने ही नहीं, बल्कि 24 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दीक्षित को हटाने के पक्ष में नहीं है, अलबत्ता प्रदेश के प्रभारी चाको की छुट्टी जरूर हो सकती है

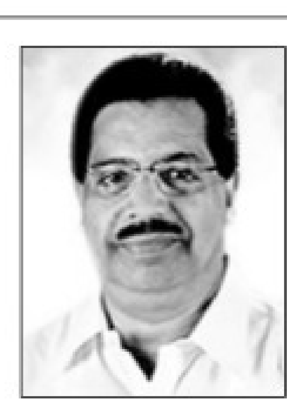

चाको के करीबी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने अब तक शीला दीक्षित के इस्तीफे को अस्वीकार भी नहीं किया है। जाहिर है कि जब तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक माना जाना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये है कि अपनी नियुक्ति के बाद से सूबे में कांग्रेस की चार-पांच हार देख चुके पीसी चाको को विधानसभा चुनाव के लिए भी पद पर बने रहने की मोहलत दी जाएगी या नहीं?

शीला दीक्षित खेमे के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से दीक्षित के इस्तीफे को इसलिए बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि अकेले उन्होंने ही नहीं, बल्कि 24 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दीक्षित को हटाने के पक्ष में नहीं है, अलबत्ता प्रदेश के प्रभारी चाको की छुट्टी जरूर हो सकती है क्योंकि उनके पद संभालने के बाद से पार्टी लगातार हार रही है और दूसरी ओर वे प्रदेश के तमाम नेताओं को साथ लेकर चलने में नाकाम रहे हैं।

चाको के करीबी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने अब तक शीला दीक्षित के इस्तीफे को अस्वीकार भी नहीं किया है। जाहिर है कि जब तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक माना जाना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित की सेहत पार्टी के लिए मुश्किल चुनौती बनी हुई है। उनके बारे में यह धारणा बन रही है कि बढ़ती उम्र और कमजोर सेहत के कारण वह पहले की तरह पार्टी के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहीं। खास बात यह है कि दीक्षित के तमाम विरोधी नेताओं ने चाको के पक्ष में झंडा थाम रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित के अलावा तीनों प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली और जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, राजेश लिलोठिया व मुक्केबाज बिजेंद्र सिंह के शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों का कहना है कि 28 जून की बैठक के बाद ही तय होगा कि प्रदेश कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बैठक में अगर दीक्षित के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला हुआ तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि चाको की जगह किसी अन्य नेता को दिल्ली का प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि एक संभावना यह भी बनी हुई कि कांग्रेस हाईकमान दीक्षित व चाको दोनों को हटाकर किसी नए चेहरे पर दांव लगा दे।

शहीदों के लिए एकत्रित की धनराशि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 जून।

पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों के लिए साउथ दिल्ली न्यूज पेपर डिस्ट्रिब्युशन वेलफेयर एसोसिएशन की अगुआई में सभी अखबार वितरक बंधुओं व प्रेस के साथियों ने अपनी कमाई से धनराशि एकत्रित की। जगमोहन महलावत की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें एके राय, ओम सिंह राजावत, मनोज कुमार, संदीप भंडारी, प्रदीप कुमार, बीरबल मिश्रा आदि ने विजय कुमार डीआइजी (आइटी) सीआरपीएफ को 1,34,000 का चेक शहीद के खाते में डालने के लिए दिया।

आज के कार्यक्रम

नृत्य

इंडिया हेबीटेट सेंटर: ओडिसी नृत्य, सेंटर ऑडिटोरियम, लोधी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर: प्रदर्शनी, एनेक्स आर्ट गैलरी, सेंटर परिसर, 40 मैक्सम्यूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से।

राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को रक्त कैंसर व अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के अवकाशकालीन पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर राजीव सक्सेना को नोटिस भी जारी कर दिया।

निदेशालय ने राजीव सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति देने संबंधी हाई कोर्ट के दस जून के आदेश को चुनौती दे रखी है। सक्सेना दुबई की कंपनी 'यूएचवाई सक्सेना' और 'मैट्रिक्स होल्डिंग्स' का निदेशक है। 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र में उसे आरोपी बनाया गया है।

पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई और एम्स के निदेशक को सक्सेना की मानसिक व शारीरिक जांच कर तीन हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। अदालत ने सक्सेना के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने के लिए भी कहा कि क्या सक्सेना की बहन और रिश्तेदार रक्त कैंसर व अन्य रोगों के इलाज के लिए उसे बाहर जाने देने के लिए गारंटी के तौर पांच-पांच करोड़ रुपए की जमानत राशि जमा करने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि अन्य अपराधों से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और सीबीआइ सक्सेना के खिलाफ जल्द ही आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने जा रही है। मेहता ने कहा कि सक्सेना भारत लौटेंगे या नहीं यह प्रश्न ही बेमानी है और नए तथ्यों के आलोक में उसे विदेश जाने की अनुमति देने वाले आदेश की विवेचना की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में एक पक्षकार बनने के लिए सीबीआइ ने भी आवेदन दायर किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ एक प्राथमिकी के आधार पर स्वतंत्र जांच कर रही है। यह जांच प्रवर्तन निदेशालय की जांच से अलग है।

निदेशालय ने सक्सेना की याचिका पर पहले आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत में उसकी जड़ें नहीं हैं और अगर उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई तो हो सकता है कि वे वापस ही नहीं लौटे। इसने कहा कि सक्सेना की बीमारी का इलाज भारत में भी है और सरकारी गवाह सिर्फ अपराध में अपनी भूमिका का ही खुलासा नहीं कर रहा है बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में भी बता रहा है।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं : सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के तहत परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच साल में परमाणु कार्यक्रम को बल मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के तहत परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर संतोख सिंह अहलावत के पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि हमारे लिए 'सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में' है। देश में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं है।

परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित प्रश्न के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में परमाणु ऊर्जा आने वाले समय में बिजली का मुख्य स्रोत होगी। देश में अनेक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि देश में अगले कुछ साल तक हर वर्ष एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार-पांच साल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे देश में परमाणु कार्यक्रम को बल मिला है।

बीकानेर हाउस पर 18.70 लाख का जुर्माना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

दिल्ली सरकार के वन विभाग ने बीकानेर हाउस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं करने के लिए 18.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने बीकानेर हाउस परिसर में पेड़ के तनों के आसपास कंक्रीट के फर्श को हटाए जाने का आदेश दिया था। अधिकरण ने 23 अप्रैल, 2013 को निर्देश दिए थे कि पेड़ों के तनों के आसपास एक मीटर के दायरे में कंक्रीट का फर्श नहीं होना चाहिए, ताकि पेड़ों का बेहतर विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकरण ने 2013 में वकील आदित्य प्रसाद की एक याचिका पर यह आदेश दिया था। एनजीटी के आदेश पर दक्षिणी दिल्ली के वन उप संरक्षक और दक्षिणी वन प्रभाग के अन्य अधिकारियों ने सात जून को बीकानेर हाउस परिसर का निरीक्षण किया था और पाया था कि उनके चारों ओर समतल फर्श होने के कारण 187 पेड़ दब चुके हैं।

गार्ड की आंखों में मिर्ची झोंक बाल सुधार गृह से तीन बाल अपराधी फरार

मुरैना, 26 जून (जनसत्ता)।

यहां के सरकारी बाल संरक्षण गृह से मंगलवार रात तीन बाल कैदी सुरक्षाकर्मी की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक कर भाग गए। तीनों भिंड जिले के रौन थाने में घटित हत्या, हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे। नाबालिग होने के नाते इन्हें बाल अपराध बोर्ड के सामने सुनवाई के लिए भिंड से यहां भेजा गया था। एक साल में इस बाल संरक्षण गृह से बाल अपराधियों के फरार होने की यह तीसरी घटना है।

जेल में तमंचे का वीडियो, चार कारागार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई

लखनऊ, 26 जून (भाषा)।

उन्नाव जेल में एक कैदी के कथित तमंचा लेकर फिल्मी अंदाज में खड़े होने और बैरक में खाने-पीने की चीजें रखी होने संबंधी वीडियो के मामले में हेड जेल वार्डर समेत चार कारागार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

गृह विभाग के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उन्नाव जेल से संबंधित एक वीडियो में हत्या का सजायाफ्ता अमरीश और कई मामलों में जेल में बंद गौरव प्रताप सिंह तमंचा लहराते दिखते हैं। इसके अलावा बैरक में खाने-पीने की चीजें भी दिख रही हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक (कारागार) आनंद कुमार ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि मामले की जांच में पता चला है कि जेल में कुछ कर्मचारियों की मदद से जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए यह घटना अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जेल के हेड वार्डर माता प्रसाद, हेमराज, जेल वार्डर अवधेश साहू और सलीम खां की मिलीभगत पाई गई है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुमार ने बताया कि वायरल हुआ वीडियो फरवरी माह का वीडियो है। इसमें दिख रहे बंदी अमरीश को मेरठ से जबकि गौरव को लखनऊ से उन्नाव जेल लाया गया था। इस बीच, राज्य पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक मामले की छानबीन में पता चला है कि बंदी गौरव बहुत अच्छा पेंटर है और वीडियो में जो तमंचा दिख रहा है, वह मिट्टी का बना है। इसके अलावा खाने-पीने की जो चीजें वीडियो में दिखायी दे रही हैं, वह जेल में बंदियों को नियमित रूप से दी जाने वाली सामग्री है।

बेकाबू एसयूवी ने फुटपाथ पर सो रहे बच्चों को कुचला

तीन बच्चों की मौके पर ही मौत, एक का पांव टूटा

पटना, 26 जून (भाषा)।

पटना शहर के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार इलाके में मंगलवार देर रात एक अनियंत्रित एसयूवी ने फुटपाथ पर सो रहे चार बच्चों को कुचल दिया जिसमें तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे का पांव टूट गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक बलिराम चौधरी ने घटना के बारे में बताया कि इस हादसे में एसयूवी चालक की भी मौत हो गई है जबकि एसयूवी में सवार गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति और घायल बच्चे को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। चौधरी ने चालक की आक्रोशित लोगों द्वारा की गई पिटाई से मौत होने से इनकार करते हुए कहा कि हादसे में बुरी तरह घायल होने से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
सरवन प्रिंट पैक प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. –3, जी–81ए, फर्स्ट फ्लोर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092 में स्थित है
.......याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राजस्थान राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 07.06.2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधने की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

उनके लिए और उनकी तरफ से
सरवन प्रिंट पैक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता. / –
(सरवन जैन)
निदेशक
डीआईएन : 00011258

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 24.06.2019

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND NOT AN OFFER DOCUMENT)

SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Corporate Identity Number: L22219GJ1992PLC017073

Our Company was originally incorporated as 'Scanpoint Graphics Limited' as a public limited company under the Companies Act, 1956 and was granted the certificate of incorporation on February 07, 1992. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated March 06, 1992. Subsequently, pursuant to a special resolution of the shareholders dated September 10, 2007, the name of our Company was changed to 'Scanpoint Geomatics Limited' vide Fresh certificate of Incorporation consequent upon change of name dated April 22, 2008 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. For details of change in name and Registered Office of our Company, please see chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 41of the Letter of Offer.

Registered Office: 9, Mahakant Complex, Opposite V. S. Hospital, Ashram Road, Ahmedabad - 380006, Gujarat, India.
Tel: +91 79 26575365 / 26575371 | **Email:** info@sgligis.com
Corporate Office: 12, Abhishree Corporate Park, ISKCON - Ambli Road, Ahmedabad - 380 058, Gujarat, India.
Tel: +91 2717 297096 / 297098 | **Fax:** + 91 2717 297039
Contact Person: Mr. Mukesh Limbachiya, Company Secretary and Compliance Officer | **Email:** cs@sgligis.com | **Website:** www.sgligis.com

PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. RAMESHCHANDRA K. SOJITRA

ISSUE OF UP TO 43,33,819 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 23 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 21 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UP TO ₹ 996.78 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 62 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 645 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MAY 15, 2019 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 11.5 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 159 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thank all Investors for their response to the Issue, which opened on Wednesday, May 29, 2019 and closed on Friday, June 14, 2019. The total number of Composite Application Forms (**"CAFs"/"Applications"**) (net of cheque return) (including 308 ASBA Applications) received were 659 for 44,70,288 Equity Shares which includes Applications for subscriptions to Additional Equity Shares. The Issue was subscribed to the extent of 103.15 % (net of cheque return) of the Issue size in terms of the number of Equity Shares applied. The Basis of Allotment was finalized on June 21, 2019 in consultation with BSE Limited (**"BSE"**), the Designated Stock Exchange. The Board of Directors of the Company approved the allotment of 43,33,819 Equity Shares on June 24, 2019. In the Issue, no Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications (including ASBA Applications) after technical rejections have been considered for Allotment. The breakup of valid applications is given below:-

1. Basis of Allotment:

Applicants	Number of valid applications received (including ASBA) and allotted	Number of Equity Shares applied for and allotted against Rights Entitlement (A)	Number of Additional Equity Shares allotted (B)	Total Rights Equity Shares allotted (A+B)
Eligible Shareholders	606	6,22,116	5,56,495*	11,78,611
Renouncees	44	27,01,886	4,53,322	31,55,208
TOTAL	**650**	**33,24,002**	**10,09,817**	**43,33,819**

* *Includes 511 Additional Rights Equity Shares applied by the shareholders whose fractional entitlement has been ignored at the time of computation of Rights entitlement and also includes 24 Equity Shares applied by the shareholders having zero entitlement.*

2. Information regarding All Applications Received (including ASBA Application received)

Category	Applications Received (including ASBA)		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Shareholders	612	92.87%	11,81,872	2,71,83,079.00	26.44%	11,78,611	2,71,08,053.00	27.20%
Renouncees	47	7.13%	32,88,416	7,56,33,568.00	73.56%	31,55,208	7,25,69,784.00	72.80%
TOTAL	**659**	**100.00%**	**44,70,288**	**10,28,16,647.00**	**100.00%**	**43,33,819**	**9,96,77,837.00***	**100.00%**

* *Includes DD Charges of ₹170 which will be borne by the Company and ₹ 285.00 Lakh consisting Application by the Promoter of the Company consented to adjust the interest-free unsecured loans against monies payable by him to the extent of his entitlement, renunciation of entitlement in his favour as well as Additional Rights Equity Shares applied for by him (in part or full, as the case may be) in the Issue as mentioned in the Letter of Offer dated May 15, 2019.*

The Company has received approval for listing of 43,33,819 Equity Shares issued on Rights Basis from the BSE Limited (**"BSE"**) on June 24, 2019. The refund instructions were initiated on June 25, 2019 and the dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the allottees, as applicable, has been completed on June 25, 2019.

The credit of Equity Shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on June 25, 2019. The trading in Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or before June 27, 2019.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended (**"Securities Act"**), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (**"United States"** or **"U.S."**) or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act (**"Regulation S"**), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer are being offered in India, but not in the United States. The offering to which the Letter of Offer and Abridged Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any securities or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights. Accordingly, the Draft Letter of Offer / Letter of Offer / Abridged Letter of Offer and the CAF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: SEBI only gives its observations on the Draft Letter of Offer and this does not constitute approval of either the Issue or the Draft Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of SEBI"* on page 152 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of BSE"* Limited on page 155 of the Letter of Offer.

All capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Vivro Financial Services Private Limited
Vivro House, 11, Shashi Colony,
Opposite Suvidha Shopping Center, Paldi,
Ahmedabad - 380007, Gujarat, India.
Tel.: +91-79-4040 4242
Fax: +91-79-2665 0570
Email: scanpoint@vivro.net
Website: www.vivro.net
Investor Grievance Email: investors@vivro.net
Contact Person: Vatsal Shah/ Bhargav Parekh
SEBI Registration No. INM000010122
CIN: U67120GJ1996PTC029182

REGISTRAR TO THE ISSUE

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai– 400083,
Maharashtra, India
Tel.: + 91-22-4918 6200
Fax: +91-22-4918 6195
Email: scanpoint.rights2019@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Investor Grievance Email: scanpoint.rights2019@linkintime.co.in
Contact Person: Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058
CIN: U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY

Mr. Mukesh Limbachiya
Scanpoint Geomatics Limited
12, Abhishree Corporate Park, ISKCON- Ambli Road, Ahmedabad- 380 058, Gujarat, India.
Telephone: +91-2717-297096/98 | **Fax:** +91-2717-297039
Email: cs@sgligis.com **Website:** www.sgligis.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, Amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF was submitted by the ASBA Investors.

For Scanpoint Geomatics Limited
Sd/-
Mukesh Limbachiya
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Date : June 26, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SCANPOINT GEOMATICS LIMITED.

Disclaimer: The Letter of Offer has been filed with the Securities and Exchange Board of India and BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of designated stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Lead Manager at www.vivro.net. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer, including the section *"Risk Factors"* beginning on page 16 of the Letter of Offer.

Raka

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

MACK TRADING COMPANY LIMITED

(CIN: L51900MH1980PLC022532)
Registered Office: 5-C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai – 400 001
Tel: +91 22 2204 7404; Email: info@macktradingcompany.com
Website: www.macktradingcompany.com; Contact Person: Mr. Vikas Pavankumar, Director

This Post Offer Public Announcement ("**Post Offer PA**") is being issued by Mrs. Rita Pavankumar (hereinafter referred to as the "**Acquirer**") to the Public Shareholders of Mack Trading Company Limited (hereinafter referred to as the "**Company**") in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of face value of ₹ 10/- each ("**Equity Shares**") of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the "**BSE**"/ "**Stock Exchange**") pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("**Delisting Regulations**") ("**Delisting Offer**"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated June 6, 2019 ("**Public Announcement**"/ "**PA**") and the Letter of Offer ("**LOF**") dated June 7, 2019. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF, 1,54,450 Equity Shares representing 45.03% of paid-up equity share capital of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders holding Equity Shares were invited to submit bids pursuant to the reverse book-building Process ("**RBB Process**") conducted through the Stock Exchange Mechanism made available by the BSE Limited during the bid period (i.e. June 14, 2019 to June 20, 2019), in accordance with the Delisting Regulations.

1. **Discovered Price and Exit Price**
   In terms of Regulation 15(1) of the Delisting Regulations, the price determined as Discovered Price (being the price at which shares accepted through eligible bids tendered in the RBB Process results in the shareholding of the Promoter and Promoter Group reaches to 90% of the paid-up equity share capital of the Company) is ₹ 75/- (Rupees Seventy Five Only) per Equity Share. The Acquirer has accepted the Discovered Price of ₹ 75/- (Rupees Seventy Five Only) per Equity Share as the final price for the Delisting Offer ("**Exit Price**").
2. **Success of the Delisting Offer**
   a) In terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 9.2 of the PA and clause 9.2 of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 1,20,150 Equity Shares were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Promoter and Promoter Group post acquisition under the Delisting Offer through the Acquisition Window Facility to be equal to or in excess of 3,08,700 Equity Shares constituting 90% of the paid-up equity share capital of the Company.
   b) The Acquirer will acquire 1,33,094 Equity Shares which were validly tendered at the Exit Price, which is higher than the minimum number of Equity Shares (i.e. 1,20,150) required for the Delisting Offer to be successful in terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations. After the completion of such acquisition, the shareholding of the Promoters shall be 93.77% of the paid-up equity share capital of the Company.
   c) In terms of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 9.3 of the PA and clause 9.3 of the LOF, at least 10 (Ten) Public Shareholders i.e., minimum of 25% of the number of Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form as on March 15, 2019 (i.e. being the date of the meeting in which the proposal for Delisting was approved by the Board of Directors) were required to participate in the RBB Process, provided that if the Acquirer along with the Manager to the Offer demonstrate that she has delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "**LOF Delivery Requirement**"), then the mandatory participation of aforementioned number of the Public Shareholders is not required. Further, pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.
   d) Universal Capital Securities Pvt. Ltd., Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on June 10, 2019 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., June 7, 2019 through Speed Post / Email (where email ids were available). The Registrar has confirmed that the LOF has been dispatched to all the Public Shareholders by Speed Post / Email (where email ids were available) and the Acquirer is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of LOF.
   e) The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations.
3. All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of ₹ 75/- (Rupees Seventy Five Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price and whose Bids have been accepted will be Thursday, July 4, 2019.
4. In regard to the Equity Shares of the Public Shareholders whose Bids have been rejected, the demat shares would be returned to the respective Public Shareholders in accordance with Methods of Settlement contained in clause 13.5 of the PA, the clause 13.5 of the LOF, read along with SEBI Circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016.
5. Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the Equity Shares of the Company from the BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this Post Offer PA has appeared.
6. **Outstanding Equity Shares after Delisting**
   In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBB Process will be able to offer their Equity Shares to the Acquirer at the Exit Price during a period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares from the BSE ("**Exit Window**"). A separate exit offer letter ("**Exit Offer Letter**") in this regard will be sent to such Residual Public Shareholders which will contain terms and conditions for participation in the Exit Window.
7. All other terms and conditions set forth in the PA and LOF remain unchanged.
8. This Post Offer PA is issued by the Acquirer in terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations. If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer, they may contact the Manager to the Offer or the Registrar to the Offer.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER

KJMC ADVICE MATTERS
KJMC Corporate Advisors (India) Limited
SEBI Regn No.: INM000002509
162, 16th Floor, Atlanta,
Nariman Point, Mumbai 400021
Telephone: +91 22 4094 5500;
Fax: +91 22 2285 2892
Email: mack.delisting@kjmc.com
Website: www.kjmc.com
Contact Person: Mr. Kaushal Patwa/ Mr. Ghanshyam Kapadia

REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER

Universal Capital Securities Pvt. Ltd.
(Formerly known as Mondkar Computers Pvt Ltd.)
SEBI Regn. No.: INR000004082
21, Shakil Niwas, Opp. Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093. **Tel. No.:** +91 22 2820 7203;
Fax No.: +91 22 2820 7207
E-mail: info@unisec.in
Website: www.unisec.in
Contact Person: Mr. Devanand Dalvi

For and Behalf of the Acquirer
Sd/-
[Rita Pavankumar]

Place : Mumbai
Date : June 26, 2019

सेहत की सूरत

जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में देश के दो राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन दोनों राज्यों की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसका ताजा प्रमाण बिहार में इंसेफलाइटिस से डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चों की मौत है। नीति आयोग ने मंगलवार को देश के इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की, उसमें यह हकीकत सामने आई है। नीति आयोग ने यह सूचकांक विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिल कर बनाया है। सबसे बेहतर स्थिति केरल की है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर पंजाब है। जबकि अंतिम पांच स्थानों पर उत्तराखंड, ओड़ीशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। यह रिपोर्ट 2017-18 के कामकाज के आकलन को ध्यान में रख कर बनाई गई है। उत्तर भारत के बड़े राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में तो स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौपट हैं। जबकि दक्षिणी राज्यों- केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ पहले नंबर है तो दिल्ली पांचवें पर।

सवाल है कि जब राज्य खुद बीमार होंगे तो जनता कैसे स्वस्थ होगी! बिहार और उत्तर प्रदेश में इंसेफलाइटिस का प्रकोप कोई नया नहीं है। दोनों राज्यों में पिछले कुछ सालों में इस बुखार से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा हजारों में है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों ने इंसेफलाइटिस से निपटने के लिए कुछ खास नहीं किया। इसका मूल कारण यह है कि खासतौर से गरीब और वंचित तबकों के मामले में सरकारें एकदम लापरवाह हैं। पटना और लखनऊ जैसे शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल हैं, लोगों को इलाज के लिए दिल्ली भागने को मजबूर होना पड़ता है। जनपदों का तो और भी बुरा हाल है। ज्यादातर जगहों पर अस्पताल तो हैं, पर जर्जर हालत और गंदगी के शिकार हैं। उनमें पानी-बिजली नहीं है। डॉक्टर हैं, पर काम नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर है तो संक्रमित। दवाइयों की खरीद-आपूर्ति में भ्रष्टाचार जगजाहिर है। इन दिनों मुजफ्फरपुर जिले के अस्पताल की हालत तो पूरे देश ने देखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने तो एक अस्पताल को मूल्यांकन लायक भी नहीं पाया। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी ही दम तोड़ती हालत में हैं। दूसरी ओर निजी अस्पताल चांदी काट रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट करने में सबसे बड़ी भूमिका सरकारों की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों का अपना भारी-भरकम बजट होता है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होने के बजाय कहीं और चला जा रहा है। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारें ईमानदारी से पैसा खर्च करतीं तो आज लोगों को इलाज के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ रहा होता, सैकड़ों बच्चे इंसेफलाइटिस से नहीं मरते, बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित नहीं होते! दरअसल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतें राज्य सरकारों की प्राथमिकता में हैं ही नहीं। दिल्ली तो राजधानी है, वहीं स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हालत में हैं, एम्स जैसे विख्यात संस्थान में मरीजों की भीड़ और महीनों का इंतजार हालात बयान करने के लिए काफी है। जब तंत्र ही बीमार होगा तो जनता कैसे स्वस्थ रहेगी? क्या इस मसले पर केरल जैसे राज्यों से ही सीख नहीं ली जा सकती?

दिखावे का रोग

हालांकि भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति आम है कि लोग हर संभव तरीके से दूसरों के सामने अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन का मौका ढूंढ़ते रहते हैं। कमोबेश यह समाज के हर तबके के बीच पाई जाती है, भले ही इसमें दिखावे का स्तर आर्थिक सीमा से तय होता हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने अकूत धन-ऐश्वर्य के बूते यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किया जाए तो यही इस प्रवृत्ति के मूल पर गौर करना जरूरी हो जाता है और इसके औचित्य पर सवाल उठते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के औली में पिछले हफ्ते आयोजित एक विवाह समारोह के सुर्खियों में आने के बाद यह सवाल लाजिमी है कि एक व्यक्ति के पास निजी शौक पूरे करने के अधिकार हो सकते हैं, लेकिन क्या उसके असर की पूरी तरह अनदेखी की जा सकती है! गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीय कारोबारी गुप्ता बंधु के रूप में मशहूर अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बेटों के विवाह समारोह के आयोजन में करीब दो सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें एक पहलू जहां ऐश्वर्य के दिखावे का है, वहीं समारोह के बाद विवाह-स्थल और उसके आसपास बड़े पैमाने पर फैल गए कूड़े-कचरे को लेकर भी तीखे सवाल उठे हैं।

हालांकि इस आयोजन की घोषणा के बाद से ही स्थानीय पर्यावरण पर इसके असर को लेकर चिंता जताई जा रही थी और इस पर रोक लगाने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। मगर देर हो जाने की वजह से अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। समारोह के खत्म होने के बाद वहां फैले कचरे की सफाई में नगरपालिका को जिस तरह मशक्कत करनी पड़ी, उससे साफ है कि इस मसले पर जताई जाने वाली आशंकाओं पर सरकार को गौर करना जरूरी नहीं लगा। नगरपालिका ने अपनी ओर से भारी पैमाने पर कूड़ा-कचरा हटाया और सफाई पर होने वाले खर्च को गुप्ता बंधुओं से वसूलने की बात कही है। मगर सवाल है कि जिन इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कड़े नियम-कायदे लागू हैं, उसमें महज दिखावे के मकसद से किए जाने वाले ऐसे आयोजन की अनुमति देना कितना सही है!

सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजन से इलाके को 'वेडिंग डेस्टीनेशन' यानी विवाह समारोह के आयोजन के लिए आकर्षक स्थल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर इसका विस्तार औली सहित इसके समूचे बुग्याल क्षेत्र में होता है तो स्थानीय पर्यावरण पर इसके असर का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि महज एक परिवार के आयोजन के बाद वहां सैकड़ों क्विंटल कूड़ा-कचरा जमा हो गया था। यह किसी से छिपा नहीं है कि जिनके पास किसी तरह से जमा अथाह धन है, उनमें से बहुत सारे लोगों के भीतर दिखावे की कैसी बेलगाम प्रवृत्ति देखी जाती है। हाल के वर्षों में विवाह समारोहों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर ज्यादा से ज्यादा दिखावा या धन-ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना एक रोग की तरह फैला है। जिनके पास वैध-अवैध तरीके से जमा किया गया अकूत पैसा मौजूद है, उनकी आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके प्रदर्शन का सामाजिक असर इस रूप में भी पड़ता है कि जिनके पास कम धन होता है, वे भी बिना यह सोचे इस होड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं कि इसका उनकी आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा। सवाल है कि दिखावे के इस रोग की सीमा क्या है और क्या कभी सरकारों को इसके सामाजिक-आर्थिक नतीजों पर गौर करने की जरूरत लगती है!

कल्पमेधा

शक्ति द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करना अधूरी जीत है।

– मिल्टन

त्रिभाषा सूत्र की चुनौतियां

धर्मेंद्र प्रताप सिंह

त्रिभाषा सूत्र तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब हिंदी भाषी क्षेत्र अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान देना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम एक या इससे अधिक ऐसी अन्य भारतीय भाषाओं को जानने की जरूरत है जो दूसरे प्रांत में बोली जाती हों। साथ ही, दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की भाषाओं की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

किसी राष्ट्र या समाज के लिए धर्म, संस्कृति और भाषा बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। ये राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक माने जाते हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति और विचार-विनिमय का माध्यम होती है। यही कारण है कि भाषा धर्म और संस्कृति दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसमें कदापि संदेह नहीं कि स्वभाषा के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। हमारे देश में धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज, खानपान, रहन-सहन, वेशभूषा, भाषा, बोली आदि में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। आजादी के बाद से ही राष्ट्र भाषा के मुद्दे पर क्षेत्रीय हितों और तुच्छ स्वार्थों को लेकर तकरार होती रही है और इसका फायदा निरंतर अंग्रेजी को मिलता आ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि और एक विदेशी भाषा हमारी सिरमौर बन गई। किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए।

भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलन में होने के कारण देश को एकता के सूत्र में बांधने की जद्दोजहद निरंतर होती रही है। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र अपनाने का सुझाव रखा गया। त्रिभाषा सूत्र भाषा शिक्षण की ऐसी नीति है जिसे सभी राज्यों से गंभीर विचार-विमर्श के उपरांत 1968 में संकल्पित किया गया था। इससे पूर्व 1963 में राजभाषा अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक सभी राज्य लिखित रूप में अंग्रेजी हटाने के लिए स्वीकृति न दें, तब तक अंग्रेजी व हिंदी में कामकाज होता रहेगा। इस दिशा में 1976 का राजभाषा अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे हिंदी की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई।

नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र के पालन की बात करते ही राजनीतिक हलकों में इसकी प्रतिक्रिया विरोध के रूप में मिलने लगी। जबकि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। इसके पहले भी यह नीति बनी थी जो लागू नहीं हो सकी। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक हिंदी भाषी प्रांत को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी होगी। अक्सर आरोप लगता रहा है कि अहिंदी भाषी प्रांत तो काफी कुछ त्रिभाषा सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन हिंदी पट्टी के लोग इससे पूर्णतया विमुख हैं। तमिलनाडु पुनः इसका विरोध करते हुए हिंदी को अपने ऊपर थोपने की बात कह रहा है।

भाषा का संबंध मानव के हृदय पक्ष से है। अभी इसका यही समाधान दिखाई दे रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को त्रिभाषा सूत्र अपने क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यह बात गौर करने लायक है कि यदि हम दूसरी भाषा सीखने के लिए नहीं तैयार हैं तो अन्य हमारी भाषा को क्यों सीखेंगे? यदि हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो निश्चय ही आने वाले समय में हमारी भाषा को सम्मान मिलेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए संपूर्ण राष्ट्र में एक भाषा का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन राज्यों के आपसी कलह की वजह से आज दिन तक यह संभव नहीं हो पाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी का पक्ष इसलिए लिया, जिससे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके और विदेशी शासन के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हो सकें। इसमें हमें सफलता भी मिली और लंबी पराधीनता के बाद हम स्वाधीन हुए।

राजभाषा अधिनियम, 1976 में भाषायी आधार पर भारतीय राज्यों को क, ख और ग क्षेत्रों में बांटा गया है। 'क' क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली आता है। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमनदीव और दादर नगर हवेली रखे गए हैं। शेष राज्य- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल, कर्नाटक, केरल, गोवा, नगालैंड, ओड़िशा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजभाषा अधिनियम के आधार पर 'क' क्षेत्र में आने वाले प्रांतों में कोई भी पत्र व्यवहार हिंदी में किया जाएगा और यदि किसी कारणवश अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी आवश्यक होगा। 'ख' क्षेत्र में पत्र व्यवहार सामान्यतः हिंदी में होगा। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाएगा तो उसका हिंदी अनुवाद भेजना होगा। 'ग' क्षेत्र में पत्र अंग्रेजी में भेजा जाएगा और यदि कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है।

हिंदी पट्टी में त्रिभाषा सूत्र को अपनाना आसान नहीं है। कारण यह है कि हिंदी पट्टी तीसरी भाषा के रूप में किसको अपनाए, जबकि संविधान में बाईस भाषाओं जगह मिली हुई है। इनमें से किसी एक भाषा को चुनना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त सरकार को तीसरी भाषा सिखाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में नए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो निकट भविष्य में संभव नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि तकनीक के माध्यम से व्यापक स्तर पर भाषा सिखाने का काम हो। लेकिन हिंदी पट्टी तकनीक के मामले में भी बहुत पीछे है जो हम सभी के समक्ष कड़ी चुनौती है।

त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा को सबसे ऊपर रखना भी समस्या है। हिंदी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा की बात आते ही वे उप-बोलियां अपना सिर उठाने लगती हैं जिनके पांव पर हिंदी का अस्तित्व टिकता है। प्रश्न यह भी है कि मातृभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मेवाती, बांगरू आदि में से किसे पढ़ाया जाएगा? इनमें से कई ऐसी बोलियां हैं जिनका पाठ्यक्रम तक उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। जो विद्वतजन हिंदी को भाषा न मान कर उप-बोलियों का समुच्चय मानते हुए इसे अनदेखा करते हैं, उन्हें चीन से सीखने की जरूरत है जहां की भाषा मंदारिन में सतर उप-भाषाएं शामिल हैं। यदि चीन और जापान अपनी भाषा को लेकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं तो भारत के समक्ष ऐसी समस्या क्यों आ रही है? इस तथ्य पर तब तक विचार किए जाने की आवश्यकता है जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल आता।

हिंदी देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बन चुकी है। लेकिन जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल आता है तो गैर हिंदी भाषी प्रांत अपने को सुरक्षित करने के लिए हिंदी का विरोध करते हुए अंग्रेजी का पक्ष लेते हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे ज्यादा घातक है। पिछले बहत्तर वर्षों से हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए।

आज का दौर भूमंडलीकरण का है। पूरी दुनिया में साठ हजार के आस-पास भाषाएं अस्तित्व में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में नब्बे फीसद भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। भाषाओं के संकट के दौर में हिंदी अपने को बचाने में कामयाब रहेगी। यह हिंदी के लिए खुशी की बात हो सकती है। लेकिन प्रत्येक पढ़े-लिखे वर्ग का यह दायित्व बन जाता है कि वह अपनी मातृभाषा को आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखे। ऐसे में यदि क्षेत्रीय और अहिंदी प्रांत की भाषाएं अपने अस्तित्व की चिंता कर रही हैं तो इसमें क्या गलत है? त्रिभाषा सूत्र तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब हिंदी भाषी क्षेत्र अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान देना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम एक या इससे अधिक ऐसी अन्य भारतीय भाषाओं को जानने की जरूरत है जो दूसरे प्रांत में बोली जाती हों। साथ ही, दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की भाषाओं की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छाशक्ति और ईमानदार प्रयास ही इसे सफल बनाया जा सकता है। यदि इसे रोजगार से जोड़ा जाए तो बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं।

संवादहीनता के मंच

अमिता तिवारी

दुनिया मेरे आगे

सूचना, संप्रेषण और संचार का दायरा आज कितना व्यापक हो चुका है, यह किसी से छिपा नहीं है। दरअसल, अब यह हमारी जीवन-चर्या का हिस्सा बन गया है। इसकी शुरुआत शायद एक उदात्त उद्देश्य के तहत हुई थी कि अधिक से अधिक लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे के विचारों के बारे में जान सकें और जानकारी का विस्तार हो। एक हद तक सोशल मीडिया अपने इस उद्देश्य में सफल भी है। आज दुनिया का ज्यादातर हिस्सा फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप के जरिए जुड़ चुका है। हम घर बैठे अमेरिका में बैठे अपने मित्र या संबंधी को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं, फोटो भेजते हैं, वीडियो पर भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कितनी सारी सूचनाएं दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सामाजिकता की जिस नींव पर सोशल मीडिया का भवन खड़ा था, वह नींव कहीं धसक गई है और ऐसे में भवन का भरभरा कर गिरना स्वाभाविक है।

आज सामाजिकता के नाम पर सोशल मीडिया द्वेष और लोगों के बीच दूरी की भावना फैलाने का बड़ा जरिया बन रहा है। एक मानसिकता और विचारधारा वाले लोगों के गुट बन गए हैं जो केवल जहर उगल रहे हैं, जिससे समाज विषाक्त हो रहा है। एक घटना कहीं घटती है, उसे तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया जाता है और उसकी तह में जाने की बजाय लोग उसे सही समझ कर मर-मिटने को तैयार हो जाते हैं।

पुरानी कहावत है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो लोग अपना कान न देख कर कौवे के पीछे भागने लगते हैं। आज यही सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। एक आदमी एक पंक्ति की पोस्ट डालता है और उससे असहमत होने वाले लोग गालियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा ही दूसरी ओर से भी होता है। इससे हमारा समाज कौन-सी सामाजिकता सीख रहा है? इससे कौन-सी सद्भावना बढ़ रही है, कौन-सी मानवीयता पल्लवित, पोषित हो रही है? सच तो यह है कि सोशल मीडिया अब अभिव्यक्ति के नाम पर अनर्गल प्रलाप का माध्यम बन गया है।

सोशल मीडिया का उद्देश्य तो आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ाना था, लेकिन आज परिवार और समाज में अकेलेपन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर घर में चार सदस्य हैं तो शाम को दफ्तर से आने के बाद चारों अलग-अलग दिशाओं में बैठ कर अपने-अपने स्मार्टफोन में व्यस्त हो जाते हैं। एक दूसरे से बातचीत में उन्हें वह आनंद नहीं आता जो फेसबुक और वाट्सऐप पर आता है। यानी इसने हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

आज घरों में हंसी के ठहाके और बहस की आवाजें गायब हो गई है। हर व्यक्ति अपने आप में अकेले बैठना चाहता है और यह अकेलापन ही तनाव, अवसाद, मानसिक विकृति को बढ़ाता है, जिसका शिकार हमारा युवा वर्ग हो रहा है। पहले व्यक्ति अवसाद से घिरता था तो परिवार के सदस्यों और आत्मीय मित्रों से अपना दुख बांटता था और कई बार गंभीर स्थितियों से वह सकुशल निकल भी जाता था। मगर आज आत्मीयता की वह डोर टूट गई है। इस वजह से किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ब्रिटेन में युवाओं पर हुए एक शोध के मुताबिक जो युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा काम करते हैं, वे खुद पर ज्यादा दबाव तो महसूस करते ही हैं, साथ ही वे सामाजिक रूप से भी दूसरों से कटे रहते हैं।

यह चिंताजनक है कि सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। एक शोध के मुताबिक दस साल तक के जो बच्चे सोशल मीडिया पर रोज एक घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें किशोरावस्था में दिमागी परेशानी का खतरा बढ़ जाता है। किशोरों में बढ़ती अक्रामकता, उद्दंडता, मूल्यहीनता और हिंसक प्रवृत्ति का एक कारण यह भी है कि सोशल मीडिया पर वे सब जानकारियां भी मौजूद हैं जो बच्चों को एक उम्र के बाद ही मिलनी चाहिए।

विद्वानों का कहना है कि समय से पहले अधकचरा ज्ञान विनाश का कारण है। यह हमारे समाज में हो रहा है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि चार साल या छठी कक्षा के बच्चे अनुचित आचरण करते हैं। सच यह है कि इस उम्र के बच्चों को उचित और अनुचित का अर्थ ही नहीं पता होता। वे जैसा देखते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में गलत आचरण के लिए वह बच्चा नहीं, बल्कि समाज दोषी है, जिसने वह अधकचरा ज्ञान उसे उम्र से पहले दे दिया। आज अभिभावक अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा कर यह बताने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा अभी दो साल का है, लेकिन मोबाइल चला लेता है... यूट्यूब खोल लेता है। लेकिन इसका असर या हासिल क्या है?

अमानवीय करतूत

महाराष्ट्र के बीड जिले में पिछले तीन साल में साढ़े चार हजार से ज्यादा महिला मजदूरों के गर्भाशय इस कारण निकाल दिए गए कि उनकी माहवारी बंद हो जाए और इस तरह उनके बार बार छुट्टी लेने के कारण गन्ना कटाई का कार्य बाधित न हो। फर्स्ट पोस्ट की 16 जून, 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में बीड की जिन दो सौ महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया था, उसमें से बहत्तर महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए थे। बीड प्रशासन के अनुसार गर्भाशय निकालने के लिए शल्य ग्यारह अस्पतालों में की गई थी और पिछले डेढ़ साल में हुए कुल ऑपरेशनों के पिच्यासी फीसद ऑपरेशन निजी अस्पतालों में हुए।

वैसे बीड जिले के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने इस प्रकरण में नियमानवे निजी अस्पतालों की संलिप्तता का उल्लेख किया है। समिति के अनुसार जिन महिलाओं का गर्भाशय निकाला गया है उनमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो गन्ना कटाई के कार्य से संबंधित नहीं हैं। श्रम कानूनों को कमजोर कर निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने के इस दौर में असंगठित मजदूरों का शोषण अमानवीय रूप लेता जा रहा है। असंगठित महिला मजदूरों के साथ होने वाले अत्याचारों की दास्तान और भी भयानक है।

पुरुष प्रधान समाज में परिवार के भीतर और बाहर कार्यस्थल में इनके साथ होने वाला भेदभाव यह दर्शाता है कि इन्हें केवल एक साधन के रूप में देखा जा रहा है जिससे मनमाना काम लिया जा सके, मुनाफा कमाया जा सके, किसी मशीन के कलपुर्जों की भांति उसके महत्त्वपूर्ण अंगों के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की जाए कि वह बिना रुके ज्यादा श्रम कर सके और जब वह अनुपयोगी हो जाए तो उसे अनुपयुक्त घोषित कर खारिज कर दिया जाए। महिला श्रमिकों के शोषण का यह ताजा वाकया महाराष्ट्र में सामने आया है। महिलाओं को रजोधर्म के दौरान अवकाश देने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस संबंध कुछ याचिकाएं भी लगाई गई, किंतु मामला किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा।

● *प्रियंवदा, गोरखपुर*

जनसंख्या का विस्फोट

हाल में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही भारत शताब्दी के अंत तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रह सकता है। अगर आबादी रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसके दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे जो विनाशकारी साबित होंगे। देश में बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी है, इसलिए देश को जनसंख्या-जनित दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी की वजह से भारत कई समस्याओं से घिर रहा है। जैसे- गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी में वृद्धि, पेयजल की समस्या, आवास की समस्या, अर्थव्यवस्था पर बोझ आदि। एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में रोजाना लगभग बीस करोड़ लोग खाली पेट सोते हैं और सत्तर करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। कुपोषण के कारण रोजाना तीन हजार बच्चों की मौत हो रही है। देश की करीब पंद्रह फीसद आबादी कुपोषण की शिकार है। शहरों में दस करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सत्तर फीसद लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद सहित इक्कीस शहरों में 2020 तक भूमिगत जल समाप्त हो जाएगा, जबकि 2030 तक भारत में पानी की खपत दोगुनी हो जाएगी। और जब ऐसे में पानी की मांग बढ़ेगी तो क्या हालत होगी? सवाल है कि अगर सरकार ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई नीति नहीं बनाई तो हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

किसान का सम्मान

किसान सम्मान के पहले तो ऐसे किसानों की पहचान की जानी चाहिए जो खेती के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करते, जिन्होंने अपना कर्ज स्वयं चुकाया, कभी बिजली-पानी बिलों के साथ कर्जमाफी नहीं कराई, न कभी खेतों में पराली जलाई है। संविधान-कानून का आदर व पालन कर कभी किसी आंदोलन में रेल-सड़कें जाम कर सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले नहीं किया, न मनचाहे भाव के अभाव में कृषि उत्पाद व दूध सड़कों पर बहाया। ऐसे ईमानदार कर्मठ, कठोर परिश्रमी किसान ही सम्मान व सम्मान-निधि के पात्र हैं और होने चाहिए।

दूसरी ओर कई छद्म किसान जिसमें रिश्तेदारों सहित फार्महाउसों के मालिक, नेता-अभिनेता तक शामिल हैं जो करवंचित कृषि आय के लोभ में कृषि भूमि स्वामित्व तो रखते हैं, पर स्वयं अन्य उद्योग धंधे, व्यवसाय, नौकरी आदि कर दूसरे मजदूरों से खेती करा कर कृषि लाभ ले रहे हैं। इनके साथ बेईमान, मुफ्तखोर, आलसी-अकर्मण्य चिन्हित लोग सम्मान नहीं दंड के पात्र हैं। एक बार पुनः प्रश्न है कि क्या कर्जमाफी कराने, पराली जलाने, आंदोलनों में हिंसा, कृषि उपज सहित दुग्ध उत्पाद सड़कों पर नष्ट करने वाले किसानों को भी किसान-सम्मान मिलेगा?

● *सार्थक ताम्बट, इंदौर*

असुरक्षित स्त्री

भारत दुनिया का तेजी से तरक्की करता देश है। लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। महिलाओं को लेकर की जाने वाली हिंसा की खबरें रोजाना ही पढ़ने को मिल जाती हैं। घरेलू हिंसा के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। जाहिर है, आज भी समाज का एक बड़ा तबका महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करता है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्रदान नहीं करता। लोगों के ऐसे ही सोच से समाज में दिन-प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार व शोषण की वारदातें बढ़ रही हैं। इसलिए आज के समाज की आवश्यकता है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक हों और समाज के सामने एक ऐसा खाका प्रस्तुत करें जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलें और एक नए समाज का निर्माण करें।

● *मनीषा चौरसिया, डीएसजे, दिल्ली विवि*

खेल कार्यक्रम

भारत बनाम वेस्ट इंडीज	27 जून
यूएस ओपन (गोल्फ)	27-30 जून
फीबा यूरोबास्केट 2019	27 जून
आस्ट्रेलियन ग्रांप्री	30 जून
विंबलडन	1 जुलाई

जन्मदिन

पीटी ऊषा	27 जून
जसपाल राणा	28 जून
अनिर्बान लाहिड़ी	29 जून
हरभजन सिंह	3 जुलाई
पीवी सिंधू	5 जुलाई

भारतीय लीग का जमा-हासिल

शोहरत भी, तमाशाई भी और कमाई भी

संदीप भूषण

रिपोर्ट

भारत धीरे-धीरे खेल महाशक्ति बनने की राह पर है। इसमें सबसे अहम भूमिका प्रीमियर लीगों ने निभाई है। बात चाहे पैसे की हो या नए खिलाड़ियों को पहचान दिलाने की, प्रीमियर लीग ने इस क्षेत्र में खूब काम किया है। साल की शुरुआत से अंत तक किसी न किसी वैश्विक प्रीमियर टूर्नामेंट का आयोजन होना खुद में किसी भी देश के लिए गर्व का विषय है। दुनियाभर के खेल प्रेमी अभी क्रिकेट विश्व कप में व्यस्त हैं। लेकिन, जैसे ही यह समाप्त होगा प्रो कबड्डी लीग शुरू हो जाएगी। इसके अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले प्रो रेसलिंग और साल के अंत तक प्रो बैडमिंटन लीग। कुल मिलाकर पूरे साल लगभग सभी बड़े खेलों के लिए भारत में प्रीमियर लीग का आयोजन होने लगा है। चार-पांच साल में ही इसके फायदे भी दिखने लगे हैं। एक तरफ जहां खिलाड़ियों को प्रायोजक (स्पॉन्सरशिप) मिलने लगे हैं तो दूसरी तरफ बगैर अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेले ही उन्हें पहचान मिलने लगी है।

दरअसल, दुनिया भर के कई देशों में प्रीमियर लीग का आयोजन काफी पहले से होता रहा है। लियोनल मेस्सी और क्रिस्टयानों रोनाल्डो जैसे दिग्गज फुटबॉलरों को खेल प्रेमी उनके देश से ज्यादा क्लबों के साथ प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कोपा अमेरिका और इग्लिश प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंटों को करोड़ों दर्शक आसानी से मिल जाते हैं। भारत में लीग को चलन में लाने का श्रेय इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) को जाता है। उसके बाद बैडमिंटन से लेकर हॉकी तक के लिए लीग की शुरुआत हुई। लेकिन इन सब से अहम उसके फायदे रहे। आइपीएल ने क्रिकेट में नई प्रतिभा को तलाशने का काम किया तो वहीं फुटबॉल के लिए इसका श्रेय इंडियन सुपर लीग और आइ-लीग को जाता है।

अब खिलाड़ियों के पास पैसे की कमी नहीं : नए चेहरे को पहचान दिलाने के साथ ही प्रीमियर लीग ने खिलाड़ियों के लिए प्रायोजक भी ढूढ़े। पहले दिग्गज खिलाड़ियों के पास भी किट खरीदने और एक जगह से दूसरे जगह खेलने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन, प्रीमियर लीग ने इस समस्या को काफी हद तक समाप्त कर दिया। प्रायोजक मिलने के पिछले दस साल के आंकड़ों पर ध्यान दे तो इसमें लगभग पांच हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लीग और नॉन लीग टूर्नामेंटों को जहां 2008 में 2139 करोड़ रुपए के प्रायोजक मिले वहीं 2018 में यह आंकड़ा 7408 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि लीगों ने भारत में खिलाड़ियों को ही नहीं खेल के बाजार को भी बढ़ाया है। इंडिया स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट 2019द्य के मुताबिक भारतीय खेल उद्योग 2017 में जहां 7,300 करोड़ का था वहीं 2018 में यह बढ़कर 7,762 करोड़ रुपए का हो गया।

लीगों को भी खूब मिल रहे दर्शक : यह सच है कि कोई भी उत्पाद तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसे पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता नहीं मिलते। प्रीमियर लीग पर भी यह बात बखूबी लागू होती है। लेकिन, यह आंकड़े किसी को भी चौका सकते हैं कि चाहे किसी भी भारतीय लीग की बात हो, उसे दर्शक खूब मिलते हैं।

आइपीएल को सफल बताने के लिए किसी भी तरह का तर्क पेश करना उसके साथ ज्यादती होगी। फिर भी 'बार्क' की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में उसे प्रति सेकंड लगभग चार लाख लोगों ने देखा।

आइएसएल को देखने वालों की संख्या सवा लाख रही। प्रो कबड्डी लीग को लगभग तीन लाख दर्शक मिले। प्रीमियर बैडमिंटन लीग को सवा लाख दर्शकों ने देखा। इससे यह तो साफ हो जाता है कि क्रिकेट के दीवाने भारतीय प्रशंसक कबड्डी और फुटबॉल में भी खासा दिलचस्पी रखते हैं।

क्रिकेटर तो हिट लेकिन दूसरे भी कम नहीं : भारत में क्रिकेट को धर्म की उपमा दी जाती है। ऐसे में यह तो माना ही जा सकता है कि क्रिकेटर उन प्रशंसकों के लिए भगवान से कम नहीं। धनवर्षा के मामले में क्रिकेटर तो फोर्ब्स पत्रिका तक में जगह बना चुके हैं। लेकिन, दूसरे एथलीट भी इस मामले में कम नहीं हैं।

फोर्ब्स की हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुछ सबसे अमीर खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं। उनकी सालाना प्रायोजक वैल्यू लगभग 200 करोड़ से ऊपर है।

वहीं, महेंद्र सिंह धोनी भी 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अन्य खेलों की बात करें तो भारत की दो सुपरस्टार शटलर पीवी सिंधू और साइना नेहवाल की प्रायोजक वैल्यू कम नहीं है। सिंधू अकेले 11 ब्रांड्स के साथ जुड़कर लगभग 35 करोड़ रुपए की कमाई कर रही हैं।

विराट कोहली
प्रायोजक वैल्यू
200 करोड़
विराट कोहली पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक कंपनी से 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू की डील की है

एम एस धोनी
प्रायोजक वैल्यू
100 करोड़
विराट कोहली के बाद महेंद्र सिंह धोनी ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 100 करोड़ से ज्यादा की डील मिली है।

खेल से जुड़े ब्रांडों की डील में साइना नेहवाल और पीवी सिंधू की लगभग 1/6 हिस्सेदारी है।

प्रायोजक

क्रिकेट को मिले 2017 में	क्रिकेट को मिले 2018 में	अन्य खेलों को 2017 में	अन्य खेलों को 2018 में
323 करोड़	392 करोड़	73 करोड़	89 करोड़

मंजिल अब दूर नहीं

नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित एक जागरूकता दौड़ में भाग लेते प्रतिभागी।

विंबलडन : घसियाली सतह पर फिर छिड़ेगी तजुर्बेकारों में जंग

मनीष कुमार जोशी

आकलन

टेनिस की दुनिया के दूसरे ग्रैंडस्लैम से बिलकुल अलग विंबलडन की अपनी एक अलग पहचान है। यह सबसे पुराने टूर्नामेंटों में से एक है। इस खेल के अन्य ग्रैंडस्लैम कठोर सतह पर खेले जाते हैं चाहे वह आस्ट्रेलिया ओपन हो अमेरिकी ओपन या फ्रेंच ओपन। वहीं विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसलिए यहां जो जीतता है वह जीतता ही चला जाता है और जो हारता है उसके हारने का सिलसिला भी जल्द नहीं थमता।

टेनिस ही नहीं दूसरे खेलों के प्रशंसकों को भी विंबलडन का बेसब्री से इंतजार रहता है। भारतीय क्रिकेट सितारे भी इससे अछूते नहीं हैं। बात चाहे सचिन तेंदुलकर की हो, सुनील गावस्कर की या रवि शास्त्री की, सभी को इसका मजा लेते हुए देखा जा सकता है। इसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए पुरस्कार राशि में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

उम्रदराज होने के बावजूद रोजर फेडरर प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। सट्टा बाजार में भी नोवाक जोकोविच के बाद फेडरर पर ही दांव लगाया जा रहा है। जोकोविच को भी कम नहीं आंका जा सकता। वे भी खिताब के प्रबल दावेदारों में हैं। उनके लिए सबसे अहम पक्ष है कि वे पिछले साल के चैंपियन हैं। उन्होंने गत वर्ष फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को सीधे सेटो में 6-2, 6-2, 7-3 से पराजित किया था। वे चार बार के विंबलडन चैंपियन हैं। उन्होंने 2011, 2014, 2015 और 2018 में इस खिताब को जीता है और इस इस बार भी वे तगड़े दावेदार हैं। राफेल नडाल भी दावेदारों में शामिल हैं। विंबलडन नया चैंपियन बहुत कम बार ही देता है। इस ग्रास कोर्ट पर चैंपियन का दोहराव होता आया है। इसलिए इस बार भी नए विजेता की संभावना कम ही है। फिर भी पैट्रो, एंडरसन और ज्वेरेव जैसे युवा खिलाड़ी भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स अभी भी पसंदीदा दावेदार बनी हुई हैं। सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा दांव विलियम्स पर ही लग रहा है। गत साल वे उपविजेता रही थीं। फाइनल में जर्मनी की युवा खिलाड़ी करबर ने सेरेना को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से पराजित कर दिया था।

विलियम्स सात बार की चैंपियन हैं। 2015 व 2016 में उन्होंने लगातार यह खिताब जीता है। इस बार उनके अलावा पैट्रा केवित्वोवा, मुगुरेजा, केरोलिया प्लीस्कोवा और सिमोना हालेप भी दावेदारों में शामिल हैं। सेरेना ने ताकत की बजाय धैर्य और संयम का खेल दिखाया तो वे एक बार फिर चैंपियन बन सकती हैं। यदि वो युवा करबर जैसी खिलाड़ियों के सामने हथियार न डाल कर दिमाग से खेलेंगी तो एक बार फिर विंबलडन का ताज पहनेंगी।

दुनिया की प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता में सबसे ऊपर स्थान पाने वाली विंबलडन ने इस बार भी पुराने खिलाड़ियों पर ही दांव लगाए हैं। हालांकि यह भी तय है कि युवा खिलाड़ी अपने खेल से चौंकाने की कोशिश में जुटे होंगे। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की एक खासियत और होती है। यहां गेंद रुक कर आती हैं इसलिए यहां तेजी काम नहीं करती। गेंद को देखकर ही शॉट का निर्णय करना पड़ता है। ऐसे में जोश से ज्यादा अनुभव अहम होगा।

एशियाई क्रिकेट की चौथी ताकत से रहें खबरदार

आत्माराम भाटी

उदय

इंग्लैंड में क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी स्पर्धा का 12वां संस्करण 30 मई से खेला जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कमजोर समझी जाने वाली टीमों ने बड़ी टीमों को हराकर सनसनी फैलाई है। यह कारनामा कोई पिछले दो-तीन विश्व कप से नहीं है, बल्कि दूसरे विश्व कप 1979 से चला आ रहा है। अपने पहले ही विश्व कप में श्रीलंका ने भारत को, केन्या ने वेस्ट इंडीज को, आयरलैंड ने इंग्लैंड को, जिंबाब्वे ने आस्ट्रेलिया को अप्रत्याशित रूप से हराकर चौंकाया था। इसी कड़ी में एक नाम और है बांग्लादेश का।

इस टीम ने भी अपने पहले ही विश्व कप (1999) में उपविजेता रहने वाली टीम पाकिस्तान को लीग चरण में 62 रन हरा कर सनसनी फैला दी। वहीं 2007 में उसने भारत को अपना शिकार बनाया। उसने भारत को पांच विकेट से हराया। इसी तरह 2011 व पिछले विश्व कप 2015 में इंग्लैंड को 15 रनों से पटकनी देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रखा था। बांग्लादेश की टीम का यह छठा विश्व कप है। 1999 में ऐसोसिएट देश के रूप में इंग्लैंड में पहली बार आइसीसी ने इस टीम को विश्व कप में जगह दी। तब से लेकर अब तक सेमी फाइनल में तो यह टीम कदम नहीं रख पाई है। हां, अपने कभी-कभार के अप्रत्याशित बेहतरीन खेल से बड़ी टीमों का गणित जरूर बिगाड़ती रही है।

बांग्लादेश के विश्व कप में अब तक के सफर के बारे में बात करें तो 1999, 2003 और 2007 के विश्व कप में लीग चरण से आगे नहीं बढ़ पाई। 2011 में भारत, पाकिस्तान के साथ मेजबानी का लाभ उठाते हुए जरूर अपने घर में इंग्लैंड, आयरलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल की आस बंधाई, लेकिन रन औसत में वेस्ट इंडीज से पिछड़ने के कारण पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलने का इसका सपना पूरा नहीं हो पाया।

इस टीम ने 2015 में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुए 11वें विश्व कप में लीग चरण के छह में से तीन मैचों में अफगानिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को हराया। उसने आस्ट्रेलिया के साथ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से मिले बराबरी अंक से पहली बार विश्व कप क्वार्टर फाइनल में कदम रखने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की इस टीम का विजय रथ भारत ने 109 रन से हराकर रोक दिया।

इस विश्व कप में बांग्लादेश के अब तक खेले गए छह मैचों में तीन मैचों में न्यूजीलैंड से दो विकेट से, इंग्लैंड से 106 रन से और आस्ट्रेलिया से 48 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन, अफ्रीका को 21 रन से और वेस्ट इंडीज को सात विकेट से पराजित करने के साथ-साथ जिस तरह से बल्लेबाजी में तीन बार 300 से ज्यादा रनों का आंकड़ा पार किया है, उससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश टीम में अब परिपक्वता आने लग गई है। उसके पास बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शाकिब अल हसन हैं जो अब तक दो शतक जड़ने के साथ डेविड वार्नर के बाद सबसे ज्यादा 425 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उसके पास महमुदुल्लाह, कप्तान मशरेफी मुर्तजा, और शब्बीर रहमान जैसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। बल्लेबाजी में भी टीम के पास लिटन दास, तमीम इकबाल, सौम्य सरकार और मुशफिकर रहीम जैसे जोरदार बल्लेबाज हैं।

यदि बांग्लादेशी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में निखार और धार लाकर जल्द से जल्द विकेट निकालने में माहिर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं कि यह टीम आने वाले समय में विश्व खिताब की रेस में अपने को भी अन्य बड़ी व अनुभवी टीमों के साथ शामिल करने का दावा कर सकती है। बांग्लादेश इस बार भी लीग चरण के अपने अंतिम तीन मैचों में अफगानिस्तान, भारत व पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो जाती है तो 11 अंकों के साथ बेहतर रन औसत के सहारे टीमों का फैसला होने की दशा में उसके सेमी फाइनल खेलने का सपना पूरा हो सकता है।

राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव संसद में पास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बुधवार को संसद में पारित हो गया। राज्यसभा में विपक्षी कांग्रेस ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर 200 से अधिक संशोधन पेश किए थे, लेकिन बाद में उसने सभी संशोधन वापस ले लिए। उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 13 घंटे तक बहस हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 50 से अधिक सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया।

प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले कांग्रेस ने अपने 200 से अधिक संशोधनों को वापस ले लिया। माकपा और भाकपा ने एक-एक संशोधन पेश किए थे, जिन्हें ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। माकपा नेता टीके रंगराजन ने अपने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन दूसरा संशोधन उन्होंने वापस ले लिया। भाकपा के डी राजा ने अपने संशोधन पर जोर दिया, लेकिन उनका संशोधन ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा, टी सुब्बीरामी रेड्डी और रिपुन बोरा ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में संशोधन पेश किए, लेकिन उन्हें वापस ले लिया।

अधिकारी को पीटने वाले भाजपा विधायक को नहीं मिली जमानत

इंदौर, 26 जून (भाषा)।

जर्जर मकान गिराने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ बुधवार को विवाद के दौरान शहरी निकाय के एक अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटने के मामले में गिरफ्तार स्थानीय भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने से एक स्थानीय अदालत ने इनकार कर दिया है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) गौरव गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। परिसर में बड़ी तादाद में भाजपा विधायक के समर्थक मौजूद थे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के बाद भाजपा विधायक को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शेख ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नगर निगम के एक भवन निरीक्षक से सरेआम मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को जमानत का लाभ कतई नहीं दिया जाना चाहिए।

बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हमने अदालत के सामने दलील रखी कि नगर निगम के अधिकारियों ने मकान खाली कराने की कोशिश के दौरान महिलाओं से बदसलूकी की। इन परिस्थितियों में विधायक का आवाज उठाना जनता के हित में है। आकाश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और नवंबर 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने।

इंदौर में बुधवार को स्थानीय भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पिटाई करते हुए।

विधायक ने आरोप लगाया कि गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक मकान को बेवजह जर्जर बताकर खाली कराने गए नगर निगम के अधिकारियों ने इस घर में रहने वाली महिलाओं के साथ बदसलूकी की। भाजपा विधायक ने सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं और नगर निगम के अधिकारियों के बीच भ्रष्ट सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के पक्के मकानों को बेवजह जर्जर बताकर खाली कराने का कारोबार चलाया जा रहा है।

इंदौर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रुचिवर्धन मिश्रा ने बताया कि विजयवर्गीय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इस बात की शिनाख्त की जा रही है कि घटना में भाजपा विधायक के अलावा और कौन लोग शामिल थे। नगर निगम के भवन निरीक्षक धीरेंद्र बायस ने एमजी रोड पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह सरकारी दल-बल के साथ खतरनाक रूप से जर्जर मकान को ढहाने पहुंचे, तो आकाश विजयवर्गीय ने मौके पर पहुंचकर उन्हें कथित तौर पर धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा।

असम एनआरसी मसविदे से और एक लाख लोगों के नाम हटाए

पेज 1 का बाकी

की निगरानी में अद्यतन किया जा रहा है और अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होनी है। अतिरिक्त निष्कासन सूची में वे लोग शामिल हैं जो घोषित विदेशी (डीएफ) अथवा संदिग्ध मतदाता (डीवी) अथवा जिनके मामले विदेशी अधिकरण में लंबित पाए गए हैं (पीएफटी)। इन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया है।

छोड़े गए लोगों का ब्योरा एनआरसी की वेबसाइट पर मौजूद है और उन्हें पत्र के जरिए भी इसकी सूचना भेजी जाएगी। निष्कासन सूची एनआरसी सेवा केन्द्रों (एनएसके), उपायुक्तों के कार्यालय, उप मंडलीय अधिकारियों तथा क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में भी लगाई गई है। सूची में छोड़े गए लोग अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसकी सुनवाई पांच जुलाई से शुरू हो रही है।

गौरतलब है कि एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था जिनमें से 2.9 करोड़ लोगों को योग्य पाया गया था।

पुलवामा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

पेज 1 का बाकी

सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रवक्ता ने कहा कि मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किस आतंकी समूह से संबद्ध था।

कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने पर अडिग राहुल

पेज 1 का बाकी

ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह पद पर बने रहें क्योंकि उनके अलावा पार्टी के पास नेतृत्व के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष से कहा कि लोकसभा चुनाव में हार सामूहिक जिम्मेदारी है। इस महत्त्वपूर्ण समय में पार्टी को आपके नेतृत्व की जरूरत है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद 25 मई को हुई पार्टी कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि कार्य समिति के सदस्यों ने उनकी पेशकश को खारिज करते हुए उन्हें आमूलचूल बदलाव के लिए अधिकृत किया था। तब से असमंजस की स्थिति है कि गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या किसी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

दूसरी ओर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव की अगुआई में देश भर से दिल्ली में जुटे संगठन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निवास पर प्रदर्शन कर उनसे आग्रह किया कि वे पद पर बने रहें। यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने मुश्किल समय में कांग्रेस को बेहतरीन नेतृत्व दिया है और संघर्ष के इस समय में पार्टी को उनके नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है।

राहुल संग आज चर्चा करेंगे हरियाणा के कांग्रेसी नेता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को तीन महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सूबे के कांग्रेसी सूरमाओं से रायशुमारी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुआई में गठित समन्वय समिति में शामिल तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर आयोजित बैठक में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेंगे।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर चुके राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के नेताओं के साथ यह दूसरी बैठक होगी। वह सुबह पहले महाराष्ट्र के नेताओं और फिर शाम में हरियाणा के नेताओं के साथ अपने निवास पर बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक को लेकर पूछने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि बैठक में प्रदेश से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी लेकिन जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बस से चंडीगढ़ के लिए रवाना होने के मौके पर बुधवार को तंवर ने कहा कि उन्होंने यह तय किया है कि आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए वह अब निजी कार की जगह सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का ही प्रयोग करेंगे। समझा जा रहा है कि चुनावी तैयारी के मद्देनजर सूबे के तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी निजी कारों के बदले बसों व रेलगाड़ियों में आम जनता के साथ सफर करेंगे ताकि वे आम लोगों के दुःख-दर्द से वाकिफ भी हों और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करें। तंवर इससे पहले समूचे प्रदेश में साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं।

लोकसभा के बीते चुनाव में कांग्रेस हरियाणा की सभी दस संसदीय सीटों पर पराजित हो गई। पार्टी नेताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चली लहर को जिम्मेदार माना था लेकिन सूबे के कांग्रेसी नेताओं की आपसी लड़ाई को भी प्रदेश में पार्टी की कमजोरी की एक बड़ी वजह माना जाता है। प्रदेश के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद द्वारा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए जब दिल्ली में बैठक बुलाई तो तमाम वरिष्ठ नेता आपस में ही उलझ गए।

भारतीय टीम की नारंगी जर्सी पर विवाद

पेज 1 का बाकी

संकुचित सोच करार दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का कहना है कि टीम की ड्रेस राजनीतिक विषय नहीं है और वह उसके विश्व विजेता बनने की कामना करती है। मेजबान इंग्लैंड सहित कुछ टीमों के खिलाफ विश्व कप के मैचों में भारतीय टीम नारंगी जर्सी पहन सकती है। इसका कारण है कि भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें नीली रंग की जर्सी पहनती हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड को छोड़कर सभी टीमों से दो तरह की यूनीफॉर्म तैयार रखने को कहा है।

इस मामले पर महाराष्ट्र के मुंबई से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर चीज का भगवाकरण करने के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी पूरे देश को भगवा रंग में रंगना चाहते हैं। आज, जर्सी भगवा रंग की हो रही है। अगर आप जर्सी के लिए रंग चुनना चाहते हैं तो तिरंगे के रंग को चुनिए, मुझे कोई परेशानी नहीं।

कांग्रेस विधायक नसीम खान ने आजमी के आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश को हर क्षेत्र में भगवाकरण की ओर लेकर जा रही है। चाहे वह खेल हो, संस्कृति हो या शिक्षा।

पोम्पिओ ने मोदी से मुलाकात कर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ बुधवार को यहां हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की पूर्ण संभावना हासिल करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पोम्पिओ मंगलवार को यहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ संबंधों में अपनी प्राथमिकता को दोहराया है।

महाराष्ट्र में जीएम बीज बोने पर 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज

अकोला, 26 जून (भाषा)।

प्रतिबंधित हर्बिसाइड-टोलरेंट बीटी (एचटीबीटी) कपास के बीज की बुआई के आरोप में महाराष्ट्र के अकोला जिले के कम से कम 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में बताया।

आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित बीटी (बेसिलस थूरिंगिनसिस) कपास और बैंगन के बीज के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ शेतकारी संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के तहत अडगांव और अकोली जहांगीर गांवों में किसानों ने अपने खेतों में बीज बोए। पूर्वी महाराष्ट्र के इस जिले में 10 जून को सैकड़ों किसानों ने कपास और बैंगन के जीएम बीज से बुआई की थी।

आइबी व रॉ को मिले नए मुखिया

पेज 1 का बाकी

कार्यकाल के लिए इन दोनों अधिकारियों की नियुक्तियों को अपनी मंजूरी दी। कुमार 30 जून को आइबी की बागडोर संभालेंगे, जब राजीव जैन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं, अनिल धस्माना का कार्यकाल पूरा होने के बाद गोयल रॉ का प्रभार संभालेंगे। आइबी आंतरिक खुफिया एजंसी है, जबकि रॉ विदेशों में भारत के लिए जासूसी करती है।

असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के 59 वर्षीय आइपीएस अधिकारी कुमार फिलहाल आइबी में विशेष निदेशक हैं। वे 1991 से खुफिया ब्यूरो के साथ काम कर रहे हैं और वे मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में भी सेवा दे चुके हैं। वे आइबी में जैन के बाद दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी हैं। गोयल पंजाब कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। वे अभी 'रॉ' में विशेष सचिव हैं। उन्हें 'इंटेलीजेंस व ऑपरेशन' में काफी अनुभव है। उन्हें पंजाब में आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे का विशेषज्ञ भी माना जाता है। उन्होंने 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।

सभी डिजाइन के सिक्के वैध, लोग स्वीकार करें : रिजर्व बैंक

पेज 1 का बाकी

सिक्के चलन में लाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं। वे विभिन्न विचारों..आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक..से प्रेरित होती हैं। आरबीआइ ने कहा कि सिक्के लंबी अवधि के लिए चलन में बने रहते हैं। साथ ही अलग-अलग डिजाइन और आकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, 'ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ तबकों में ऐसे सिक्कों को लेकर संदेह है और इसके कारण कुछ व्यापारी दुकानदार और लोग सिक्के स्वीकार नहीं करते। इससे देश के कुछ हिस्सों में सिक्कों के मुक्त उपयोग और चलन बाधित हुआ है।' बयान के अनुसार, 'रिजर्व बैंक लोगों से अपील करता है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और इन सिक्कों को बिना झिझक वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करें।' फिलहाल विभिन्न आकार-प्रकार, डिजाइन के 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए की राशि के सिक्के चलन में हैं। केंद्रीय बैंक ने इससे पहले बैंकों से यह भी कहा है कि वे सिक्के बदलने आने वाले ग्राहकों को अपनी शाखाओं से नहीं लौटाएं।

विज्ञापन की आड़ में अखबारों को दबाने की कोशिश : अधीर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अखबारों को विज्ञापन की आड़ में 'दबाने' का प्रयास हो रहा है। सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चौधरी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) ने मीडिया को विज्ञापन के भुगतान की व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया है। इसका मकसद व्यवस्था में पारदर्शिता लाना बताया गया है। लेकिन इसके बहाने मीडिया वालों का विज्ञापन बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि कई अखबार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के इस प्रयास के खिलाफ सभी को विरोध करना चाहिए। चौधरी इस विषय पर अपनी बात को आगे जारी रखना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने अपने स्थान से विरोध प्रकट किया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कुछ कहते देखा गया।

कांग्रेस के ही शशि थरूर ने सरकार से तिरुवनंतपुरम में सुनने और बोलने की अशक्तता वाले लोगों के लिए संस्थान स्थापित करने के अपने वादे को पूरा करने की मांग की। कांग्रेस के गुरजीत सिंह ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद अटारी सीमा से होने वाले कारोबार पर शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे कारोबारियों को काफी परेशानी पेश आ रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

जेसिका ने सिंबा, सुल्तान और बाहुबली का कुनबा बढ़ाया

पेज 1 का बाकी

गीगो से शेरनी जेसिका की करवाई गई मुलाकात रंग लाई और जेसिका गर्भवती हो गई। शेरनी का गर्भकाल 105 दिन का होता है। सीजेडए के नियमों के मुताबिक लायन सफारी को जनता के लिए तभी खोला जा सकता है, जब वहां कम से कम दस शावक हों। सफारी में फिलहाल तीन शावक हैं। इसी महीने संख्या बढ़ने वाली है। दरअसल लायन सफारी को खोलने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कम से कम 10 बच्चों की अनिवार्यता लगाई है।

दोषियों को मिले कड़ी सजा

पेज 1 का बाकी

ने यह बात कही। बिहार में 'चमकी' बुखार के कारण बच्चों की लगातार मौत पर उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमारी 70 साल की विफलताओं में से एक है और हम सभी को मिलकर इन विफलताओं से निबटने के समाधान खोजने होंगे।

उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी नागरिकों को कठघरे में खड़ा करके हम अपनी राजनीति तो कर सकते हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि झारखंड भीड़ हिंसा का अड्डा हो गया है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे लेकर झारखंड राज्य को दोषी ठहराना उचित नहीं है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

बिहार में बच्चों की इन्सेफेलाइटिस के कारण मौत की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए 'दुख और शर्म' की बात है। उन्होंने कहा कि आज भी बच्चों का बुखार से मरना देश की 70 साल की विफलताओं में से एक है और हम सभी को मिलकर इन विफलताओं से निबटने के समाधान खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव पर लाए गए विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को भी सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

उन्होंने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब चुनाव स्वयं जनता लड़ती है। 2019 का चुनाव दलों से परे देश की जनता लड़ रही थी। भाजपा नीत राजग को लोकसभा चुनाव में मिले बहुमत को 'देश की हार' बताने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कहना देश के करोड़ों मतदाताओं, किसानों व मीडिया का अपमान है।

उन्होंने विपक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा पर किए गए हमले पर कहा, 'यह कहा जाता है कि आप तो चुनाव जीत गए हैं लेकिन देश हार गया है। ऐसा कहना लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है।' यह बात देश के लोगों की गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर करती है। क्या वायनाड, रायबरेली, बहरामपुर या अमेठी में हिंदुस्तान हार गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। राहुल वायनाड संसदीय सीट से और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस हारी तो देश हार गया। देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश। अहंकार की एक सीमा होती है। 55 साल तक देश पर राज्य करने वाली पार्टी 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाई।' उन्होंने कहा, 'इस प्रकार की भाषा बोल कर देश के मतदाताओं के विवेक पर सवाल उठाया गया। मतदाताओं का अपमान बड़ी पीड़ा देता है। यहां तक कह दिया गया कि किसान दो-दो हजार रुपए में बिक गया। यह कहना देश के किसानों का अपमान है।

उत्तराखंड : दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

देहरादून, 26 जून (भाषा)।

उत्तराखंड विधानसभा ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करने वाला उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 बुधवार को पारित कर दिया।

इसके साथ ही इस विधेयक में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी कर दी गई है और एक साथ दो पद धारण करने को भी वर्जित किया गया है। इस संशोधन विधेयक के अनुसार, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए यह अर्हता आठवीं कक्षा है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव लड़ने हेतु पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इस विधेयक में ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हों। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस अधिनियम को आगामी पंचायत चुनावों में लागू किया जाएगा।

ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकदमे को मंजूरी

पेज 1 का बाकी

इस मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप संसद की मंजूरी के बगैर विदेशी और प्रांतीय सरकारों से तोहफे ले रहे हैं।

इतना ही नहीं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से उलट ट्रंप ने अपने व्यावसाय से भी पूरी तरह संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया है। सांसदों का कहना है कि अनुमति लेने में ट्रंप की अनिच्छा जनप्रतिनिधियों को उनका काम ठीक से नहीं करने देने जैसा है। न्यायाधीश के फैसले के बाद सांसद अब सूचनाएं एकत्र करने के लिए समन भेज सकेंगे। मंगलवार को यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप 2020 राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक गोलमेज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाशिंगटन स्थित अपने ही नाम वाले होटल में जा रहे हैं। यह होटल वाइट हाउस के बिलकुल करीब है। इस कार्यक्रम में चुनावी अभियान के लिए धन जुटाया जाएगा। विधि विभाग की प्रवक्ता केली लाको का कहना है कि यह मुकदमे को खारिज हो जाना चाहिए था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और न हीं प्रतिक्रिया के लिए अनुरोधों का जवाब दिया है।

प्रधानमंत्री ने बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दिए : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया, लेकिन उन्होंने उन बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष ने उठाए थे।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अभिभाषण के राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में विपक्ष पर उच्च सदन में विधेयकों को पारित करने में व्यवधान डालने संबंधी आरोप को खारिज करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया कि प्रधानमंत्री का यह आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2004 से 2014 के बीच की संसद की कार्यवाही का ब्योरा जारी करना चाहिए ताकि यह पता हो सके कि कार्यवाही में किस तरह से व्यवधान डाले गए थे।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दिए जो हमने उठाए थे।

इनेलो के राज्यसभा सदस्य कश्यप भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के राज्यसभा सदस्य रामकुमार कश्यप बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। कश्यप भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। कश्यप उच्च सदन में इनेलो के एकमात्र सदस्य थे। इसके साथ ही राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ कर 76 हो गई है। कश्यप के अलावा केरल के कन्नूर से दो बार सांसद रहे एपी अब्दुल्ला कुट्टी भी भाजपा में शामिल हुए। अब्दुल्ला कुट्टी माकपा और कांग्रेस में रह चुके हैं।

सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन

एशिया-प्रशांत समूह ने आमराय से किया अनुमोदन

संयुक्त राष्ट्र, 26 जून (भाषा)।

चीन और पाकिस्तान सहित 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में दो साल की अस्थायी सदस्यता के लिए आमराय से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और यह विश्व मंच पर देश की बढ़ती साख को दिखाता है।

पंद्रह सदस्यीय परिषद में 2021-2022 के कार्यकाल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव जून 2020 के आस-पास होना है। इन सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'सर्वसम्मति वाला कदम। एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2021/22 के दो साल के कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का अनुमोदन सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में किया। सभी 55 सदस्यों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद।'

अकबरुद्दीन ने संदेश के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है, 'एशिया-प्रशांत समूह ने यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 55 देश,

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'सर्वसम्मति वाला कदम। एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2021/22 के दो साल के कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का अनुमोदन सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्यकाल 2021-2022 के अस्थाई सदस्य के लिए एक मनोनीत..भारत।' इस वीडियो संदेश में भारत की उम्मीदवारी पेश करने के लिए एशिया-प्रशांत समूह के सभी देशों को धन्यवाद भी दिया गया है।

भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले 55 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कुवैत, किर्गिजिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं।

प्रत्येक वर्ष 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। यूएनएससी की 10 अस्थायी सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय आधार पर किया गया है.... अफ्रीका और एशिया के हिस्से में पांच जबकि पूर्वी यूरोप के हिस्से में एक, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के हिस्से में दो, पश्चिमी यूरोप के हिस्से में दो सीटें हैं।

इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है।

डेनमार्क में सोशल डेमोक्रेट नेता फ्रेडेरिकसेन बनाएंगी सरकार

कोपेनहेगन, 26 जून (एएफपी)।

हफ्तों तक चली वार्ता के बाद तीन वाम और वामपंथी झुकाव वाले दलों के साथ समझौता होने पर डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट नेता ने घोषणा की है कि वह अल्पमत सरकार बनाएंगी। मेट्टे फ्रेडेरिकसेन (41) डेनमार्क की अब तक की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन जाएंगी।

उन्होंने कहा, 'अब हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। हमने दिखाया है कि डेनमार्क वासियों ने वोट दिया तो हम बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं।' डेनमार्क में अल्पमत वाली सरकार बनती रही है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और आव्रजन नीति पर परस्पर विरोधी मांग पर वार्ता केंद्रित रही।

फ्रेडेरिकसेन ने कहा कि वे बुधवार को 18 पन्ने का समझौता प्रस्तुत करेंगी। इससे गुरुवार को नई सरकार की रूपरेखा का पता चलेगा।

डेनमार्क में 1988 के बाद तीन सप्ताह के इतने लंबे समय तक वार्ता चली। उन्होंने कहा,

डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट नेता फ्रेडेरिकसेन ने कहा, 'अब हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। हमने दिखाया है कि डेनमार्क वासियों ने वोट दिया तो हम बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं।' डेनमार्क में अल्पमत वाली सरकार बनती रही है।

'यह राजनीतिक दस्तावेज है। दुनिया का पहला राजनीतिक दस्तावेज है जिसमें हरित लक्ष्यों को प्रधानता दी गई है।' मतदाताओं और वामदलों के बीच यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा था।

उन्होंने कहा, 'हम एक जलवायु योजना और जलवायु पर बाध्यकारी कानून तैयार करेंगे। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 70 फीसद कम करेंगे।' विपक्षी सोशल डेमोक्रेट्स ने 25.9 फीसद मतों के साथ पांच जून को आम चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव में कई महत्त्वपूर्ण सहयोगियों की हार के बाद निवर्तमान लिबरल प्रधानमंत्री लार्स लोके रासमुसेन की सरकार की विदाई हो गई।

अमेरिकी सीमा प्रमुख ने की इस्तीफे की घोषणा

वाशिंगटन, 26 जून (एएफपी)।

अमेरिकी सीमाशुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) एजंसी के कार्यवाहक आयुक्त ने टेक्सास में प्रवासी बच्चों की हिरासत की चिंताजनक स्थितियों पर स्वर मुखर होने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

जॉन सैंडर्स को दो माह पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक पत्र लिख कर कहा कि उन्होंने सीबीपी प्रमुख के पद से पांच जुलाई को इस्तीफा देने का निर्णय किया है।

सैंडर्स की विदाई ऐसे समय में हो रही है जब टेक्सास के क्लिंट में एक सीमा गश्त प्रतिष्ठान के क्षमता से अधिक भरे होने और बच्चों को हिरासत में रखने के स्थान में भीषण गंदगी होने का खुलासा हुआ है। यह अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों के कारण घटते संसाधनों या बढ़ते बोझ की ओर इशारा करता है।

अल पासो के निकट स्थित इस प्रतिष्ठान में वकीलों, चिकित्सकों और अन्य लोगों के दल ने यात्रा की थी और वहां हालात का खुलासा किया।

मलेशिया में कछुओं की तस्करी में चार भारतीय गिरफ्तार

सिंगापुर, 26 जून (भाषा)।

मलेशिया में दो अलग-अलग घटनाक्रमों में कछुओं और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में चार भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पांच हजार कछुए मिले हैं। वहीं 14 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। मीडिया में आई खबरों में ये जानकारियां दी गई।

द स्टार की खबर के अनुसार मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग ने भारत जाने वाले दो संदिग्धों के पास से कछुए के पांच हजार 255 बच्चे जब्त किए हैं।

सेपांग स्थित विभाग के कार्यालय में केंद्रीय जोन के सीमा शुल्क सहायक महानिदेशक दातुक जुल्करनैन मोहम्मद युसूफ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दो भारतीयों से 20 जून को कुआलालांपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह बरामदगी की गई।

सहायक महानिदेशक के हवाले से खबर में कहा गया है कि दोनों भारतीय चीन के गुआंगझोऊ से तुरंत पहुंचे थे और उनके सामान की जांच के दौरान कछुओं की यह बरामदगी हुई। खबर में कहा गया है कि कछुए एक टोकरी में थे जो उनके सूटकेस में रखा था।

खबर में कहा गया है कि सूटकेस में मिले कछुए जीवित नहीं थे, क्योंकि इसके लिए न तो उसमें भोजन न ही अन्य कोई विशेष उपाय किए गए थे। विभाग ने बरामद कछुओं की कीमत 12 हजार 700 अमेरिकी डालर होने का अनुमान लगाया है। अधिकारी ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1967 के अनुसार बिना लाइसेंस कछुओं का आयात एक अपराध है।

ईरान कभी अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहता : रूहानी

तेहरान, 26 जून (एएफपी)।

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को कहा कि उनका देश कभी भी अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहता है। ईरान की सरकारी मीडिया पर यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में आया है।

सैम ब्राउनबैक को मिला महात्मा गांधी सम्मान

वाशिंगटन, 26 जून (भाषा)।

हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यामां और मलेशिया जैसे देशों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के अमेरिकी दूत सैम ब्राउनबैक को 'बहुलतावाद को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी' सम्मान दिया है।

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. के प्रस्तावित स्ट्रेटजिक विक्रय तथा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण हेतु वैश्विक स्तर पर आमंत्रित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का **पांचवा शुद्धिपत्र**

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) 12 फरवरी 2019 को पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद एअर इंडिया ऐसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 05 मार्च 2019, 26 मार्च 2019, 24 अप्रैल 2019 और 25 मई 2019 को क्रमशः पहला शुद्धिपत्र, दूसरा शुद्धिपत्र, तीसरा शुद्धिपत्र और चौथा शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

इच्छुक बोलीकर्ता पीआईएम के संबंध में पांचवे शुद्धिपत्र को एआईएएचएल की वेबसाइट **http://www.aiahl.com/**, एआईएटीएसएल की वेबसाइट **http://www.aiatsl.com** तथा ट्रांज़ेक्शन सलाहकार की वेबसाइट **http://www.ey.com/in/en/home** से डाउनलोड कर सकते हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः

1. सं. सीनियर मैनेजर (टीएक्स-एमएम)/ओएफसी स्प्लाइस क्लोजर्स/2018-19/15 "ऑप्टिकल फाइबर केबल स्प्लाइस क्लोजर्स" की अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु.31,28,366/-)। आगे कोई भी संशोधन, शुद्धिपत्र आदि केवल दी गई वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा/किए जाएंगे।

2. सं. 01/ईई (सी)/सीजीओ/एमटीएनएल/एनआईटी/2019-20 ईई (सिविल) सीजीओ द्वारा टीई बिल्डिंग, करोल बाग, नई दिल्ली में भूतल पर संलग्न शौचालय के प्रावधान और कार्यालयों एवं कॉरिडोर के लिए आंतरिक फिनिशिंग/नवीनीकरण कार्य के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएँ (दो बोली प्रणाली) आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु.14,55,102/-)।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **http://www.eprocure.gov.in**, **http://www.tenders.gov.in** एवं **http://etender.mtnl.net.in** देखें।

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी-प्रथम ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मॉग तथा उपस्थित होने की सूचना
(नोटिस अंतर्गत आयकर एक्ट 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 सपठित ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 29)
आर सी संख्या 126/2019, ओ.ए. नं0 262/2018 डायरी संख्या. 474 दिनांक: 15.06.2019

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखाः एस.ए. आर. बी. सहारनपुर रोड, देहरादून (उत्तराखंड) बनाम मैसर्स इकरार हैन्डीक्राफ्ट एवं अन्य

सेवा में,
सीडी. 1: मैसर्स इकरार हैन्डीक्राफ्ट, प्रोपराईटरशिप कंसर्न नदीम कॉलोनी, ईदगाह रोड, हिना मस्जिद के पास, सहारनपुर, (उत्तरप्रदेश) इसके प्रोपराईटर श्री इकरार अहमद पुत्र श्री फुरकान अहमद.
सीडी. 2: इकरार अहमद पुत्र श्री फुरकान अहमद, निवासी पीर वाली गली, कमेला कॉलोनी, गली नं0 14, बेरिओं का मदरसा, सहारनपुर, (उत्तरप्रदेश)
सीडी. 3: राजेश कुमार पुरी पुत्र श्री कुन्दन लाल पुरी, निवासी 1813/2, लक्षमण सिंह कॉलोनी, मिशन कंपाउन्ड, बीएचएस इन्टर कॉलिज के पास सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) **सर्टिफिकेट डेब्टर**

यह सूचित करना है कि आप पर रू0 **32,42,940.83/- (बत्तीस लाख ब्यालीस हजार नौ सौ चालीस एवं तिरासी पैसा मात्र)** साथ में + वाद कालीन एवं भविष्य ब्याज, ओ.ए. की दिनांक **20.08.2018** से @10.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के घटते अवशेष पर दर से अन्य खर्चे बकाया है। जोकि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण-देहरादून के द्वारा दिनांक 05.02.2019 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ0ए0 संख्या 262/2018 के अनुसार आपके विरुद्ध **रू0 74,825.00** का वाद व्यय सहित देय हैं।

(i) अधोहस्ताक्षरी इस बात पर संतुष्ट कि सामान्यतः मांग पत्र दिया जाना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन के द्वारा यह सूचना दी जा रही है, जिसके अनुसार आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर उक्त राशि की अदायगी की जाए, अन्यथा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार वसूली कार्यवाही की जाएगी।

(ii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी होंगे। **कः** इस निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज। **खः** इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

(iii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24.07.2019 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जून, 2019 के 15 वें दिन को जारी।
(संजय कुमार शर्मा)
वसूली अधिकारी-प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) (क) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
किशिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U50300DL2010PTC199790)
जिसका पंजीकृत कार्यालय # 910, जीडीआईटीएल टावर बी - 8, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली - 110034 में स्थित है के विषय में
..........................(याचिकादाता)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में **सोमवार, 17 जून 2019** को इसकी आसाधरण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:
910, जीडीआईटीएल टावर बी - 8, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली - 110034

कृते एवं हिते आवेदक
किशिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
कनव गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 00812388
तिथि : 25-06-2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) (क) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
कनव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U34300DL2002PTC115450)
जिसका पंजीकृत कार्यालय # 910, जीडीआईटीएल टावर बी - 8, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली - 110034 में स्थित है के विषय में,
..........................(याचिकादाता)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में **मंगलवार, 18 जून 2019** को इसकी आसाधरण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:
910, जीडीआईटीएल टावर बी - 8, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली - 110034

कृते एवं हिते आवेदक
कनव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
कनव गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन : 00812388
तिथि : 25-06-2019
स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय
सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डीयूएसआईबी, इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:
एनआईटी संख्या: 16/ EEC-10/ DUSIB/ 2019-20
निविदा संख्या: 2019_ DUSIB_ 174554-1
कार्य का नाम: ई.आई.यू.एस. उप शीर्षः एसी-19 सदर बाजार में बाहरी हरित पट्टी के निकट जे.जे. बस्ती में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां एवं नालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार
अनुमानित लागत: रु. 49,95,087.00
धरोहर राशि: रु. 1,00,000.00
निविदा मूल्य: रु. 1000.00
कार्य अवधि: 120 दिन
निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 09.07.2019 के 15.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि: 09.07.2019 के 15.30 बजे के बाद
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट **https://eprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।
* सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
कार्यकारी अभियन्ता
सी-10, डी.यू.एस.आई.बी.
DIP/Shabdarth/0276/19-20

unitech
यूनीटेक लिमिटेड
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजीकृत कार्यालयः बेस्मेन्ट, 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली/फैक्सः- 11-26857338,
E-mail: share.dept@unitechgroup.com
Web: www.unitechgroup.com

सूचना
बैठक का स्थगन
[1 जून, 2019 को प्रकाशित सूचना के अधिक्रम में]

सूचित किया जाता है कि 30 मई, 2019 को मूल रूप से निर्धारित कम्पनी की ऑडिट कमिटी की बैठक जो क्रमशः 15 जून, 2019 एवं 25 जून, 2019 के लिये स्थगित कर दी गई थी, को आज आयोजित उनकी बैठक में अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा करते समय ऑडिट कमिटी द्वारा मांगी गई कुछ विवरणों/स्पष्टीकरणों के कारण पुनः स्थगित कर दी गई है। उसे तैयार करने के लिये कम्पनी के लेखा विभाग ने कुछ समय की मांग की है। अतएव, आज आयोजित बोर्ड की बैठक में उपस्थित अन्य निदेशकों की सहमति से अध्यक्ष ने गुरुवार, 4 जुलाई, 2019 तक के लिये बोर्ड की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों से संबंधित मदों तथा अन्य संबंधित व्यवसाय को गुरुवार, 4 जुलाई, 2019 को निष्पादित किया जायेगा।

पुनः बोर्ड की बैठक के उपरोक्त स्थगन को देखते हुए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि जो 4 अप्रैल, 2019 को शुरू हुई थी, अब 4 जुलाई, 2019 को इन परिणामों को सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

निवेशकगण www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com भी देख सकते हैं।

यूनिटेक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रमेश चन्द्रा
अध्यक्ष
गुरुग्राम
25 जून, 2019

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
डिजीटोन मोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2016PTC325103) जिसका पंजीकृत कार्यालय 4, यूएस कॉम्प्लैक्स, 120 मथुरा रोड, अपोलो हॉस्पीटल के सामने, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 में है, के मामले में
.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 22 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालयः 4, यूएस कॉम्प्लैक्स, 120 मथुरा रोड, अपोलो हॉस्पीटल के सामने, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
डिजीटोन मोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
देलोंग गाओ
(निदेशक)
DIN: 07586077
तिथिः 22.06.2019
स्थानः नई दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
जेमटेक स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U32200HR2018PTC075684) जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप नं. 27, प्रथम तल, ऑगस्टा प्वाइन्ट, सेक्टर 53, सेक्टर रोड, गुड़गांव, एचआर-122001 में है, के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 22 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालयः शॉप नं. 27, प्रथम तल, ऑगस्टा प्वाइन्ट, सेक्टर 53, सेक्टर रोड, गुड़गांव, एचआर-122001

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
जेमटेक स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रा.लि. के लिये
हस्ता./-
देलोंग गाओ
(निदेशक)
DIN: 07586077
तिथिः 22.06.2019
स्थानः गुड़गांव

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-7 गालुडीह।
Enail ID: eendd7gal.chandil@gmail.com

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय द्वारा आंमत्रित निविदा WRD/MDD-7/GALUDIH/IFB-02/2019-20, दिनांक 29.05.2019 जिसका PR No. 209132 Water Resources (19-20)_D, द्वारा प्रकाशित को निम्नवतः संशोधन किया जाता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	विभाग का नाम	जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार।
2.	कार्य का नाम	CONSTRUCTION OF RESIDUAL E/W, LINING, STRUTURES & WBM SERVICE ROAD OF OR -49A & GAP OF OR -49C, EX. KM 105.818 OF CLMC.
3.	प्राक्कलित राशि	रू0 11,34,29,701.62 (रू0 ग्यारह करोड़ चौतीस लाख उनतीस हजार सात सौ एक एवं पैसे बासठ) मात्र
4.	कार्य पूर्ण करने का समय	730 दिन
5.	वेबसाईट पर ई0-निविदा प्रकाशन की तिथि	07.06.2019 12.00 बजे अपराह्न से
6.	ई0-निबिदा अभिलेख डाउन लोड/अपलोड करने की तिथि	07.06.2019 से 05.07.2019 5.00 बजे अपराह्न तक
6.	परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि	06.07.2019 5.00 बजे अपराह्न तक
7.	ई0-निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि समय	08.07.2019 12.00 बजे अपराह्न
8.	ई0-निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	श्री शशि भुषण कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह।
9.	ई0 प्रोक्यूरमेंट पदाधिकारी का मोबाईल नं0	09431989624
10.	ई0 प्रोक्यूरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं0	0657-2371765

नोटः-सिर्फ ई-निविदा स्वीकार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखें।
कार्यपालक अभियंता,
लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-7 गालुडीह।
PR209969 Water Resource(19-20)D

भारतीय स्टेट बैंक
शाखाः मॉडल टाउन (01708)
बी-4/7, प्रिंस रोड, मॉडल टाउन-1, दिल्ली-110009,
टेलीः 011-27242532, 27125903, sbi.01708@sbi.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.4.2019 जारी कर ऋणधारक मै. जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशकों एवं गारन्टरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.03.2019 को रु. 5,42,39,744.75 (रुपए पांच करोड़ बयालिस लाख उन्तालिस हजार सात सौ चौआलिस एवं पैसे पचहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 21 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,42,39,744.75 (रुपए पांच करोड़ बयालिस लाख उन्तालिस हजार सात सौ चौआलिस एवं पैसे पचहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज/चार्जेज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

एवैलॉन रंगोली, गढ़ी अलवलपुर, सेक्टर-24, निकट द्वारकाधीष अरावली हाइट्स अपार्टमेन्ट्स, धारूहेरा, तहसील-धारूहेरा, जिला-रेवाड़ी (हरियाणा) का 53 बिना बिका फ्लैट्स।

A1:(203, 1203), A2: (201, 603, 802, 1002, 1202), A3: (501, 604), A4: (103,204,1003), A5: (1204), A6: (1202), A7: (1203), A8: (202, 205, 302, 604, 802,1202, 1204, 1205), B-1: (403, 603, 702, 803, 903, 1002, 1003, 1004), B-2: (104, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 303, 401, 402, 404, 502, 503, 602, 603, 604,703, 803, 804, 902, 903, 1002)

तिथिः 21.06.2019
स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
1ला तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः 011-23441501, 02, फैक्सः 23441503, ईमेलः overse@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिये)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.3.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती नसीरा बेगम, पत्नी श्री मोह. कामिल, श्री मोह. कामिल, पुत्र श्री गयासुद्दीन, श्री मोह. मोहसिन, पुत्र श्री गयासुद्दीन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 28.2.2019 को रु. 46,75,90,479.20 (रुपए छियालिस करोड़ पचहत्तर लाख नब्बे हजार चार सौ उन्यासी एवं पैसे बीस मात्र)** के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत चार्जेज तथा भुगतान की तिथि तक खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, **24 जून, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/मार्टगैजरों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 28.2.2019 **को रु. 46,75,90,479.20 (रुपए छियालिस करोड़ पचहत्तर लाख नब्बे हजार चार सौ उन्यासी एवं पैसे बीस मात्र)** के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत चार्जेज तथा भुगतान की तिथि तक खर्चे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती नसीरा बेगम, पत्नी श्री मोह. कामिल के नाम में बाबर रोड, नई दिल्ली, अब, 98 बाबर रोड, नई दिल्ली-110001 के नाम से विदित में ब्लॉक-205एए में स्थित उसके छत के अधिकार के साथ प्लॉट नं. 17, माप 972.84 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः सर्विस रोड, दक्षिणः बाबर रोड के नाम से विदित मैन रोड, पूर्वः प्लॉट नं. 18 जो 96 बाबर रोड के नाम से विदित है, पश्चिमः 100 बाबर रोड के नाम से विदित प्लॉट नं. 16

तिथिः 24.06.2019, स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ADF Foods Limited
CIN: L15400GJ1990PLC014265
Regd. Office: 83/86 GIDC Industrial Estate, Nadiad 387001, Gujarat
Tel.: 0268-2551381/2; Fax: 0268-2565068;
Email id: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE
TRANSFER OF THE EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 ("IEPF Rules") which are effective 28th February, 2017.

In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the IEPF Rules, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more are liable to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

The Company has already sent a communication to the concerned Shareholders at their registered address, *inter-alia*, providing the details of their unclaimed dividend for seven (7) consecutive years and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Wednesday, 25th September, 2019 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority.

In terms of Rule 6 of the IEPF Rules, a statement containing details of the name(s) of the Shareholder(s) and their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on our website www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s).

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the Shareholders by Wednesday, 25th September, 2019, the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that:

i. *For Shares held in physical form:* New Share Certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

ii. *For Shares held in electronic form:* The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the IEPF Rules. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application, for which the details are available at www.iepf.gov.in.

In case of any queries/ clarifications, the concerned Shareholders may contact the Company's Registrar & Transfer Agent - M/s. Link Intime India Private Limited quoting the Folio Number/ DP ID - Client ID at Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Tel. No.: 02249186270, e-mail ID: iepf.shares@linkintime.co.in.

For ADF Foods Ltd.
Sd/-
Shalaka Ovalekar
Company Secretary
Mumbai
June 27, 2019

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

प्रधान कार्यालयः मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001. दूरभाषः 0824-2861888 फैक्सः 2428943. ई-मेलः query@corpbank.co.in वेबसाइटः www.corpbank.com

31 मार्च, 2019 की स्थिति का एकल तुलन-पत्र

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	अनुसूची सं.	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
पूँजी और देयताएँ			
पूँजी	1	1198,83,68	333,10,97
आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	15366,02,45	10512,74,23
जमा राशियाँ	3	184567,84,45	183315,94,99
उधार राशियाँ	4	8394,25,52	22171,13,35
अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	5	4050,89,28	5558,37,00
योग		213577,85,38	221891,30,54

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	अनुसूची सं.	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
आस्तियाँ			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	6	9661,06,85	11140,15,36
बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर धन	7	2907,96,58	177,52,65
निवेश	8	59979,19,81	70349,75,60
अग्रिम	9	121251,20,92	119868,83,71
स्थाई आस्तियाँ	10	1421,84,82	1229,21,10
अन्य आस्तियाँ	11	18356,56,40	19125,82,12
योग		213577,85,38	22,1891,30,54
आकस्मिक देयताएँ	12	62625,62,97	87356,57,84
वसूली हेतु बिल		13747,30,85	13893,39,89
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	अनुसूची सं.	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	15622,63,03	17628,33,27
अन्य आय	14	1872,06,87	2313,08,08
योग		17494,69,90	19941,41,35
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	10114,16,60	12790,10,86
परिचालन व्यय	16	3486,06,80	3200,88,85
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		10227,44,79	8004,35,95
योग		23827,68,19	23995,35,66
III. वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)		(6332,98,29)	(40,539,431)

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	अनुसूची सं.	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
IV. विनियोग (से/को)			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण		-	-
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण		-	-
निवेश आरक्षित निधि में अन्तरण		-	(106,81,61)
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरण		-	-
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		-	-
प्रस्तावित लाभांश		-	-
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर कर		-	-
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		(63,329,829)	(3947,12,70)
योग		(63,329,829)	(4053,94,31)
प्रति शेयर अर्जन (₹)		(30.06)	(35.30)

उपरोक्त वर्णित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न भाग हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह विवरण

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर उपरांत निवल लाभ/हानि (-)	-6332,98,29	-4053,94,31
जोड़ें: कर हेतु प्रावधान	-1715,70,23	-2626,91,50
कर पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	-8048,68,52	-6680,85,81
निम्न हेतु		
स्थिर आस्तियों	176,50,70	175,34,03
निवेशों पर	340,20,20	820,65,55
एनपीए हेतु	11585,13,72	10982,13,51
आस्तियों हेतु प्रावधान	180,52,52	-815,65,09
टियर I और टियर II बॉंडों पर प्रदत्त ब्याज	420,81,01	592,65,49
आकस्मिकताओं और अन्य हेतु प्रावधान	-43,29,41	-54,63,53
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1,49,49	-,45,07
कर्मचारी कल्याण निधि हेतु, मूल्यह्रास		
अनुषंगियों और सहयोगियों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित		
(प्रदत्त)/वापस किया गया प्रत्यक्ष कर	-1139,66,85	-85,28,71
ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान	-119,42,00	-301,23,00
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले नकदी प्रवाह		
निम्न हेतु समायोजन	3353,60,86	4632,67,37
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	1251,89,46	-37243,66,93
उधार में वृद्धि/(कमी)	-10539,37,83	14902,91,02
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-13443,32,07	-12893,45,26
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	10370,55,79	-6276,77,96
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	-1382,37,21	20487,95,67
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	3617,32,12	376,92,65
बट्टे खाते लिखने/अंतरित करने के लिए		
आरक्षित निधियों में/से समायोजन	19,25,54	17,31,28
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	-6752,43,34	-15996,12,16
ख. निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियों की बिक्री/निपटान	-3,78,32	1,74,69
स्थिर आस्तियों की खरीद	-111,49,17	-132,29,66
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश		
अनुषंगियों और सहयोगियों में लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय		
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	-115,27,49	-130,54,97
ग. वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
शेयर पूँजी के निर्गमन से आगम	11777,37,28	2187,00,00
टियर I और टियर II बॉंडों से आगम	-	800,00,00
टियर I और टियर II बॉंडों का प्रतिदान	-3237,50,00	-
टियर I और टियर II बॉंडों पर प्रदत्त ब्याज	-420,81,01	-592,65,49
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)	-	-
प्रदत्त लाभांश संवितरण कर	-	-
वित्तीयन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	8119,06,27	2394,34,51
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		
(क+ख+ग) या (च-ङ)	251,35,43	-13732,32,62
ङ वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष	11140,15,36	17496,63,49
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन	177,52,65	7553,32,14
वर्ष के प्रारंभ में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (ङ)	11317,68,01	25049,95,63
च. वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य		
नकदी और भा.रि.बैं. के पास बैंक शेष	9661,06,85	11140,15,36
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग पर और अल्प सूचना पर धन	2907,96,58	177,47,67
वर्ष के अंत में निवल नकदी और नकदी समतुल्य (च)	12569,03,43	11317,63,03

तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹		यथा 31.03.2018 ₹	
अनुसूची 1 - पूँजी				
प्राधिकृत पूँजी				
प्रत्येक ₹2 के 1500,00,00,000 ईक्विटी शेयर		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी				
प्रत्येक ₹2 के 599,41,84,034 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹2 के 166,55,48,619 ईक्विटी शेयर)				
प्रारंभिक शेष	333,10,97		229,41,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(जब्ती)	865,72,71	1198,83,68	103,69,84	333,10,97
प्रदत्त पूँजी				
क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹2 के 560,47,99,271 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹2 के 133,02,04,426 ईक्विटी शेयर)		1120,95,99		266,04,09
ख) जनता व अन्य द्वारा धारित प्रत्येक ₹2 के 38,93,84,763 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹2 के 33,53,44,193 ईक्विटी शेयर)		77,87,70		67,06,88
योग		1198,83,68		333,10,97

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹		यथा 31.03.2018 ₹	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
प्रारम्भिक शेष	3368,88,47	-	3368,88,47	
लाभ से विनियोग	-		-	
निवेशों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग				
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण	-	3368,88,47	-	3368,88,47
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ				
प्रारम्भिक शेष	1175,22,00		1175,22,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	-	1175,22,00	-	1175,22,00
III. शेयर प्रीमियम				
प्रारम्भिक शेष	5170,29,94		3086,99,78	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10911,64,57		2083,30,16	
	-	16081,94,51	-	5170,29,94
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ				
क) राजस्व आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	3112,78,74		3095,47,45	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	19,25,54		17,31,28	
	3132,04,27		3112,78,73	
वर्ष के दौरान कटौती	-	3132,04,27	-	3112,78,73
ख) विशेष आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	1430,75,89		1430,75,89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-	1430,75,89	-	1430,75,89
ग) फारेक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित निधि लाभ				
प्रारम्भिक शेष	5,84,85		5,84,85	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-	5,84,85	-	5,84,85
घ) निवेश आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		106,81,61	
लाभ-हानि विनियोग खाते से अंतरण	-	-	-106,81,61	-
V. परिसर के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	646,81,55		663,27,86	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	274,61,95		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण	19,25,54	902,17,96	16,46,31	646,81,55
VI. लाभ व हानि खाते में शेष		(10730,85,49)		(43,978,720)
कुल (I+II+III+IV+V+VI)		15366,02,45		10512,74,23

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 3 - जमाराशियाँ		
I. A माँग जमाराशियाँ		
i) बैंकों से	31,69,15	22,71,85
ii) अन्यों से	16168,06,59	14675,99,02
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	42106,72,01	39424,40,64
III. मीयादी जमाराशियाँ		
i) बैंकों से	164,33,67	176,24,70
ii) अन्यों से	126097,03,03	129016,58,78
योग (I, II & III)	184567,84,45	183315,94,99
I. B i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएँ	184567,84,45	183315,94,99
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाएँ	-	-
योग	184567,84,45	183315,94,99
* जिसमें कार्पोरेट जमाएँ सम्मिलित हैं	13,97,98	14,88,80
एफसीएनआर जमाएँ	1527,77,14	1574,97,47

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 4 - उधार राशियाँ		
I. भारत में उधार राशियाँ		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	425,00,00	8750,00,00
ii) अन्य बैंक	4282,94,46	6479,32,76
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ	86,31,06	104,30,59
iv) असुरक्षित बांड/आईपीडीआई तथा अधीनस्थ कर्ज*	3600,00,00	6837,50,00
योग	8394,25,52	22171,13,35
II. भारत से बाहर शाखाओं की उधार राशियाँ	-	-
योग (I व II)	8394,25,52	22171,13,35
उपर्युक्त I व II में शामिल सुरक्षित उधार राशियाँ	शून्य	शून्य

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान		
I. देय बिल	487,96,95	1137,99,46
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल)	114,83,76	-
III. उपचित ब्याज	774,67,39	773,80,37
IV. अन्य (प्रावधानों को शामिल करके)*	2673,41,18	3646,57,17
योग	4050,89,28	5558,37,00
* ''मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान'' सम्मिलित हैं	740,23,78	559,71,25

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 6 - नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोट और गोल्ड सहित)	1083,77,40	1234,33,48
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के शेष		
चालू खाते में	7202,29,45	8705,81,88
अन्य खातों में	1375,00,00	1200,00,00
योग (I, II व III)	9661,06,85	11140,15,36

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर धन		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	72,45,48	143,30,53
ख) अन्य जमा खातों में ख्प	2,80	-
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन		
क) बैंकों में		-
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	-	34,21,92
ii) अन्य जमा खातों में	2835,48,30	20
iii) मांग और अल्प सूचना पर धन	-	-
योग	2835,48,30	34,22,12
सकल योग (I व II)	2907,96,58	177,52,65

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 8 - निवेश		
निवेश (समग्र)	61215,16,47	71488,77,29
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1235,96,66	1139,01,69
निवल निवेश	59979,19,81	70349,75,60
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	41474,56,08	58173,35,57
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	99,61	1,49,39
iii) शेयर	245,87,87	465,23,72
iv) डिबेंचर एवं बांड	2471,85,58	3169,63,13
v) संयुक्त अनुषंगिया/उद्यम		
क) क्षे.ग्रा. बैंक में निवेश	-	-
ख) अनुषंगियों में निवेश	75,00,00	75,00,00
vi) अन्य/		
क) जमाओं का प्रमाणपत्र	559,70,31	3101,92,16
ख) वाणिज्यिक पत्र	-	1789,58,86
ग) म्यूचुअल फंड की इकाईयाँ	13,12,43	14,58,32
घ) वेंचर पूंजी निधियाँ	72,88,11	78,43,02
ङ) सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ	14926,57,16	3340,34,30
च) प्रतिभूति प्राप्तियाँ	138,08,48	139,62,95
योग	59978,65,63	70349,21,42
II. भारत के बाहर अन्य निवेशों में निवेश-स्विफ्ट में	54,18	54,18
योग (I व II)	59979,19,81	70349,75,60

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 9 - अग्रिम		
क i) खरीदे एवं भुनाए गए बि	931,80,63	1680,15,72
ii) नकद जमाएँ, ओवरड्राफ्ट तथा माँग पर चुकौती योग्य ऋण	41619,71,21	42300,61,30
iii) सावधि ऋण	78699,69,08	75888,06,69
योग	121251,20,92	119868,83,71
ख i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	95914,76,45	106030,83,48
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	10,61,47	35,92,33
iii) असुरक्षित	25325,83,00	13802,07,90
योग	121251,20,92	119868,83,71
ग I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	49505,99,46	54623,03,26
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	10328,63,88	1029,96,41
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	61416,57,58	64215,84,04
योग	121251,20,92	119868,83,71
ग II. भारत से बाहर अग्रिम	-	-
सकल योग (ग I व ग II)	121251,20,92	119868,83,71

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹		यथा 31.03.2018 ₹	
अनुसूची 10 - स्थाई आस्तियाँ				
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	924,01,08		923,47,53	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	278,80,22		59,10	
	1202,81,30		924,06,63	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,83,52		5,55	
	1192,97,78		924,01,08	
यथातिथि मूल्यह्रास	151,42,90		132,76,13	
	1041,54,88		791,24,95	
जोड़ें: कार्यगत पूँजी	4,29,26	1045,84,14	69,50	791,94,45
II. अन्य स्थाई आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	1416,61,69		1355,79,56	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	57,52,75		78,16,07	
	1474,14,44		1433,95,63	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	19,50,28		17,33,94	
	1454,64,17		1416,61,69	
यथातिथि मूल्यह्रास	1137,50,48		1040,07,01	
	317,13,69		376,54,68	
जोड़ें: कार्यगत पूँजी अथवा	11,05	317,24,74	43,90	376,98,58
III. अमूर्त (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)				
पूर्ववर्ती वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	243,06,48		205,59,05	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,04,08		37,47,81	
	280,10,56		243,06,86	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,48,94		38	
	270,61,62		243,06,48	
यथातिथि मूल्यह्रास	211,85,68	58,75,94	182,78,41	60,28,07
योग (I व II)		1421,84,82		1229,21,10

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	-	652.19,67
II. प्रोद्भूत ब्याज	1706,05,05	1409,34,80
III. अग्रिम/टीडीएस में प्रदत्त कर	290,87,82	271,55,60
IV. विवाद के अधीन प्रदत्त कर	2927,45,72	1837,01,65
V. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	5446,25,82	3706,16,38
VI. मैट क्रेडिट-पात्रता	651,38,99	658,97,22
VII. कॉन्वेट/इनपुट कर जमा	39,78,84	33,99,94
VIII. लेखन-सामग्री तथा स्टाम्प	4,78,60	4,82,91
IX. दोनों के शोधन में प्राप्त गैर-बैंक की आस्तियाँ	9,44	9,44
X. आरआईडीएफ/सिडबी/आरएचडीएफ जमाओं के तहत	5918,77,72	7555,02,84
XI. अन्य	1371,08,39	2996,61,67
योग	18356,56,40	19125,82,12

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
I. कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे	3232,79,24	2310,44,77
II. डीईएफ निधि	116,56,16	99,66,99
III. क. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं हेतु देयता	36004,23,88	58493,84,44
ख. व्युत्पन्नी	924,00,00	72,60,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में	11583,83,58	14530,82,67
ख) भारत के बाहर	223,25,88	1561,83,49
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ	4189,45,19	8933,60,32
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	105,06,62	153,75,12
VII. रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	6246,42,42	1200,00,04
योग	62625,62,97	87356,57,84
VIII. वसूली के लिए बिल	13747,30,85	13893,39,89

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	10992,59,45	11471,20,84
II. निवेशों पर ब्याज	4120,20,01	5164,38,96
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	22,85,31	81,70,14
IV. अन्य	486,98,26	911,03,33
योग	15622,63,03	17628,33,27

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 14 - अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	306,98,33	356,85,45
II. निवेशों (निवल) की बिक्री पर लाभ/हानि	-80,92,51	735,82,92
III. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि (निवल)	-1,49,49	45,07
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ/हानि (निवल)	99,18,07	161,06,59
V. भारत में अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश इत्यादि से आय	3,32,66	5,77,15
VI. विविध आय	1544,99,81	1053,10,90
योग	1872,06,87	2313,08,08

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	9500,24,42	11639,20,58
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज	119,61,64	221,07,82
III. अन्य	494,30,54	929,82,46
योग	10114,16,60	12790,10,86

(₹ 000's हटाकर)

विवरण	यथा 31.03.2019 ₹	यथा 31.03.2018 ₹
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	1746,94,71	1592,82,24
II. किराया, कर तथा बिजली	318,31,25	308,50,38
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	21,99,57	22,37,98
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	3,08,58	3,10,37
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	176,50,70	175,34,03
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	31,82	74,70
VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क तथा व्यय (शाखा के लेखा परीक्षक भी शामिल)	25,03,44	25,85,23
VIII. विधि प्रभार	6,02,44	3,09,94
IX. डाक, टेलीफोन इत्यादि	77,52,52	64,91,21
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण	115,77,36	113,39,93
XI. बीमा	235,62,59	258,73,28
XII. अन्य व्यय	758,91,82	631,99,61
योग	3486,06,80	3200,88,85

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के एकल लेखों का अंग हैं

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

क) वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं।

ख) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन वर्ग से अपेक्षित होता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक के यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें। प्रबंधन वर्ग का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक आंकड़े इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. **राजस्व निर्धारण**

क) आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:

i) बैंक गारंटियों एवं साख पत्र, आपूर्तिकर्ता/क्रेता ऋण की व्यवस्था पर कमीशन, तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।

ii) गैर-निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।

iii) आय-कर वापसियों पर ब्याज का लेखांकन आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर किया गया है।

ख) 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया गया है।

ग) बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

3. **अग्रिम**

क) अग्रिमों को भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

ख) क्रडिट कार्ड बकायों को उस स्थिति में एनपीए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहाँ न्यूनतम प्राप्य बकाया राशि विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तारीख से लगातार 90 दिन से अधिक अवधि से चूक में रही है। गैर-निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है।

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा हानि-अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

घ) गैर-निष्पादक अग्रिमों में वसूली निम्नलिखित क्रम में खाता वार (पार्टी वार नहीं) समायोजित की जायेगी -

i) वसूली हेतु किए गए व्यय/अन्य व्यय

ii) ब्याज संबंधी अनियमितायें/ अर्जित ब्याज एवं

iii) मूलधन संबंधी अनियमितता अर्थात खाते में शेष मूलधन

ङ) यदि किसी मामले में गैर-निष्पादक ऋण में समझौता निपटान द्वारा किया गया हो तो वसूली को पहले मूल में समायोजित किया जाएगा।

वसूली का समायोजन सक्षम प्राधिकारी/एनसीएलटी/ न्यायतंत्र के मंजूरीकृत नियमों के अनुसार की जाएगी।

यदि किसी मामले में गैर-निष्पादक ऋण में समझौता निपटान द्वारा किया गया हो तो वसूली को पहले मूल में समायोजित किया जाएगा। उसके बाद यदि वसूली मूल राशि से अधिक होती है तो ब्याज में समायोजित किया जाएगा।

च) भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को मअन्य देयताएं व प्रावधान-अन्यफके तहत शामिल किया गया है।

छ) पुनः संरचित खाते: पुनःसंरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा अन्य देयताएं व प्रावधान-अन्यफशीर्ष के तहत तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

4. **निवेश**

4.1 **वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा
- ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)।

बैंक, बही मूल्य या बाजार मूल्य, इन में से न्यूनतम मूल्य पर निवेशों को एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरित करता है। अर्थात्, जहाँ अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, मूल्यवृद्धि के अनदेखा किया जाना चाहिए तथा प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण को दिनांक को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, सहित) के विरुद्ध धारित मूल्यह्रास पर प्रावधान को बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए तथा प्रतिभूति बाजार मूल्य पर अंतरित किया जा सकता है।

यदि प्रतिभूति मूलतः बट्टे पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। (यह नोट किया जाए कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार एचटीएम प्रवर्ग के तहत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा उपचित करने की अनुमति नहीं है तथा, अतः, ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक अर्जन लागत पर धारण जारी रखा जाए)। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जा सकता है।

यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर एचटीएम प्रवर्ग के तहत रखी जाती है, उसे परिशोधक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में अंतरित किया जाए। अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई है, हेतु प्रावधान किया जा सकता है।

एएफएस से एचएफटी प्रवर्ग में या विलोमतः प्रतिभूतियों को अंतरित करने पर, अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है तथा संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया है तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में या विलोमतः अंतरित किया जा सकता है।

हालांकि, तुलन-पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को 6 वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर तथा बॉंड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र, प्रतिभूति रसीद तथा वेंचर पूंजी निधि)।

'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) मांग तथा मीयादी देयताओं प्रतिशत के रूप में भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

ख) पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांड।

ग) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश।

घ) उद्यम पूँजी निधियों में निवेश, 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक गिरावट से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ङ) बुनियादी संरचनागत गतिविधियों में लगे कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि बॉण्डों में निवेश।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियाँ 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं तथा अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे बिक्री करने में असमर्थ या अत्यंत अस्थिरता या बाज़ार के दिशाहीन होने पर, निदेशक मंडल/आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन के साथ उन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किए जाते हैं।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है।

4.2 **मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजनः**

क) **परिपक्वता तक धारितः** 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश भारित औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है। अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में अस्थाई को छोड़कर अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का निर्धारण किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है। वेंचर पूंजी निधि में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ख) **बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारितः**

(i) इन प्रवर्गों ('ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत वर्गीकृत) में निवेश को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी तथा एएफएस हेतु क्रमशः मासिक तथा तिमाही अंतराल में बाजार/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर अंकित किया गया है। जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत परिणामी निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, को लाभ एवं हानि लेखे में 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' के रूप में निर्धारित किया गया है तथा मूल्यह्रास हेतु पहले किए गए प्रावधान की हद तक को छोड़कर निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है।

पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) मूल्यह्रास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 - "आरक्षित निधि एवं अधिशेष" के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है।

(iii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

क्र.सं.	प्रतिभूति के प्रकार	प्रतिभूति का मूल्यांकन
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	(i) उद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दिए कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृतः एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ)	(i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित कीमतों पर (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर
3.	ट्रेजरी बिल (पीडी कारोबार के कारण रखे ट्रेजरी बिलों सहित)/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी शेयर	(i) उद्धृतः बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृतः कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार निहित विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी।
5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड	(i) उद्धृतः बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृतः उचित परिपक्वता प्रतिफल पर
6.	म्यूचुअल फंड	(i) उद्धृतः बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृतः पुनर्क्रय मूल्य या प्रत्येक योजना में फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्क्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है)
7.	उद्यम पूंजी निधि	(i) उद्धृतः बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृतः इकाइयों के रूप में निवेशों के मामले में, अपने वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए एनएवी पर मूल्यांकन किया जाए। एनएवी पर आधारित इकाइयों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए निवेशों के एएफएस प्रवर्ग से एचटीएम प्रवर्ग में अंतरण के समय तथा वीसीएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या बारंबार अंतरालों पर किए जाने वाले अनुवर्ती मूल्यांकनों पर भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इकाइयों का कम से कम वर्ष में एकबार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तथापि, यदि एनएवी आँकड़े दर्शाने वाले लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख के 18 माह से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति वीसीएफ पर किया जाए।

4.3 **गैर-निष्पादक निवेश**

क) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रतिभूतियों को, जहाँ मूलधन या ब्याज की चुकौती देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, गैर-निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों को मूलधन/ब्याज अदायगी बकाया रहने के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इन प्रतिभूतियों के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप में ऋण एवं निवेश दोनों में बैंक शामिल है तथा ऋण को गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश को भी गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्पष्टीकरण

यदि निर्गमकर्ता द्वारा ली हुई कोई भी ऋण सुविधा बैंक की बही में गैर-निष्पादक है तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी भी अधिमानी शेयर सहित किसी भी प्रतिभूति में उसका निवेश एनपीआई माना जाएगा। हालांकि यदि केवल अधिमानी शेयर एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तो उसी निर्गमकर्ता द्वारा किसी अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा एवं उधारकर्ता को दी गयी किसी भी निष्पादक ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

4.4 **रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन**

बाजार रेपो के तहत रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए परिपत्र संदर्भ: संख्या RBI/2018-19/24 FMRD.DIRD.01/14.03.038/ 2018-19, दिनांकित 24.07.2018 के जरिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंड तथा चलनिधि समायोजन सुविधा('एलएएफ') तथा सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के तहत रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों केलिए संदर्भ भा.रि.बैं./2015-2016/403 एफएमआरडी. डीआईआरडी.10/ 14.03.002/2015-16 दिनांकित 19.05.2016 के जरिए जारी लेखांकन दिशानिर्देशों का अनुपालन बैंक द्वारा किया जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए बैंकों द्वारा आरबीआई के एलएएफ एवं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत पालन की जाने वाली लेखांकन मानक, मार्केट रेपो लेनदेनों केलिए निर्धारित लेखांकन मानक के अनुरूप होगा।

इसके अतिरिक्त मार्केट रेपो लेनदेनों से आरबीआई के रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों को भिन्न करने के लिए, मार्केट रेपो लेन-देनों हेतु चलाये जा रहे खातों की तरह एक समानान्तर खातों के सेट को, जिसके आगे 'आरबीआई' लगा हो, को चलाया जा सकता है।

एलएएफ/एमएसएफ लेनदेन में हेयरकट की गणना समपार्श्विक प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य के बजाए बाज़ार मूल्य पर ही करें।

आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों को एसएलआर का दर्जा प्रदान करें एवं

आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी I डीआईआरडी.5/14.03.002/2014-15 दिनांकित 05 फरवरी 2015 में उल्लेखित नियमों के अनुसार बाजार प्रतिभागियों के साथ एलएएफ रिवर्स रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूतियों के पुनर-रेपो की अनुमति दें।

4.5 **निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन**

i) बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु निपटान तारीख पद्धति का पालन करता है;

ii) लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है;

iii) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है; एवं

iv) निम्नलिखित निवेशों की बिक्री पर, आय में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली आय/हानि का हिस्सा लाभ/हानि के रूप में माना जाएगा:

क) निर्धारित आय प्रतिभूतियों की बिक्री कीमत/मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए।

ख) तरल म्युचुअल फंड सहित म्युचुअल फंड बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए।

ग) तरल म्युचुअल फंड सहित म्युचुअल फंड बिक्री कीमत/ मोचन मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि के रूप में माना जाए। बट्टागत प्रतिभूतियों, अर्थात् , सीडी/सीपी/टी-बिल हेतु, बिक्री कीमत तथा रखाव लागत (बही मूल्य + उपचित ब्याज) के बीच के अंतर को निवेश पर लाभ/हानि के रूप में माना जाए।

5. **स्थिर आस्तियाँ**

i. स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों की निहित राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की जाती है तथा किसी भी क्षति हेतु आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार समायोजित किया गया है।

ii. भूमि और बिल्डिंग (लीजधारण भूमि को छोड़कर), जो कि परिसर का एक भाग है, का सितंबर, 2018 के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया एवं उसे दो मूल्यांकन रिपोर्टों के औसत बाजार मूल्य के रूप में दर्शाया गया और ऐसी आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों में जमा करके दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप, इन आस्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा समान राशि को संचित मूल्यह्रास में समायोजित किया गया है। मूल्यह्रास तथा पुनर्मूल्यांकित रखाव राशि के बीच के अंतर तथा उसकी मूल लागत पर मूल्यह्रास को आईसीएआई संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी ''संपत्ति, संयंत्र व उपकरण'' लेखांकन मानक (एएस) 10 के अनुसार 'भूमि तथा भवन के पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि' से 'सामान्य आरक्षित निधि' में अंतरित किया जाता है।

iii. आस्तियों की क्षतिःजहाँ किन्हीं घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी आस्ति के रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, वहाँ स्थिर आस्तियों की क्षति हेतु समीक्षा की गई है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता किसी आस्ति की रखाव राशि से उक्त राशि से प्रत्याशित भावी निवल बट्टाकृत नकद प्रवाह की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को क्षत माना जाता है, तो उक्त आस्ति के उचित मूल्य से जितनी अधिक उसकी रखाव राशि है, उससे क्षति का निर्धारण किया जाता है।

iv. कार्यगत पूँजी में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

I. पूँजीकरण के दिनांक से जहाँ सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के प्रावधान के अनुसार आस्ति के उपयोगी समय पर विचार करते हुए आस्तियों हेतु मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। सावधानी के मामले के रूप में बैंक ने पाया कि निम्नलिखित आस्तियों का उपयोगी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II (संदर्भ: धारा 123) में उल्लिखित आस्तियों के संबंधित प्रवर्ग के उपयोगी समय से कम है:

क) मोटर साईकल, स्कूटर और अन्य मोपेड - 8 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ख) मोबाइल फोन - 3 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 15 वर्ष के सापेक्ष)

ग) यूपीएस तथा संबद्ध मदें -5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

घ) एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग - 5 वर्ष (कंपनी अधिनियम अनुसूची-II में उल्लिखित नियत आयु 10 वर्ष के सापेक्ष)

ङ) पट्टाधारी सुधारों का 5 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया जाता है।

च) जहाँ भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यह्रास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

क. भा.रि.बैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रकटन

1.0 पूँजी

क) बैंक ने ₹ 27.40 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 2/- अंकित मूल्य के 86,90,47,919 इक्विटी शेयर 11, अक्तूबर 2018 को ₹ 2555.00 करोड़ के प्रतिफल हेतु अधिमानता आधार पर अर्थात ₹ 29.40 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए गए।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने ₹17.61 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹2/- अंकित मूल्य के 5,40,40,570 इक्विटी शेयर 8 मार्च, 2019 को कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना 2018 के अंतर्गत ₹105.97 करोड़ के प्रतिफल हेतु अर्थात ₹19.61 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर बैंक के पात्र कर्मचारियों को जारी एवं आबंटित किए गए।

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 24.68 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹2/- अंकित मूल्य के 340,55,47,226 इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 को ₹ 9086.00 करोड़ के प्रतिफल हेतु अधिमानता आधार पर अर्थात ₹ 26.68 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए गए।

घ) बैंक की पूँजी में भारित जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। ये

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 बेसल III	31 मार्च, 2019 बेसल II	31 मार्च, 2018 बेसल III	31 मार्च, 2018 बेसल II
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात	10.39%		5.68%	
ii)	टियर 1 पूँजी अनुपात	10.52%		7.27%	
iii)	टियर 2 पूँजी अनुपात	1.78%		1.96%	
iv)	**कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)**	12.30%		9.23%	
v)	**भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत**	93.50%		79.87%	
vi)	वर्ष के दौरान संग्रहित इक्विटी पूँजी की राशि 1 भारत सरकार द्वारा डाली गई पूंजी – ₹2555 करोड़ 2 कार्प बैंक ईसपीएस 2018 के अंतर्गत संग्रहित पूंजी–₹105.97 करोड़ 3 भारत सरकार द्वारा डाली गई पूंजी– ₹ 9086 करोड़	11,746.97		2,187.00	
vii)	**वर्ष के दौरान संग्रहित अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि जिनें**	-		800.00	
	शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	-			
	शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	-		800.00	
viii)	संग्रहीत टियर 2 पूँजी; जिनें से	-			
	कर्ज पूँजी लिखत:	-		500.00	
	अधिमान शेयर पूँजी लिखत	-			
	शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	–			
	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-			
	प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-			

2.0 निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1.	**निवेशों का मूल्य**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		
	क) भारत में	**61,214.62**	71,488.23
	ख) भारत के बाहर	**0.54**	0.54
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
	क) भारत में	**1,235.97**	1,139.02
	ख) भारत के बाहर	**Nil**	Nil
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
	क) भारत में	**59,978.65**	70,349.21
	ख) भारत के बाहर	**0.54**	0.54
2	**निवेशों मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की स्थिति**		
	प्रारंभिक शेष	**1,139.02**	443.67
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**332.69**	821.26
	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	**235.74**	125.91
	अंतिम शेष	**1,235.97**	**1,139.02**

क) वर्ष के दौरान ''परिपक्वता तक धारित''वर्ग के तहत आनेवाली प्रतिभूति के संबंध में ₹ 78.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹98.36 करोड़) के प्रीमियम को परिशोधित किया गया।

ख) वर्ष के दौरान ''ट्रेडिंग के लिए धारित'' वर्ग के तहत आनेवाली प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास ₹ 0.01 (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) था।

ग) वर्ष के दौरान 'बिक्री के लिए उपलब्ध' वर्ग के तहत निवेश के लिए ₹ 58.96 करोड़ का मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 202.91 करोड़ दिया गया) प्रावधान वापिस किया गया।

घ) भा.रि.बैं.ने अपने परिपत्र संदर्भ.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 102/ 21.04.048/2017-18 दिनांकित 02.04.2018 एवं डीबीआर सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017 -18 दिनांकित 15.06.2018 के जरिए बैंकों को दिसंबर 31, 2017 एवं मार्च 31, 2018 एवं 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही हेतु एएफएस एवं एचएफटी में धारित निवेश पर मार्केट से मार्केट (एमटीएम) पर हुई हानि के लिए प्रावधान करने का विकल्प दिया है। इन तीन तिमाहियों में बैंक द्वारा किए गए एमटीएम घाटा क्रमशः ₹ 414.88 करोड़, ₹ 99.25 करोड़ और ₹ 209.15 करोड़ है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च ₹ 232.25 करोड़, 30 जून 2018 को ₹ 60.01 करोड़, और 30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 60.01 करोड़ का प्रावधान किया और 31.12.2018 को ₹109.49 करोड़ ऋणमुक्ति शेष थी चूंकि बॉन्ड दर में कमी आई थी और पोर्टफोलियो कंपोजिशन में बदलाव हुआ था, इसलिए आस्थगित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 52.29 करोड़ के निवल प्रावधान की पुनः प्राप्ति हुई।

ङ) वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 8692.94 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2940.94 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग से ₹ 238.52 करोड़ (गत वर्ष ₹ 66.47 करोड़) के मूल्यह्रास को ''परिपक्वता तक धारित'' प्रवर्ग में अंतरित किया, ₹ 12390.91 करोड़ (गत वर्ष ₹ 6186.89 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित'' प्रवर्ग [illegible]

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रारंभिक शेष	**860.73**	**251.30**
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	99.14	672.76
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	25.18	63.33
इतिशेष	**934.69**	**860.73**
धारित कुल प्रावधान	**889.02**	**733.11**

3.0 व्युत्पन्नियाँ

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	स्वैप करार का आनुमानिक मूलधन	-	-
ii)	करारों के तहत यदि प्रति पार्टियाँ अपने दायित्व पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होनेवाली हानि	-	-
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	बैंकों को स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	-	-
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	-	-

3.2 एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि	-	-
ii)	बकाया एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि	-	-
iii)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि	-	-
iv)	बकाया परंतु ''अधिक प्रभावी'' नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों का बाजार-को-अंकित मूल्य	-	-

3.3 व्युत्पन्न लिखतों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

(I) गुणात्मक प्रकटन:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्न नीति बैंक को काउंटर पर तथा एक्सचेंज में व्यापारगत (ईटी) ब्याज दर तथा करेंसी व्युत्पन्न लिखतों के लेनदेन की अनुमति देती है। यह नीति ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्पादों को प्रस्तुत करने, जो अंतर बैंक बाज़ार में बैंक-टु-बैंक आधार पर आवरित होने हैं, की अनुमति देती है। व्युत्पन्नों को बैंक द्वारा व्यापार तथा तुलन पत्र मदों की ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में बैंक द्वारा वायदा व करेंसी फ्यूचर्स वाले व्युत्पन्नों में सौदे किए।

ख) बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करती है। बैंक का एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) स्वतंत्र रूप से व्युत्पन्न लिखत लेनदेनों संबंधी बाज़ार जोखिम अभिनिर्धारित करता है, उसे मापता है, निगरानी करता है और इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में आल्को की मदद करता है तथा नियमित अंतरालों में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को नीतिगत परामर्शों के अनुपालन की रिपोर्ट देता है।

[illegible]

4.0 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अग्रिम

क) गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं के मामले में, शाखा प्रबंधकों द्वारा यथा प्रमाणित अग्रिमों का वर्गीकरण समाविष्ट किया गया है।।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए हेतु ₹ 2002.72 करोड़ (गत वर्ष ₹ 11,111.90 करोड़) का प्रावधान किया। बैंक ने गैर-निष्पादक अग्रिमों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यथा 31 मार्च, 2019 को ₹13525.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7929.68 करोड़) का संचयी प्रावधान किया।।

4.2 गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(I) क)निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	6,926.64	14,077.02
ख)गै.नि.आ. अनुपात		
i) सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ.	15.35%	17.35%
ii) निवल अग्रिमों में निवल गै.नि.आ.	5.71%	11.74%
(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों में की-बढ़त (सकल)		
क)अथशेष	22,213.44	17,045.22
ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,282.60	14,576.86
ग)वर्ष के दौरान कमी	7,727.36	9,408.64
घ)इतिशेष	20,723.68	22,213.44
(iii) निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में की-बढ़त		
क)अथशेष	14,077.02	11,692.18
ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-5,720.12	3,464.96
ग)वर्ष के दौरान कमी	1,430.26	1,080.12
घ)इतिशेष	6,926.64	14,077.02
(iv) गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान की स्थिति (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर)		
क)अथशेष	7,929.68	5,188.34
ख)वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	12,002.72	11,111.90
ग)अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते लिखना/पुनरांकन, प्रत्यावर्तित प्रावधान	6,407.02	8,370.56
घ)इतिशेष	13,525.38	7,929.68
(v) गैर-निष्पादक निवेशों की राशि	**934.69**	**860.73**

4.3 एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन :

भा.रि.बैं. परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/157 डीबीआर.बीपी. बीसी.32/21.04.018/2018-19 दिनांकित 1 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में, 'आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन', बैंक ने निम्नलिखित के अनुसार प्रकटन शामिल किया है :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	राशि
1	31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	22,213.44
2	भा.रि.बैं. के मूल्यांकन के अनुसार 31मार्च, 2018 को सकल एनपीए	22,595.04
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	381.60
4	31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	14,077.02
5	भा.रि.बैं. के मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	13,836.82
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	-240.20
7	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	10,982.14
8	भा.रि.बैं. के मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	11,603.94
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	621.80
10	31 मार्च, 2018 का समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट की गई कर पश्चात् निवल लाभ	-4053.94
11	प्रावधानीकरण में विचलन को लेने के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ/(हानि)	-4,510.15

आरबीआई संचार डीबीआर सं. बीपी.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में, 31 मार्च, 2019 को पात्र एनसीएलटी (सूची 1 और सूची 2) खातों के संबंध में ₹1,011.99 करोड़ अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं पात्र एनसीएलटी (सूची 1 और सूची 2) खातों के लिए 31 मार्च, 2019 को कुल वास्तविक प्रावधान ₹ 9079.56 करोड़ है, जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹ 8067.57 करोड़ के बजाय 31 मार्च, 2019 को बकाया मूल्य के प्रावधान का 100% का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य 22 एनसीएलटी खातों के संबंध में 31 मार्च, 2019 तक प्रदान किए गई राशि ₹ 610.40 करोड़ है। 31 मार्च, 2019 को किए गए कुल वास्तविक प्रावधान ₹ 937.29 करोड़ के बजाय ₹1547.69 करोड़ हैं। 29 एनपीए खातों में ₹ 1280.55 करोड़ का एक अतिरिक्त, पर्याप्त और आवश्यक, प्रावधान प्रदान किया गया है। बैंक ने मानक से एनपीए श्रेणी के लिए 4 उधार खातों के लिए डाउनग्रेड किया है और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ₹123.70 करोड़ का प्रावधान किया है।

4.5 यथा 31.03.2019 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन :

[illegible]

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड़कर जिसके लिए अधिक प्रावधान या जोखिम भारिता नहीं चाहिए (यदि लागू). (भा.रि.बैं. परिपत्र दिनांक 31-01-2013)/वि.व.के दौरान नई पुनर्संरचना में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में बकाया में ₹110.12 करोड़ की वृद्धि भी शामिल है। वि.व.के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालने में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में बकाया में ₹ 548.90 करोड़ की वृद्धि भी शामिल है।

4.6 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे:

[illegible]

बैंकों को अपने एनपीए के संबंध में उचित मूल्य वसूलने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, बैंक एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान को रद्द कर सकते हैं, अगर बिक्री अपने लाभ और हानि खाते के लिए शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए है। जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई। एनपीए की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते के लिए वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा का प्रकटीकरण ''नोट्स टू एकाउंट्स'' के तहत बैंक के वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिए। एनपीए की शुरुआती बिक्री के लिए प्रोत्साहन के रूप में, बैंक किसी भी कमी पर कार्रवाई कर सकता है, अगर बिक्री मूल्य दो साल की अवधि में एनबीवी से कम है। हालांकि छूट प्रदान करने की यह सुविधा आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण हेतु प्रावधानों पर मानक नियमों के मास्टर परिपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक बेचे गए एनपीए के लिए उपलब्ध होगी और ''नोट्स टू अकाउंट'' में आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन होगी।

ख) प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य के ब्योरे:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री की गई एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ	139.63	139.63
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री की गई एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ	-	-
	कुल	**139.63**	**139.63**

4.7 खरीदी/बिक्री की गई गैर-निष्पादकवित्तीय आस्तियों केविवरण:

क) खरीदी गई गैर-निष्पादकवित्तीय आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	-	-
	(ख) समग्र बकाया	-	-
2	(क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	-	-
	(ख) समग्र बकाया	-	-

ख) बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1	बिक्री किए गए खातों की सं.	-	-
2	समग्र बकाया (प्रावधान का निवल)	-	-
3	प्राप्त समग्र प्रतिफल	-	-

4.8 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	740.24	559.71

4.9 31 मार्च 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन

(₹ करोड़)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है।	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	बकाया राशि भाग क में	बकाया राशि भाग ख में	धारित प्रावधान
मानक के रूप में वर्गीकृत	1	74.52	36.20	38.32	15.33
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0

4.10 31 मार्च, 2019 को वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

[illegible]

4.13 31 मार्च, 2019 को कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति में हैं)

(₹ करोड़)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंकने स्वामित्व परिवर्तित करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि: मानकके रूप में वर्गीकृत	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-

5.0 कारोबार अनुपात

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का %	7.74%	7.24%
ii)	औसत कार्यशील निधियों ब्याजेतर आय का %	0.93%	0.95%
iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ %	1.93%	1.62%
iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-3.14%	-1.67%
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ और अग्रिम) (₹ करोड़ों में)	17.20	16.63
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ों में)	-0.36	-0.22

नोट: औसत कार्यकारी निधि वित्तीय वर्ष के 12 महीनों केदौरान भा.रि.बैं.को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों का औसत है।

6.0 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2019 को आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता पैटर्न:

[illegible]

(₹ करोड़)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च, 2019 को एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2019 को धारित प्रावधान	31 मार्च, 2019 को एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2019 को धारित प्रावधान
नगण्य	3975.68	-	966.98	-
निम्न	839.34	-	520.40	-
मध्यम	12.69	-	17.94	-
उच्च	9.92	-	9.44	-
अत्यधिक	6.58	-	4.19	-
प्रतिबंधित	-	-	0.00	-
ऋणेतर	-	-	-	-
योग	**4,844.21**	-	**1,518.95**	-

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), ग्रुप उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक प्रदत्त ऋण के विवरण

बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नवत वैयक्तिक उधारकर्ता/ग्रुप हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक के पूंजी निधियों के प्रतिशत की एक्सपोज़र अधिकतम सीमा को पार किया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम एक्सपोज़र	पूँजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में एक्सपोज़र
1	भारतीय खाद्य निगम/	2426.00	18.82%
2	आवास विकास वित्त कार्पोरेशन लि.	2426.00	18.82%
3	एलआईसी आवास वित्त लि.	2320.00	17.99%
ख.	समूह उधारकर्ता /		
	शून्य		

[illegible]

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

4.0 प्रखंड रिपोर्टिंग – भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''लेखांकन मानक 17 – प्रखंड रिपोर्टिंग'' के अनुसार प्रखंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क)	**प्रखंड राजस्व**		
	i) ट्रेजरी परिचालन	4,121.61	6,429.73
	ii) थोक बैंकिंग	7,087.52	7,174.08
	iii) खुदरा बैंकिंग	5,320.25	5,385.60
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन	388.63	451.62
	v) अनाबंटित	576.70	500.38
	कुल	17,494.70	19,941.41
ख)	**प्रखंड परिणाम**		
	प्रत्येक प्रखंड से कर पूर्व और ब्याज पश्चात् लाभ (+) हानि (–)		
	i) ट्रेजरी परिचालन	(48.13)	464.45
	ii) थोक बैंकिंग	(7,782.81)	(6,819.21)
	iii) खुदरा बैंकिंग	498.80	419.25
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन	388.49	451.26
	कुल	(6,943.66)	(5,484.25)
ग)	अनाबंटित व्यय	1,105.03	1,196.60
घ)	परिचालन लाभ/हानि	(8,048.69)	6,680.86
ङ)	आय कर	(1,715.70)	(2,626.92)
च)	असाधारण लाभ/हानि	–	–
छ)	निवल लाभ/(हानि)	(6,332.98)	(4,053.94)
ज)	अन्य सूचना		
झ)	**प्रखंड आस्तियां**		
	i) ट्रेजरी परिचालन	60,943.96	72,196.01
	ii) थोक बैंकिंग	65,204.55	66,930.56
	iii) खुदरा बैंकिंग	63,081.65	60,871.73
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन	2.21	5.07
	v) अनाबंटित आस्तियाँ	24,345.48	21,887.88
	कुल आस्तियाँ	213,577.85	221,891.25
ञ)	**प्रखंड देयताएँ**		
	i) ट्रेजरी परिचालन	54,109.78	65,719.83
	ii) थोक बैंकिंग	58,917.43	62,147.50
	iii) खुदरा बैंकिंग	60,929.39	61,244.15
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन	1.96	4.60
	v) अनाबंटित देयताएँ	23,054.42	21,929.32
	कुल देयताएँ	197,012.99	211,045.40
ट)	**लगाई गई पूँजी (नीचे के नोट का संदर्भ लें)**		
	i) ट्रेजरी परिचालन	6,834.18	6,476.17
	ii) थोक बैंकिंग	6,287.12	4,783.07
	iii) खुदरा बैंकिंग	2,152.26	(372.42)
	iv) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.25	0.47
	v) अनाबंटित आस्तियां	1,291.06	(41.44)
	कुल आस्तियाँ	16,564.86	10,845.85

खण्ड ख : भौगोलिक प्रखंड

भौगोलिक प्रखंड में केवल घरेलू प्रखंड शामिल हैं क्योंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है.

प्रखंड रिपोर्टिंग पर नोट:

1. लेखा मानकों के अनुपालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी प्रखंड रिपोर्टिंग पर एएस–17 के अनुपालन के उद्देश्य से घरेलू प्रखंड के तहत प्राथमिक प्रखण्डों के रूप में ट्रेजरी परिचालन, थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालन को अपनाया है।
2. प्रखंड देयताओं को उनके संबंधित प्रखंड आस्ति अनुपात में वितरित किया गया.
3. वर्तमान तिमाही / अवधि की प्रस्तुति के आधार पर पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़े को फिर से इकट्ठा / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

5.0 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18–संबंधित पार्टी प्रकटन के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं :

क) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध

क्र.सं.	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
1	श्रीमती पी.वी.भारती (01.02.2019 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	श्री जय कुमार गर्ग (31.01.2019 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	श्री गोपाल मुरली भगत	कार्यपालक निदेशक
4	श्री बिरुपाक्ष मिश्रा (26.12.2018 से)	कार्यपालक निदेशक
1	**कार्प बैंक सिक्युरिटिज**	**अनुषंगी**

ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन: (₹ करोड़ में)

लेन-देन का स्वरूप	केएमपी 31 मार्च, 2019	केएमपी 31 मार्च, 2018
प्रदत्त पारिश्रमिक:		
श्रीमती पी.वी.भारती	0.05	–
श्री जय कुमार गग	0.27	0.35
श्री गोपाल मुरली भगत	0.28	0.26
श्री बिरुपाक्ष मिश्रा	0.08	–

अनुषंगी के साथ लेनदेनों को एएस– 18 के अनुच्छेद 9, जो अन्य संबंधित पार्टी से उनके लेन–देन संबंधी कोई भी प्रकटन करने से राज्य नियंत्रित उद्यमों को छूट देता है, के मद्देनजर प्रकट नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित हैं।

केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों के बीच में बैंकर ग्राहक लेनदेन स्वरूप की लेनदेनों को एएस– 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

6.0 लीज:

बैंक ने कार्यालयों, गेस्ट हाउस और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हेतु विविध परिचालित लीज किया जिसे आवधिक आधार पर नवीकृत तथा बैंक के विकल्प में निरस्त किया जा सकता है। वर्ष 2018– 19 के वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसे परिचालन लीज के लिए किराया खर्च ₹287.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹274.57 करोड़) है।

7.0 प्रति शेयर अर्जन : मूल और तनुकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन लेखांकन मानक–20 (अर्जन प्रति शेयर) के अनुसार किया गया है।:

मूल ईपीएस की गणना: (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	इक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात् उपलब्ध निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़में)	(6,332.98)	(4,053.94)
ii)	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (₹ करोड़में)	210.66	114.85
iii)	प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	(30.06)	(35.30)
iv)	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	2.00	2.00

तनुकृत: लागू नहीं क्यों कि कोई तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

8.0 आय पर करों के लिए लेखांकन

क) बैंक ने इस संबंध में सीबीडीटी का परिपत्र दिनांकित 23.03.2017 के साथ पठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना दिनांकित 29.09.2016 के अनुसार आय परिकलन तथा प्रकटन मानक (आईसीडीएस) की गणना की है जो मूल्यांकन वर्ष 2018– 19 तथा बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू है।

ख) बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखा मानक सं. 22 के अनुसार निर्धारित किया है, जिसके प्रमुख संघटक नीचे प्रस्तुत हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
आस्थगित कर आस्तियाँ		
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	89.78	86.75
निधिक ब्याज मीयादी ऋण एवं घाटा	56.61	97.39
त्याग	20.46	35.94
ऋण हानि	3,914.38	2,431.18
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	48.36	17.02
कर योग्य आय (हानि)	1,557.96	1,542.98
मानक आस्ति प्रावधान पर	258.67	10.30
कुल	5,946.22	4,221.56
आस्थगित कर देयताएँ		
पेंशन एवं ग्रैच्युटी–पूर्व भुगतान	–	20.24
दीर्घावधि वित्त आय	499.96	495.16
एआरसी हेतु आस्तियों की बिक्री पर हानि	–	–
कुल	499.96	515.40
निवल आस्थगित कर (देयता)/आस्ति	5,446.26	3,706.16

नोट: वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान बनाए गए दीर्घकालिक वित्त से आय पर कर योग्य आय (हानि) और डीटीएल पर डीटीए केवल 34.608% से 34.944% तक कर की दर (उपकर और अधिभार सहित) में वृद्धि के कारण था। वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान कर नुकसान पर डीटीए नहीं बनाया गया था.

ग) बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार बैंक आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को स्वीकृत किया है, हालांकि कर घाटे के अलावा समयांतराल पर ₹1740.09 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों का आकलन किया गया है। नुकसान की मात्रा पर विचार करते हुए और कर हानि पर ₹ 1240.13 करोड़ रुपये के मौजूदा वर्ष के आस्थगित कर को आकलित नहीं की गई है। बैंक 31 मार्च, 2018 तक कर नुकसान पर ₹ 1557.96 करोड़ रुपये की आस्थगित कर आस्ति का वहन किया है।

घ) आयकर

i) वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों का विश्लेषण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सामान्य कर	–	–
न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)	–	–
आस्थगित कर देयता/(आस्तियाँ)	(1,740.09)	(2,610.17)

बैंक ने आय नियम के तहत उपलब्ध ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का एमएटी ऋण उपलब्ध किया है।

ii) वित्त वर्ष 2015– 16 (वि. व. 2016– 17) तक आयकर हेतु निर्धारण पूरा किया गया है।

अपील प्राधिकारी/ न्यायालय के समक्ष बैंक/ आयकर विभाग द्वारा दायर निम्नलिखित अपील विभिन्न स्तरों पर शेष है: (₹ करोड़ में)

आय कर	सेवा कर	व्यवसाय कर
निर्धारण वर्ष 1998–99, 2004–05, 2007–08 से 2016–17	वित्त वर्ष 2006–07 से जून 2017 तक	2009– 10 से 2013– 14 तक

iii) प्रदत्त अग्रिम कर, विवादों के तहत प्रदत्त कर, उपलब्ध सीईएनवीएटी ऋण और आय पर टीडीएस की कटौती को ''अन्य आस्तियां–अग्रिम में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती'' के तहत शामिल किया गया है। विवादों के तहत प्रदत्त कर के संबंध में बैंक ने अपील की है और इसी प्रकार के मामलों में अनुकूल फैसलों को देखते हुए कोई अतिरिक्त प्रावधान जरूरी नहीं समझा गया है।

9.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधान: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रावधान की प्रकृति	यथा प्रारंभिक शेष 01.04.2018 को	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान	यथा अंतिम शेष 31.03.2019 को
i)	एनपीए के संबंध में किए गए प्रावधान	7,929.68	12,002.72	5,989.44	417.58	13,525.38
		(5,188.34)	(11,111.90)	(8,228.37)	(142.19)	(7,929.68)
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपीए प्रावधान सहित)	1,139.02	340.20	–	243.25	1,235.97
		(443.67)	(821.26)	–	(125.91)	(1,139.02)
iii)	आय कर/संपत्ति कर हेतु प्रावधान	153.90	–	–	7.30	146.60
		(484.67)	–	(288.13)	(42.64)	(153.90)
iv)	सभी अन्य *	1,020.66	189.80	–	171.96	1,038.50
		(2,192.18)	(4.83)	–	(1,176.35)	(1,020.66)

* इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं।

कोष्ठक के आंकड़े गत वर्ष के हैं।

i) आकस्मिक देयता:

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे: (₹ करोड़ में)

विवरण	दावों की सं.	सकल दावे	निवल दावे
01.04.2018 को बकाया कुल दावे	100	2,317.92	2,311.11
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाए/संशोधित दावे	16	1,058.48	1,058.48
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़े नए दावे	18	1,980.83	1,980.83
31.03.2019 को बकाया कुल दावे	102	3,240.27	3,233.46

31 मार्च, 2019 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	दावों की सं.	सकल दावे	निवल दावे
बैंक गारंटी	2	0.16	0.01
चेक/माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही	9	0.78	0.23
ऋण संविभाग	15	1.15	0.82
जमा संविभाग	2	0.32	–
सतर्कता/कपट	23	6.51	1.71
विविध (आय कर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित)#	51	3,231.35	3,230.69
योग*	**102**	**3,240.27**	**3,233.46**

*शुरुआत से लेकर जहाँ लागू हो दावों पर ब्याज को छोड़कर

\# आकस्मिक देयताओं में ₹3210.93 करोड़ का कर तथा ब्याज शामिल है (गत वर्ष ₹2290.59 करोड़)

ग. अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान और आकस्मिकताएं (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i.	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	340.20	820.66
ii.	एनपीए (निवल) के प्रति प्रावधान	11,585.14	10,982.14
iii.	मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	180.53	(815.65)
iv.	आयकर और संपत्ति कर हेतु प्रावधान	(1,715.70)	(2,626.92)
v.	ब्याज पूँजीकरण हेतु प्रावधान	(119.42)	(301.23)
vi.	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	(43.29)	(54.64)
	योग	10,227.46	8,004.36

क) RBI संसूचना DBR No. BP. 8756/21.04.048/2017–18 दिनांकित 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक के पात्र एनसीएलटी (सूची 1 और सूची 2) खातों के संबंध में ₹ 1,011.99 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्रदान किए गए हैं। पात्र एनसीएलटी (सूची 1 और सूची 2) खातों के लिए 31 मार्च 2019 तक किए गए कुल वास्तविक प्रावधान, ₹9079.56 करोड़ है, जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹ 8067.57 करोड़ के बदले में 31 मार्च, 2019 को बकाया मूल्य के प्रावधान का 100% है।

ख) 31 मार्च, 2019 को 22 अन्य एनसीएलटी खातों को ₹ 610.40 करोड़ पुनः प्रदान किए गए। 31 मार्च, 2019 को किया गया कुल वास्तविक प्रावधान ₹ 937.29 करोड़ के बजाय ₹1547.69 करोड़ है।

ग) वसूली की अनिश्चितता के मद्देनजर 29 एनपीए खातों के संबंध में, 31 मार्च, 2019 को किए गए कुल प्रावधान, आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार ₹1486.67 करोड़ रुपये के बजाय ₹ 2767.22 करोड़ है।

घ) बैंक ने 4 उधार खातों को मानक श्रेणी से एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जिनका 31 मार्च, 2019 तक बकाया ₹ 627.63 करोड़ है और तदनुसार विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ₹123.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. अस्थिर प्रावधान (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अस्थिर प्रावधान	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i.	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
iii.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण का उद्देश्य और राशि	शून्य	शून्य
iv.	अंतिम शेष	शून्य	शून्य

3. आरक्षित निधियों से आहरित: वर्ष 2018–19 के दौरान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश आरक्षित खातों से आहरण शून्य (पहले ₹106.82 करोड़ था) है।

4. शिकायतें/बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णय

क. ग्राहक शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	716	482
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	716	482
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(क)	वर्ष के आरंभ में गैर–कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	4	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	4	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में गैर–कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य	शून्य

ग. 2018–19 के दौरान अन्य बैंक के एटीएम सहित की ग्राहक शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	बैंक के कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतें	इनमें से इतरे बैंक के एटीएमों का उपयोग करते समय हमारे धारकों से प्राप्त शिकायतें
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	695 (414)	674 (409)
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	82172 (75314)	70595 (72127)
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	81312 (75033)	70010 (71862)
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1555 (695)	1259 (674)

विगत वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है

5 क. क्रेता की साख पर उधार सहित चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) :

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों को मंजूर ऋण सीमाओं के प्रति उनकी ओर से चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है। प्रबंधन–वर्ग की राय में बैंक द्वारा विगत में, चालू वर्ष के दौरान जारी एलओसी के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संबंधी वित्तीय दायित्व का आकलन नहीं हुआ है और अब भी बकाया नहीं है। बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संचित ब्यौरे निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(क)	1 अप्रैल को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) में प्रारंभिक शेष	2,460.18	3,121.87
(ख)	वर्ष के दौरान जारी किया गया	–	6,383.04
(ग)	वर्ष के दौरान भुगतान / बंद किया	2,460.18	7,044.73
(घ)	31 मार्च को अंतिम शेष	–	2,460.18

ख. वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में प्रवेश नहीं किया है।

6. 31 मार्च 2018 के 63.65% के मुकाबले 31 मार्च 2019 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 83.30% हैं।

7. वर्ष के दौरान बैंक को बैंकएश्योरेन्स कारोबार से ₹10.00 करोड़ (गत वर्ष ₹13.43 करोड़) शुल्क/प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है।

क्र.सं.	आय की प्रकृति/कमीशन/ब्रोकरेज	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक
1	जीवन बीमा कारोबार	5.36	7.94
2	सामान्य बीमा कारोबार	2.94	3.45
3	मेडिक्लेम – हेल्थ	1.55	1.82
4	म्युचुअल फंड	0.15	0.22
	कुल	10.00	13.43

सम्मान में प्राप्त/प्राप्त पारिश्रमिक/शुल्क का विवरण

क्र.सं.	आय की प्रकृति/कमीशन/ब्रोकरेज	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1	टैक्स संग्रहण	3.34	3.90
2	ई–स्टैम्पिंग, पेंशन, एपीवाई, अन्य	4.19	4.58
		7.53	8.48

8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का संकेंद्रीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	24,811.15	33,091.41
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	13.44%	18.05%
कुल जमाराशि	184,567.84	183,315.95

ख. अग्रिमों का संकेंद्रीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	38,264.33	37,326.07
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत*	22.24%	22.25%

*पी डब्ल्यूओ से पहले कुल अग्रिमों को कुल अग्रिमों के एक घटक के रूप में लिया गया है।

ग. एक्सपोज़र का संकेंद्रीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र*	38,774.95	38,013.00
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत**	20.12%	20.18%

* गैर–प्रतिबद्धता वाले ऋणों को छोड़कर

** पीडब्ल्यूओ से पहले कुल अग्रिमों को कुल अग्रिमों के एक घटक के रूप में लिया गया है।

घ. एनपीए का संकेंद्रीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चार बड़े नै.नि.आस्ति खातों में निहित राशि	3,256.84	3,112.92

9. क्षेत्र–वार गैर–निष्पादक आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31 मार्च, 2019 कुल अग्रिम बकाया	31 मार्च, 2019 सकल एनपीए	31 मार्च, 2019 कुल अग्रिम में सकल एनपीए का %	31 मार्च, 2018 कुल अग्रिम बकाया	31 मार्च, 2018 सकल एनपीए	31 मार्च, 2018 कुल अग्रिम में सकल एनपीए का%
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	21,939.66	2,772.82	12.64	22,807.32	2,063.39	9.05
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	10,043.51	3,727.37	37.11	11,613.74	2,916.07	25.11
3	सेवा	14,847.65	2,556.57	17.22	16,440.35	2,259.91	13.75
4	वैयक्तिक ऋण	10,497.00	660.77	6.29	9,635.31	598.33	6.21
	उप-योग (क)	57,327.82	9,717.53	16.95	60,496.72	7,837.70	12.96
ख	गैर–प्राथमिकता प्राप्त						
1	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	–	–	–	–	–	0.00
2	उद्योग	49,192.81	25,427.63	51.69	68,323.12	29,139.64	42.65
	क. विद्युत	11,497.04	3,382.04	29.42	10,099.71	3,053.82	30.24
	ख. अन्य	37,695.77	22,045.59	58.48	58,223.41	26,085.82	44.80
3	सेवा	17,024.68	1,728.77	10.15	6,456.77	934.98	14.48
4	वैयक्तिक ऋण	32,237.60	4,584.41	14.22	8,950.84	523.32	5.85
	उप-योग (ख)	98,455.09	31,740.81	32.24	83,730.73	30,597.93	21.81
	कुल (क+ख)	155,782.91	41,458.34	26.61	144,227.45	38,435.63	26.65

* बैंक उपर्युक्त प्रारूप में, उन उप क्षेत्रों का भी प्रकटन करता है जिसका बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए बैंक का बकाया अग्रिम उद्योग के क्षेत्र में बकाया कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उपरोक्त प्रारूप में 'उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत अलग रूप से खनन के अग्रिम बकाये का विवरण देना है।

10. गैर–निष्पादक आस्तियों में उतार–चढ़ाव (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1 अप्रैल 2018 को सकल एनपीए	22,213.44	17,045.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,282.60	14,576.86
उप–योग (क)	28,496.04	31,622.08
घटाए उत्थान	947.04	482.84
[ii] वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोड़कर)	835.88	697.43
[iii] तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	5,732.53	8,216.51
[iv] उपरोक्त(iii) में आनेवालों को छोड़कर बट्टा खाते डाले गए	256.91	11.86
उप–योग	7,772.36	9,408.64
31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए इतिशेष (क – ख)	20,723.68	22,213.44

[1] DBOD परिपत्र DBOD.BP.BC. No.46 / 21.04.048 / 2009–10 दिनांकित 24 सितंबर, 2009 के अनुबंध की मद संख्या 2 के अनुसार सकल एनपीए, जिसमें सकल अग्रिमों, निवल अग्रिमों, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना करने के लिए एक समान प्रणाली निर्दिष्ट है।

[2] तकनीकी या विवेकपूर्ण राइट–ऑफ गैर–निष्पादित ऋण की राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया राशि हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूरी तरह या आंशिक रूप से) जिसे राइट–ऑफ किया है। तकनीकी राइट–ऑफ किए गए खातों को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना है। (हमारे परिपत्र संदर्भ DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048 / 2009–10 दिनांकित 1 दिसंबर, 2009 को अग्रिमों के लिए प्रावधान में परिभाषित किया गया है।)

इसके अलावा, बैंकों को नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार तकनीकी राइट ऑफ का स्टॉक और उसके बाद की गई वसूली का प्रकटन करना है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1 अप्रैल, 2018 को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष	16,222.19	8,396.31
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते (बकाया शेष में ₹0.45 करोड़ की वृद्धि सहित)	5,732.53	8,216.52
पीडब्ल्यू के रूप में वर्गीकृत करने के बाद पीडब्ल्यूओ खातों में बकाया वृद्धि	–	–
उप–योग (क)	21,954.72	16,612.83
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूली (ख)	703.84	317.34
घटाएं: वर्ष के दौरान पीडब्ल्यूओ खातों में राइट ऑफ किया गया बकाया	516.22	73.30
यथा 31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष (क–ख)	20,734.66	16,222.19

11. विदेशी आस्तियाँ, गैर–निष्पादक आस्तियाँ एवं राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कुल आस्तियाँ	–	–
कुल गैर–निष्पादक आस्तियाँ	–	–
कुल राजस्व	–	–

12. वर्ष 2018–19 के दौरान, को ₹1761.08 करोड़ बकाया राशि के साथ ₹1951.10 की 162 कपट के मामले भारिबैं को रिपोर्ट की गई।

इन मामलों हेतु कुल ₹1686.92 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान, को ₹1381.78 करोड़ बकाया राशि के साथ ₹1296.23 की 99 धोखाधड़ी मामलों की भारिबैं को रिपोर्ट की गई। ₹1348.37 करोड़ के इन मामलों हेतु पूरा प्रावधान किया गया।

13. प्रायोजित इतर तुलन–पत्र एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है) (₹ करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

14. प्रवर्तक बैंक के रूप में प्रतिभूतीकरण:

एक प्रवर्तक बैंक के रूप में बैंक के प्रतिभूतीकरण लेनदेन के तहत सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं। (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1	प्रतिभूतीकरण लेन-देनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	–	–
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की कुल आस्ति	–	–
3	तुलन–पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि		
	क) तुलन–पत्र से इतर एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य	–	–
	ख) तुलन–पत्र में एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेन–देनों की एक्सपोजर राशि		
	क) तुलन–पत्र से इतर एक्सपोजर		
	i) स्व–अपने ही प्रतिभूतीकरण को एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	हानि		
	ii) तृतीय पार्टी प्रतिभूतीकरण को एक्सपोजर	–	–
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) तुलन–पत्र में एक्सपोजर		
	i) अपने ही प्रतिभूतीकरण को एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ii) तृतीय पार्टी प्रतिभूतीकरण को एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य		

15. अंतः समूह एक्सपोजर

समूह इकाईयों हेतु एक्सपोजर निम्नवत हैः (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	अंतः समूह एक्सपोजर की कुल राशि	–	–
ii)	शीर्ष 20 अंतः समूह एक्सपोजर की कुल राशि	–	–
iii)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में अंतः समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	–	–
iv)	अंतः–समूह एक्सपोजर पर सीमा तोड़ने का विवरण और उस पर की गई नियामक कार्यवाई, यदि कोई हो	–	–

16. जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएफ)

बैंक ने डीईएफ को निम्नवत राशि अंतरित की है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	99.67	92.49
जोड़: वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि	17.25	9.45
घटाएं: दावों के संबंध में डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.36	2.27
डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	116.56	99.67

17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

बैंक में अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होनेवाली जोखिम के प्रबंधन पर एक नीति है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा उत्पाद के पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हुए उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को अधिकतम रक्षित करना और उन्हें अरक्षित भाग को रक्षित करने हेतु प्रेरित करना।

नीति के अनुसार, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का मूल्यांकन उधारकर्ता के मूल्यांकन का एक भाग है और इसे सीमाओं के प्रस्ताव के समय या समीक्षा करते समय पर किया जाता है। इसके अलावा, बैंक सभी ग्राहकों के लिए सीमा मंजूर करते समय, उधारकर्ता का आंतरिक श्रेणीकरण, आकार, स्वाभाविक बचाव व्यवस्थाओं की संभाव्यता, ग्राहक की कुल उधार के संबंध में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का संबंधित आकार आदि इस तरह के तथ्यों पर विचार करने के बाद ही उधारकर्ता के विदेशी अरक्षित मुद्रा एक्सपोजर की सीमा निर्धारित करता है (यथा बैंक द्वारा मंजूर कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का %)। इसके अलावा बैंक अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो के अंतर्गत अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है। इसके साथ ही बैंक भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान रखता है।

इसके अलावा, बैंक ने यथा 31 मार्च, 2019 को अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खाते में ₹23.85 करोड़ (गत वर्ष ₹26.01 करोड़) का प्रावधान और ₹18.18 करोड़ (गत वर्ष ₹16.22 करोड़) की अतिरिक्त पूंजी रखी है।

18. चलनिधि कवरेज अनुपात

आवश्यक सूचना निम्नवत है: (₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	31 मार्च, 2019 कुल भारित मूल्य (औसत)	31 मार्च, 2018 कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	31 मार्च, 2018 कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ				
1	कुल उच्च गुणवत्ता आस्तियां (एचक्यूएलए)	32,755.01	32,584.93	39,668.86	39,481.85
	नकदी बहिर्गमन				
2	खुदरा जमाएं और लघु कारोबार ग्राहकों से जमाएं, जिसमें से	104,625.01	10,264.95	101,695.90	10,010.55
	(i) स्थिर जमाएं	3,951.08	197.55	3,180.86	159.04
	(ii) घटाएं- स्थिर जमाएं	100,673.93	10,067.39	98,515.03	9,851.50
3	अरक्षित थोक निधियन, जिसमें से	38,466.18	16,145.33	59,549.27	24,707.48
	(i) परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	–	–	–	–
	(ii) गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	38,466.18	16,145.33	59,549.27	24,707.48
	(iii) अरक्षित ऋण	–	–	–	–
4	जमानती थोक निधियन	2,220.86	–	8,256.55	–
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	30,762.12	4,121.26	26,594.31	3,512.23
	(ख) व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन	3.43	3.43	6.64	6.64
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	–	–	–	–
	(iii) ऋण तथा चल सुविधा	30,758.69	4,117.83	26,587.67	3,505.59
6	अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं	232.69	232.69	544.22	544.22
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं	21,127.80	699.39	26,692.71	859.50
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	197,434.66	31,463.61	223,332.96	39,633.99
	नकदी अंतर्प्रवाह				
9	जमानती उधार	–	–	–	–
10	संपूर्ण निष्पादन एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	4,747.38	2,497.72	3,049.61	1,674.50
11	अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	7,437.06	7,068.59	11,117.73	10,805.31
12	**कुल नकदी अंतर्प्रवाह**	12,184.44	9,566.31	14,167.34	12,479.81
	कुल समायोजित मूल्य				
13	कुल एचक्यूएलए	32,755.01	32,584.93	39,668.86	39,481.85
14	कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह	185,250.23	21,897.31	209,165.62	27,154.18
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)	148.81%		145.40%	

यथा 31 मार्च 2019 को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के क्रम में गुणात्मक प्रकटीकरण

1. एलसीआर परिभाषा:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को निवल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह के लिए एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता वाले चल संपत्ति) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि गंभीर तरलता तनाव के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिन की अवधि के लिए अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए भार रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर की बैंक अनुरक्षित रखना सुनिश्चित करें, जिसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर की गणना के लिए दिशानिर्देश 1 जनवरी 2015 से लागू किए गए थे। 1 जनवरी 2015 को न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 60% से बढ़कर 1 जनवरी 2019 तक 100% हो गई थी। कैलेंडर वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए एलसीआर की आवश्यकता क्रमशः 70%, 80% और 90% थी। बैंक एलसीआर के आवश्यक स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति बनाए हुए है। 1 जनवरी, 2017 से, आरबीआई दिशानिर्देश के अनुसार बैंक प्रतिदिन के आधार पर एलसीआर की गणना कर रहा है।

1.1 एलसीआर के घटक:

एलसीआर परिणाम के प्रमुख घटक, अगले 30 दिनों के समय क्षितिज के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियाँ, नकदी अंतर्वाह और निवल नकदी बहिर्प्रवाह के स्तर हैं।

क. **एचक्यूएलए:** उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियों में शामिल हैं

- स्तर–1 आस्तियाँ
- स्तर–2 आस्तियाँ
- स्तर–3 आस्तियाँ

स्तर1 की आस्तियों में शामिल हैं:

- आवश्यक सीआरआर के अतिरिक्त नकदी भंडार सहित नकद।
- न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अतिरिक्त सरकारी सिक्योरिटीज।
- अनिवार्य एसएलआर आवश्यकताओं में सरकारी प्रतिभूतियाँ, सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तार हेतु अनुमति (31/03/2019 को एनडीटीएल के 2% के रूप में एमएसएफ के लिए अनुमति है)।
- चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा हेतु चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) (31.03.2019 को एफएएलएलसीआर के लिए एनडीटीएल के 13% की अनुमति है)
- 0% जोखिम भार के साथ संप्रभु द्वारा जारी/गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ।

वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्तर 1 आस्तियों का वार्षिक औसत ₹ 31,626.56 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष ₹38,442.86 करोड़) जो कुल औसत एचक्यूएलए 32,755.01 (पिछले वित्तीय वर्ष 39,688.86 करोड़ रुपये) करोड़ का 96.55% (पिछले वित्तीय वर्ष 96.91%) है।

स्तर 2 ए आस्तियों में शामिल हैं:

- बाहरी रेटिंग एजेंसियों द्वारा गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसे एए- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।
- बाहरी रेटिंग एजेंसियों द्वारा नॉन–फाइनेंशियल कमर्शियल पेपर्स जिन्हें एए या इससे ऊपर की रेटिंग प्राप्त है।
- दावों से संबंधित विपणनयोग्य प्रतिभूतियों पर या राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाएँ (पीएसई) या बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा गारंटीकृत दावों के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 20% जोखिम भार सौंपा गया है, बशर्ते कि वे बैंक/ वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी या इसके किसी भी सहयोगी द्वारा जारी नहीं किए गए हों।

भारिबैं के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक 2ए स्तर की आस्तियों पर 15% हेयरकट लागू कर रहा है। स्तर 2ए आस्तियों के औसत की हिस्सेदारी कुल औसत एचक्यूएलए का 3.44% (पिछले वित्त वर्ष 3.07%) ₹1126.14 करोड़ है (गत वर्ष ₹1217.13 करोड़ रुपये)।

स्तर 2बी संपत्ति में शामिल हैं :

- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी या उसकी किसी भी संबद्ध संस्था जारी नहीं किए गए और एनएसई/सीएनएक्स, निफ्टी और/या एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांकों में शामिल इक्विटी शेयर।
- एक बैंक/वित्तीय संस्था/पीडी/एनबीएफसी या उसके संबद्ध संस्थाओं में से किसी और द्वारा जारी नहीं किया गया ए + और बीबीबी या दीर्घावधि रेटिंग की अनुपलब्धता में दीर्घावधि रेटिंग की गुणता के समकक्ष लघुअवधि रेटिंग के बीच किसी पात्र रेटिंग एजेंसी द्वारा दीर्घावधि रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक पत्र सहित)।

भारिबैं के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक 2बी स्तर पर 50% हेयरकट लागू कर रहा है। स्तर 2ए आस्तियों के औसत की हिस्सेदारी कुल औसत एचक्यूएलए जिनमें मुख्यतः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सीएनएक्स, निफ्टी और/या एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स में सूचीबद्ध शामिल शेयरों का 0.01% (₹2.32 करोड़ जो पिछला वित्तीय वर्ष में 0.02% (₹8.87 करोड़) था।

बैंक वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है। इसका विवरण नीचे प्रस्तुत है: (₹ करोड़ में)

विवरण	2018–19 के लिए औसत एचक्यूएलए रकम	2018–19 के लिए औसत एचक्यूएलए भारित राशि	2017–18 के लिए औसत एचक्यूएलए रकम	2017–18 के लिए औसत एचक्यूएलए भारित राशि
स्तर1	31, 626.56	31,626.56	38,442.86	38,442.86
स्तर 2 ए	1126.14	957.22	1217.13	1034.55
स्तर 2 बी	2.32	1.16	8.87	4.44
कुल एचक्यूएलए	32 ,755.02	32,584.93	39,668.86	39,481.85

ख. नकदी अंतर्प्रवाह:

- जमानती उधार से अंतर्प्रवाह इसमें लघु अवधि उधार टीआरईपीएस, सीएलएल शामिल हैं।
- पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह: 30 दिनों के भीतर ऋण चुकौती अनुसूची पर विचार किया गया है।
- अन्य नकद अंतर्प्रवाह: इसमें तरल म्युचुअल फंड/ जमा प्रमाणपत्र जिन्हें किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, शामिल हैं।

ग. नकद बहिर्प्रवाह: एलसीआर के प्रयोजन के लिए बहिर्प्रवाह को निम्नलिखित दो प्रमुख में श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- खुदरा जमा से बहिर्प्रवाह: एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा बैंक के पास रखे गए मांग और सावधि जमाओं को खुदरा जमा के रूप में माना जाता है। खुदरा जमा से होने वाले बहिर्प्रवाह को स्थिर डिपॉजिट और कम स्थिर डिपॉजिट में विभाजित किया जाता है।

  लेन–देन खातों में सुनिश्चित जमायें (डीआईसीजीसी) द्वारा कवर की गई सीमा तक) जहाँ वेतन/पेंशन स्वचालित रूप से जमा किए जाते हैं या रिश्ते आधारित खातों से भुगतान किए जाते हैं (जैसे जमा ग्राहक का बैंक के साथ एक और संबंध है, जैसे ऋण खाता) प्रति उधारकर्ता के रूप में इसे स्थिर जमा और शेष को (कुल जमा–स्थिर जमा) को कम स्थिर जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एलसीआर प्रयोजनों के लिए कुल वार्षिक औसत खुदरा जमा ₹97,762.10 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष ₹95,969.05 करोड़), जिसमें से औसत स्थिर जमाएं ₹2,535.14 (गत वित्त वर्ष ₹1,854.30 करोड़) है और कम स्थिर जमाएं ₹95,226.96 करोड़ (गत वित्त वर्ष ₹94,114.76 करोड़) है।

  बैंक ने एलसीआर उद्देश्य के लिए 30 दिनों की शेष परिपक्वता अवधि सहित सभी खुदरा जमाओं के बहिर्प्रवाह पर विचार किया है।
- लघु व्यापार ग्राहकों से बहिर्वाह: लघु व्यवसाय ग्राहकों से बहिर्प्रवाह वे जमा होते हैं, जहाँ जमा को खुदरा जमा के रूप में प्रबंधित किया जाता है और ऐसे किसी भी ग्राहक से कुल जमाएँ 5 करोड़ तक सीमित होता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन जमाओं से 30 दिनों तक के बहिर्प्रवाह को एलसीआर प्रयोजनों के लिए माना गया है।
- थोक निधियन से बहिर्वाह: खुदरा जमाओं और लघु व्यवसाय जमाओं के अलावा बहिर्प्रवाह को थोक निधियन के कारण बहिर्प्रवाह माना जाता है जिसे बाद में गैर जमानती थोक निधियन और जमानती थोक निधियन में विभाजित किया जाता है। एलसीआर प्रयोजनों के लिए ₹45,329.09 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष ₹59,549.27 करोड़) के थोक निधियन के सभी गैर जमानती औसत को गैर परिचालनगत जमाओं में वर्गीकृत किया गया क्योंकि वे जमायें समायोजन, अभिरक्षा या नकदी प्रबंधन क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आती है। जमानती थोक निधियन में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/त्रिपक्षीय रेपो लेन–देन प्रणाली (टीआरईपीएस) और संपार्श्विक उधार लेन–देन संबंधी दायित्व, पुनर्खरीद करार (आरईपीओ) द्वारा जमानती उधार शामिल है। जमानती उधार का कुल औसत ₹2,220.86 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष ₹8,256.55 करोड़) है।
- ऋण और चलनिधि सुविधाओं से बहिर्प्रवाह: इसमें नकद क्रेडिट खातों (सीसी) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातों की अप्राप्त/अप्रयुक्त सीमाओं पर विचार किया गया है।
- अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह: अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताओं से बहिर्प्रवाह में बैंक गारंटी और ऋण प्रतिबद्धता पत्र आदि के कारण बहिर्प्रवाह शामिल है। एलसीआर के प्रयोजनों के लिए बैंक ने यथातिथि गैर-निधि आधारित अग्रिम को गैर भारित बहिर्प्रवाह के रूप में लिया है। इसके साथ ही बैंक ने बैंक के विरुद्ध उन सभी दावों जिनको ऋण नहीं माना गया है, को एलसीआर अभारित बहिर्प्रवाह के रूप में माना है।

1.2 तिमाहीवार एलसीआर :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान तिमाही वार एलसीआर नीचे उल्लिखित है

जून –2018 तिमाही का औसत एलसीआर	सितंबर–2018 तिमाही का औसत एलसीआर	दिसंबर – 2018 तिमाही का औसत एलसीआर	मार्च –2019 तिमाही का औसत एलसीआर
120.96%	151.79%	171.78%	153.73%

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान तिमाही वार एलसीआर नीचे उल्लिखित है

जून –2017 तिमाही का औसत एलसीआर	सितंबर–2017 तिमाही का औसत एलसीआर	दिसंबर – 2017 तिमाही का औसत एलसीआर	मार्च –2018 तिमाही का औसत एलसीआर
167 .03%	141.58%	127.87 %	147.43%

1.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बैंक द्वारा एलसीआर की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता (अप्रैल 2018 से दिसंबर तक 90% और जनवरी से 2019 से मार्च 2019 तक 100%)को बनाए रखा गया।

2. निधियन स्रोतों का संकेंद्रीकरण :

बैंक मुख्य रूप से ऋण देने और उधार लेने की गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता से जमा स्वीकार करता है। बैंक अपनी दैनिक तरलता और अन्य आवश्यकताओं के लिए मुद्रा बाजार से उधार लेता या देता है। यथा 31 मार्च, 2019 को कुल जमाओं में थोक जमाओं (₹2 करोड़ और उससे अधिक) का अनुपात 23.91% रहा। बैंक, खुदरा जमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए थोक जमाओं को कम करने का सतत प्रयास कर रहा है।

3. व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक माँग:

बैंक व्यापार के साथ–साथ हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पत्ति का व्यवसाय करता है। व्युत्पन्न सौदों की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एलसीआर में निवल व्युत्पत्ति नकदी प्रवाह औसत ₹3.43 करोड़ (गत वित्तीय वर्ष ₹6.64 करोड़) है।

4. एलसीआर में मुद्रा असंतुलन :

जब विदेशी मुद्रा राशि में कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5% या उससे अधिक हो तब करेंसी असंतुलन लागू होता है। ऐसे मामलों में, मुद्रा को 'महत्वपूर्ण' माना जाता है। हमारे बैंक की बैंकिंग और व्यापार बही को स्थानीय मुद्रा में दर्शाया गया है। बैंक के पास कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है। विदेशी मुद्रा देन दारियां बैंक की कुल देन दारियों के 5% से कम हैं और इसलिए इसे मुद्रा असंतुलन लागू होने हेतु महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

5. चलनिधि प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह इकाइयों में वार्तालाप :

बैकस्टॉक और प्रवाह दृष्टिकोण के तहत विविध अनुपातों की निगरानी के माध्यम से प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत तरीके से लगातार अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है और उसके परिणामों पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करता है। बैंक, आंतरिक/आरबीआई मानदंडों के अनुसार विभिन्न समय वर्ग में चलनिधि असंतुलन के विश्लेषण/निगरानी के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक चल विवरण (एसएलएस) तैयार करता है। एसएलएस प्रत्येक शुक्रवार, प्रथम तथा तीसरे बुधवार और हर महीने की 15 वीं एवं अंतिम दिन को आदेयता प्रबंधन समिति (अल्को) के समक्ष रखा जाता है। 90 दिनों से ऊपर की स्थिति के लिए गतिशील तरलता विश्लेषण (डीएलएस) को मासिक/तिमाही आधार पर एलसीओ के सामने रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बैंक प्रतिदिन के आधार पर एलसीआर की गणना कर रहा है और शीर्ष प्रबंधन एवं एलसीओ को सूचित कर रहा है।

पी. वी.भारती प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	**गोपाल मुरली भगत** कार्यपालक निदेशक	**बिरुपाक्ष मिश्रा** कार्यपालक निदेशक	**मनीष गुप्ता** निदेशक	**पी. के. पांडा** निदेशक	**के. श्रीनिवास मूर्ति** निदेशक
एम. भगवंत राव निदेशक	**प्रदीप कुमार जैन** निदेशक	**चित्रा गौरी लाल** निदेशक	**वी. मुत्तुकृष्णन** महा प्रबंधक	**ज्ञान रंजन सारंगी** उप महाप्रबंधक	**सुभाष कुमार केशव** उप महाप्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते दत्ता सिंगला एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन–006185एन	**कृते ए. के. सबत एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन–321012ई	**कृते प्रमोद एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन–001557सी	**कृते चन्द्रन एण्ड रमन** सनदी लेखाकार एफआरएन–000571एस	**कृते एस. रामानंद अय्यर एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन–000990एन
(सीए संजीव अग्रवाल) साझेदार सदस्य सं.503932	**(सीए ए. के. सबत)** साझेदार सदस्य सं. 30310	**(सीए रविंद्र रानीवाला)** साझेदार सदस्य सं. 073191	**(सीए एस.जी. कल्याणरमण)** साझेदार सदस्य सं.10652	**(सीए बिनोद सी. महाराणा)** साझेदार सदस्य सं.056373

स्थान:मंगलूरु
दिनांक:17 मई, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य, कार्पोरेशन बैंक, मंगलूरु

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने कार्पोरेशन बैंक (तत्पश्चात ''बैंक'' कहा गया है) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2019 तुलन–पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (तत्पश्चात् ''एकल वित्तीय विवरण'' कहा गया है), तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। इन एकल वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1477 शाखाओं/अन्य कार्यालयों को शामिल किया गया है। बैंक ने, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया है। इस तुलन–पत्र और लाभ–हानि में 935 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी लेखा–परीक्षा नहीं की गई है और इनके मामले में हमने कोई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया नहीं की है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम का 5.33 प्रतिशत, जमाराशियों का 14.75 प्रतिशत, ब्याज आय का 6.93 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 13.99 प्रतिशत समाहित है।
2. हमारी राय में और अपनी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्तएकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक को देती है और वे सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप में है और साथ में यह भी प्रदान करती हैं:

क. 31 मार्च, 2019 को बैंक के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीटके मामले में सत्य एवं स्पष्ट स्थिति;
ख. उसी दिन को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि के विवरण के मामले में हानि का वास्तविक शेष ; तथा
ग. उसी दिन को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में सत्य एवं स्पष्ट स्थिति।

अभिमत का आधार

3. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में बताया गया है। हम आईसीएआई के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं और साथ ही नैतिक अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं जो भारत में अपनी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए संगत है और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वे हमारी अभिमत के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करता है।
4. मामले का महत्व

अपने निष्कर्ष पर पहुँचे बिना हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i. एनसीएलटी खातों पर किए गए प्रावधान और गैर–निष्पादक खातों पर किए गए प्रावधान के बारे में अनुसूची 18–सी का नोट नंबर 1
ii. वर्तमान वर्ष की कर हानि पर आस्थगित कर आस्ति की गैर–मान्यता के संबंध में अनुसूची 18–बी के नोट 8 (सी)

5. लेखा परीक्षा की प्रमुख मदें

क्र. सं.	लेखा परीक्षा की प्रमुख मदें	लेखापरीक्षकों का जवाब
1)	प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिमों का वर्गीकरण: बैंक ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता क्षेत्र के उधारकर्ताओं के खातों का पुनःवर्गीकरण किया है।	हमने बैंक द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण की प्रणाली की प्रभाविकता का मूल्यांकन किया है। हम क्षेत्रवार वर्गीकरण के लिए शाखा और अंचल विवरणियों, शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर थे। हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण में उत्पाद वार खातों का नमूना चुना है। प्राथमिकता / गैर–प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की पहचान की प्रणाली की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
2)	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (फिनेकल) आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में काम कर रहा है, परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ बड़ी मात्रा में लेनदेनों के लिए फ्रन्ट एन्ड और बैक एन्ड में आईटी सिस्टम पर निर्भर हैं।	हम कोर, प्लस, और ट्रेजरी से प्राप्त जानकारी और डेटा की समीक्षा और मूल्यांकन करके यह आश्वस्त करते हैं कि रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरण उचित और विश्वसनीय है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता शामिल हैं। जो निम्नलिखित हैं:– हमारे लेखापरीक्षा निम्नलिखित को परखने के परिप्रेक्ष्य में की गयी है:
3)	बैंक के एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन के लिए सहित सभी लेनदेनों के लिए कोर बैंकिंग में प्रणाली डेटा के प्रविष्टि और रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए पर्याप्त जाँच, शेष, प्रक्रियाएँ और नियंत्रण शामिल हैं।	वर्ष के दौरान आयोजित आईएस लेखापरीक्षा प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना। बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश, आईटी नीतियों और बोर्ड के सामने रखे गए नोटों सहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों से सहमति। बैंक के प्रमुख आईटी प्रणालियों पर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविकता की समीक्षा की, जो नमूना जाँच आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रमुख स्वचालित एवं मैनुअल कारोबार चक्र नियंत्रणों और सिस्टम द्वारा सृजित रिपोर्ट की परीक्षण की जाँच की।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए और अभिशासन पर प्रबंधन के दायित्व

6. बैंक के निदेशक मंडल का इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रुप की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही उचित स्थिति दर्शाती है, को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और कार्यान्वयन; निर्णय और आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था बनाना, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है और सही और उचित स्थिति दर्शानेवाली है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानों से मुक्त हैं, भी शामिल है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन, कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने, यथा लागू, कार्यशील संस्था से जुड़ी मामलों का प्रकटन करने तथा जब तक प्रबंधन समूह का परिसमापन, संचालन रोकना नहीं चाहता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन का उपयोग करने की ग्रुप की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानों से पूर्ण रूप से मुक्त है और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा में गलत बयान होने पर उसका पता लगाया जाएगा। गलत बयान कपट या त्रुटि के कारण हो सकती है और इस वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोक्ता के वित्तीय निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से प्रभावित करता है तो उसे गंभीर माना जाएगा। एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया है और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखा।

हमने निम्न कार्य भी किया है :

- वित्तीय विवरणों में प्रमुख रूप से गलत बयान, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करते हैं और कार्यान्वित करते हैं तथा हमारे अभिमत के आधार बनने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। कपट के कारण होने वाली गलत बयान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के कारण होनेवाली जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटनों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया है।
- हम प्रबंधन की चालू लेखांकन आधारों के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर क्या ऐसी घटना या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे अभिमत को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में बने रहना समाप्त हो सकता है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन किया है और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो उचित प्रस्तुति कर सकते हैं। हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन से जुड़े योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई उल्लेखनीय कमियों सहित लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में सूचित करते हैं। हम उन लोगों को जो अभिशासन के लिए उत्तरदायी हैं, विवरण के साथ यह सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंध एवं अन्य मामलों के बारे में भी सूचित किया है, जिनमें समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हैं, संबंधित सुरक्षा, को प्रभावित कर सकता है।

अभिशासन के जुड़े बातों को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तभी प्रस्तुत करते हैं जब कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए रोक नहीं लगाता है या अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को प्रकट नहीं किया जाना है क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकती हैं।

अन्य मामले

8. हमने 2412 शाखाओं, जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1477 शाखाएँ और अलेखापरीक्षित 935 शाखाएँ हैं, जिसकी वित्तीय विवरणी में 31 मार्च, 2019 को कुल आस्तियाँ 168647.62 करोड़ है और उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 8666.43 करोड़ है जैसे कि बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल हैं, की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नहीं की है। 1477 शाखाओं की वित्तीय विवरणियाँ शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित है, जिसे हमें उपलब्ध कराई गई है और हमारी राय में शाखा से संबंधित राशि और प्रकटनों का संबंध है, यह ऐसी शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताएँ:

9. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।
10. उपर्युक्त8 से 8 तक के पैराग्राफ में बताई गई सीमाओं तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षितानुसार, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
ख). बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए, वे बैंक के अधिकारों के भीतर थे; और
ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा–परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में हमारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त उक्तबहियों तथा उचित विवरणियों की जाँच से प्रतीत होता है कि बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी है.;
ख) उक्तरिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरणी लेखा बहियों से और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल रखते हैं;
ग) बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उसका उपयोग किया है ; और
घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों का, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के विरुद्ध नहीं है, अनुपालन करते हैं।

कृते दत्ता सिंगला एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन–006185एन	**कृते ए. के. सबत एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन–321012ई	**कृते प्रमोद एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन–001557सी	**कृते चन्द्रन एण्ड रमन** सनदी लेखाकार एफआरएन–000571एस	**कृते एस. रामानंद अय्यर एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन–000990एन
(सीए संजीव अग्रवाल) साझेदार सदस्य सं.503932	**(सीए ए. के. सबत)** साझेदार सदस्य सं. 30310	**(सीए रविंद्र रानीवाला)** साझेदार सदस्य सं. 073191	**(सीए एस.जी. कल्याणरमण)** साझेदार सदस्य सं.10652	**(सीए बिनोद सी. महाराणा)** साझेदार सदस्य सं.056373

स्थान:मंगलूरु
दिनांक:17 मई, 2019

चेतावनी : यदि आप ऐसे टेलीफोन कॉल या ई-मेल से परेशान हो रहे हैं जो आपको बड़ी धनराशि का प्रस्ताव कर रहा है तो तुरंत स्थानीय पुलिस/साइबर अधिकारियों को शिकायत करें।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा

आयकर विभाग कर्ज चूककर्ताओं के खातों का ब्योरा बैंकों से साझा करे

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को कर्ज चुकाने में चूक करने वालों यानी डिफाल्टरों की संपत्तियों और खातों का ब्योरा 'जनहित में' बैंकों से साझा करने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस बारे में सीबीडीटी से आग्रह किया था। इस नीतिगत कदम का मकसद ऐसी इकाइयों के खिलाफ घेरा कसना और उनसे जनता के पैसे की वसूली करना है।

सीबीडीटी के नए आदेश के अनुसार कर विभाग किसी आयकरदाता के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से यह ब्योरा निकालेगा। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को अपने सभी फील्ड कार्यालयों को इस बारे में निर्देश दिया।

सीबीडीटी ने कहा है कि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से इस बारे में कई आग्रह मिले थे। बैंकों से ऐसे डिफाल्टरों की अचल संपत्तियों का ब्योरा मांगा है जिससे वह उनसे वसूली कर सकें। बयान में कहा गया है कि सीबीडीटी का मानना है कि कर्ज चूककर्ताओं की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझा किया जाना चाहिए ताकि वे उनसे कर्ज की वसूली कर सकें। यह जनहित में होगा।

सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि संपत्तियों के ब्योरे के अलावा बैंक खातों, डिफॉल्टरों के विविध कर्जदारों का ब्योरा भी साझा किया जाना चाहिए। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज वसूली में मदद मिल सकती है। आदेश में कहा गया है कि कर अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचनाओं को साझा किए जाने से पहले ऐसे कर्ज चूककर्ताओं से कर बकाया का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कर्ज चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त अधिशेष राशि के उपयोग से पहले बैंक आयकर अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेंगे। हाल के समय में कई बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं। इनमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला, स्टर्लिंग बायोटेक का मामला और शराब कारोबारी विजय माल्या का मामला शामिल है।

यूपी के ऊर्जा मंत्री ने केंद्र से सौभाग्य योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की

लखनऊ, 26 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को केंद्र सरकार से 'सौभाग्य योजना' की मीयाद इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग की। शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह को लिखे पत्र में मांग की है कि काफी संख्या में नए बिजली कनेक्शन के आवेदनों के मद्देनजर सौभाग्य योजना की अवधि और इससे संबंधित मूलभूत ढांचे को तैयार करने के लिए परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि इस साल दिसंबर तक बढ़ाई जाए।

सौभाग्य योजना की अवधि इस साल 31 मार्च को खत्म हो चुकी है मगर इसका बचा हुआ काम अभी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग की है कि कृषि संबंधी कामों के लिए बिजली फीडर को अलग अलग करने से काफी फायदा हो रहा है लिहाजा बाकी सभी फीडरों को अलग करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय जल्द मंजूरी दे। शर्मा ने पत्र में कहा कि 'उदय योजना' के तहत ऊर्जा मंत्रालय के साथ किए गए करारनामे की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई जानी चाहिए।

उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहल करके 40 लाख स्मार्ट मीटर मीटर लगाने की परियोजना संचालित कर रहा है। प्रदेश के छूटे हुए शहरों में केंद्र सरकार की नीति के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से जल्द ही वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। शर्मा ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार की मदद से सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी मजरों का विद्युतीकरण किया गया है।

धातु व बिजली कंपनियों में तेजी से सूचकांक 157 अंक मजबूत

मुंबई, 26 जून (भाषा)।

जून के डेरिवेटिव अनुबंधों की अवधि समाप्त होने से पहले धातु, बिजली और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लिवाली के समर्थन से बुधवार को बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 157 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। बीएसई-30 सूचकांक में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। सूचकांक 157.14 अंक यानी 0.40 फीसद की बढ़त के साथ 39,592.08 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 39,674.22 अंक के उच्चतम स्तर तथा 39,319.64 अंक के न्यूनतम स्तर के बीच उथल-पुथल रही। एनएसई का निफ्टी भी 51.10 अंक यानी 0.43 फीसद की बढ़त के साथ 11,847.55 अंक पर बंद हुआ।

कारोबारियों ने कहा कि जून के वायदा और विकल्पों के अनुबंध की समयसीमा गुरुवार को समाप्त होने वाली है। इससे पहले धातु, बिजली, हेल्थकेयर, पूंजीगत वस्तुओं और वित्त समूह की कंपनियों में खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका के इस बयान से बाजार में मजबूती को बल मिला कि चीन के साथ व्यापार समझौता करीब करीब 90 फीसद तय हो चुका है।

इसके अलावा, घरेलू निवेशकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच बैठक से व्यापार के मोर्चे पर सकारात्मक नतीजों की भी उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में मानसून की अच्छी प्रगति और रुपए की तेजी से भी घरेलू शेयर बाजार का विश्वास बढ़ा हुआ था। सूचकांक की कंपनियों में वेदांता सर्वाधिक 4.40 फीसद मजबूत हुआ। पावरग्रिड, सन फार्मा, येस बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज ऑटो के शेयर में 4.12 फीसद तक मजबूती दर्ज की गई।

इंफोसिस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, टीसीएस और एचडीएफसी के शेयर 1.12 फीसद तक नुकसान में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सिवसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- कारोबारी परिदृश्य में सुधार और पिछले साल के निचले आधार को देखते हुए इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में परिणाम बेहतर रहने के अनुमान से दवा और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी रही जिसने घरेलू बाजार को बल प्रदान किया।

नायर के अनुसार चीन-अमेरिका व्यापारिक तनाव कम होने की संभावना से धातु कंपनियों के शेयर तेजी में रहे। उन्होंने कहा- वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम और बजट को लेकर उम्मीदों से आने वाले समय में बाजार की दिशा निर्धारित होगी। बीएसई के समूहों में धातु, बिजली, यूटिलिटीज, बेसिक मटीरियल्स, रियल्टी, हेल्थकेयर, बैंकिंग और वित्त में 2.88 फीसद तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और एफएमसीजी कंपनियों में 0.65 फीसद तक की गिरावट देखने को मिली।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उचित योजना बने : चंद्रशेखरन

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि बिजली चालित या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर स्थानांतरण की एक व्यवस्थित योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें कई वर्षों की रूपरेखा के जरिए समूची व्यवस्था को इसके लिए तैयार किया जा सके। उद्योग के अन्य लोगों ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की है।

चंद्रशेखरन का बुधवार को यह बयान ऐसे समय आया है जबकि दोपहिया कंपनियों- हीरो मोटोकॉर्प, बजाज आटो, टीवीएस मोटर कंपनी और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) नीति आयोग के सौ फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना का विरोध किया है। नीति आयोग की योजना 2025 तक 150 सीसी तक के इंटरनल कम्बशन इंजन (आइसीई) से चलने वाले दोपहिया पर पूर्ण प्रतिबंध की है। उन्होंने बयान में कहा कि दीर्घकालिक परिवहन के लिए ईवी की ओर स्थानांतरण महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इसके लिए तैयार है।

चंद्रशेखरन ने कहा- सरकार और उद्योग को इसके लिए कई साल की रूपरेखा तय करनी चाहिए। इसमें लक्ष्य तय किए जाने चाहिए जिसमें सभी खिलाड़ी साझा उद्देश्यों को समझ सकें, क्षमता और ढांचा तैयार कर सकें। टाटा समूह की टाटा मोटर्स देश में बिजलीचालित वाहन क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। टाटा मोटर्स को एक अन्य घरेलू कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की ईईएसएल से इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति का आर्डर मिला है। इन कारों का इस्तेमाल विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उचित प्रोत्साहनों के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग बनाई जानी चाहिए। चंद्रशेखरन ने कहा कि ऐसे में सरकार और उद्योग को मिलकर काम करने की जरूरत है।

कोलकाता के आइटी कर्मचारी बनाएंगे ट्रेड यूनियन

कोलकाता, 26 जून (भाषा)।

कोलकाता महानगर में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने उद्योग में कथित अनुचित श्रम गतिविधियों का विरोध करने को लेकर श्रमिक संगठन बनाने के लिए कदम उठाया है। आइटी पेशेवरों ने 'कोलकाता फोरम फार आइटी इम्प्लायज' (एफआइटीई) नाम से संगठन बनाया है और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे आइटी, आइटी संबद्ध सेवाओं, बीपीओ और केपीओ उद्योग की यूनियन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

एफआइटीई के प्रवक्ता ने कहा- कर्मचारियों से जुड़ी अनुचित गतिविधियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह मंच बनाने का निर्णय किया गया। आईटी क्षेत्र के कर्मचारी अकेले ऐसी गतिविधियों का विरोध नहीं कर सकते। प्रवक्ता ने उदाहरण देते हुए कहा कि बाजार में नरमी आती है, उसका असर आइटी क्षेत्र पर पड़ता है और हजारों कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ती है। इसके अलावा जबरिया इस्तीफा और अवैध तरीके से नौकरी से निकाला जाता है।

सोना 300 रुपए टूटा

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

कमजोर वैश्विक रुख व जौहरियों की मांग में कमी से सोने का भाव बुधवार को 300 रुपए टूटकर 34,170 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया।

औद्योगिक इकाइयों व सिक्का निर्माताओं का उठाव घटने से चांदी 500 रुपए की गिरावट के साथ 38,700 रुपए किलो पर आ गई।

कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग में कमी और कमजोर वैश्विक संकेतों से सोने के भाव में नरमी रही।

वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में सोना गिरकर 1,408.57 डॉलर प्रति औंस पर आ गया जबकि चांदी 15.22 डॉलर प्रति औंस पर रही।

भुगतान से जुड़े आंकड़े केवल भारत में ही रखे जाएं : आरबीआइ

मुंबई, 26 जून (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि देश के भुगतान से संबंधित सभी आंकड़े केवल भारत में ही रखना होगा और भुगतान की प्रक्रिया में विदेशों में सृजित होने वाले भारतीयों के भुगतान से संबंधित डेटा को भी 24 घंटे के भीतर भारत वापस लाना होगा। केंद्रीय बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की तरफ से क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर बार-बार उठने सवालों के संदर्भ में तय स्पष्टीकरण में कहा है, 'धन के भुगतान का पूरा आंकड़ा केवल भारत में रखा जाएगा।' आरबीआइ ने 'भुगतान प्रणाली डेटा रखे जाने' को लेकर अप्रैल 2018 में निर्देश जारी किया था।

अमिताभ कांत को नीति आयोग में दो साल का सेवा विस्तार मिला

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

सरकार ने अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में दो वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने की बुधवार को घोषणा की। कार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 30 जून, 2019 के बाद दो साल की अवधि (30 जून, 2021 तक) के लिए कांत के कार्यकाल के विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी।

वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। नीति आयोग के सीईओ बनाए जाने से पहले तक कांत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव थे।

विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून।

लोकसभा ने बुधवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक (सेज) 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। सत्रहवीं लोकसभा में पारित किया गया यह पहला विधेयक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी थी। लोकसभा में पारित विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश की जगह लेगा। यह अध्यादेश पिछली सरकार में लागू किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भारत में निवेश को लेकर विश्वास मजबूत बनाने की जरूरत थी, ऐसे में पिछली सरकार में हमने कई कार्यो और पहल को आगे बढ़ाया था, लेकिन कई बार सदन में शोरशराबे के कारण व्यवधान आए और कई बार विधेयक लोकसभा में पास होने के बावजूद राज्यसभा में मंजूर नहीं हो सका।

अध्यादेश लाने के औचित्य को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं स्थितियों में अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के संबंध में भी अध्यादेश लाया गया। क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया भारत में निवेश करे। गोयल ने कहा कि अध्यादेश लागू होने के बाद इस संबंध में अब तक छह आवेदन मिले हैं। इसमें एक को मंजूरी दी गई है और पांच आवेदन मंजूरी की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि सेज के संबंध में बाबा कल्याण समिति की कई सिफारिशों को लागू किया गया है और कुछ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी।

गोयल ने कहा कि विशेष आर्थिक जोन के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काफी ठोस प्रयास किए गए। मंत्री ने कहा कि देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह विधेयक इसी साल दो मार्च को जारी अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने अध्यादेश लाने का विरोध किया और सवाल किया कि आखिर क्या आपात स्थिति पैदा हो गई थी जिस वजह से सरकार को यह अध्यादेश चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले लाना पड़ा।

भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सरकार यह कदम भी देशहित में उठाने जा रही है और ऐसे में सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इस संबंध में अध्यादेश लाने की कौन सी आपात स्थिति थी। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने विधेयक का और एसईजेड परियोजना के विस्तार का विरोध करते हुए कहा कि जबरन भूमि अधिग्रहण के भी हम खिलाफ हैं। उन्होंने चीन की तरह ही भारत में भी गैर कृषि भूमि पर इस तरह की परियोजनाएं लगाए जाने की मांग की। द्रमुक के डीएनवी सेंथिल कुमार ने भी इस संबंध में अध्यादेश लाए जाने को गैर-जरूरी बताया।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (परियोजना) नरेला
जोनल कार्यालय बिल्डिंग, नरेला, दिल्ली–110040

सं.: एन.आई.टी. नं. ईई(परि.)/नरेला/टीसी/2019–20/01 दिनांक: 25.06.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	: 27.06.2019 को सायं 5.00 बजे
निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	: 10.07.2019 को अप. 2.00 बजे तक
वित्तीय निविदा खुलना	: 12.07.2019 को अप. 12.15 बजे

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कार्यपालक अभियंता (परियोजना) नरेला द्वारा अनुमोदित एवं योग्य ठेकेदारों से मुहरबंद प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दरों की वैधता 5 माह है।

क्र. सं.: 1, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 35एन में ओ ब्लॉक सौदा जेजे कॉलोनी में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 98,16,300/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 90,78,267/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 181600/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 2, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 32एन में पॉकेट–5 सैक्टर–24 में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 97,50,900/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 90,17,771/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 180400/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 3, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 32एन में पॉकेट–6 सैक्टर–25 में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 98,66,500/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 91,24,670/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 182500/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 4, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 32एन में पॉकेट–2 सैक्टर–25 में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 98,65,400/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 91,23,659/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 182500/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 5, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 32एन में पॉकेट–3 सैक्टर–25 में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,74,300/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 92,24,380/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184500/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 6, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 32एन में पॉकेट–5 सैक्टर–25 में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 97,44,600/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 90,11,984/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 180200/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 7, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 35एन में एफ ब्लॉक सौदा जेजे कॉलोनी में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,93,200/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 92,41,932/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184800/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 8, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 35एन में आर ब्लॉक सौदा जेजे कॉलोनी में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 96,48,800/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 89,23,379/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 178500/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 9, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 35एन में ए एवं सी ब्लॉक सौदा जेजे कॉलोनी में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 94,15,200/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 87,07,314/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 174100/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 10, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 35एन में एस ब्लॉक सौदा जेजे कॉलोनी में आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,62,000/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 92,13,023/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184300/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 11, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड नं. 29एन में बजितपुर गांव में एम सी प्राइमरी स्कूल के साथ मांगे राम के मकान से सतीश के मकान तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सड़क का निर्माण। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 98,74,300/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 91,31,897/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 182600/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 12, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 2875 से 1584 एवं 1569 से 2861 ब्लॉक–ए, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 96,99,000/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 89,69,811/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 179400/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 13, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 1 से 1568 एवं 1549 से 17 ब्लॉक–ए, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,96,300/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 92,44,771/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184900/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/- **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 14, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 3053 से 1738 एवं 1755 से 3034 ब्लॉक–ए, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,89,200/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 92,38,201/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184800/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 15, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 1464 से 1434 एवं 2201 से 2265 ब्लॉक–बी, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,20,500/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 91,74,664/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 183500/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 16, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 2791 से 2826 एवं 2486 से 2284 ब्लॉक–सी, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 98,55,200/-, **निविदा राशि (रू.)**. : 91,14,230/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 182300/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

क्र. सं.: 17, कार्य का नाम: नरेला जोन में मकान नं. 3006 से 2971, 3216 से 3233, 715 से 698 एवं 618 से 723 ब्लॉक–सी, फेज–2, मेट्रो विहार होलाम्बी वार्ड नं. 4एन तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा मार्गो का सुधार एवं विकास। लेखाशीर्ष **XL-VIII-S, अनुमानित राशि (रू.)**. : 99,49,200/- **निविदा राशि (रू.)**. : 92,01,170/-, **धरोहर राशि (रू.)**. : 184000/-, **निविदा का मूल्य (रू.)**. : 1000/-, **समापन अवधि** : 4 महिने,

विस्तृत नियम व शर्ते वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com.** पर देखी जा सकती हैं। एम.सी.डी. के अनुमोदि/योग्य ठेकेदारों के लिए निविदा हेतु निविदा दस्तावेज वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com** पर उपलब्ध हैं।

आर.ओ. नं. 30/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 कार्यपालक अभियंता (परियोजना) नरेला

स्वामी सत्यमित्रानंद ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की : राजनाथ सिंह

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 26 जून।

स्वामी सत्यमित्रानंद को बुधवार देर शाम दशनामी संन्यास परंपरा के अनुसार भारत जन सेवा ट्रस्ट स्थित राघव कुटीर में विधिविधान से मंत्रोच्चार के साथ भू-समाधि दी गई। इस अवसर पर बड़ी तादाद में देश-विदेश से आए उनके भक्त मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तराखंड पुलिस ने उनके अंतिम संस्कार के वक्त हथियार उल्टे कर मातमी धुन बजाई।

उनके भू-समाधि समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, योगगुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई राजनीतिक हस्तियां और साधु-संत उनको श्रद्धांजलि देने हरिद्वार पंहुचे। समाधि स्थल पर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई।

शोक सभा में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर से भेजे गए पुष्पचक्र स्वामी सत्यमित्रानंद के पार्थिव देह पर अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा किया करते थे। सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में उनके किए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने वनवासी और दलितों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अहम कार्य किए।

बिहार में बिजली गिरने से दस लोगों की मौत

पटना, 26 जून (भाषा)।

बिहार में बुधवार को बारिश के दौरान बिजली गिरने से दस लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि प्रदेश में बिजली गिरने से पूर्णिया और बेगूसराय जिलों में तीन-तीन, जमुई में दो और गया व शिवहर जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के रोसडा में 3 सेंमी, गलगलिया, तैयबपुर और कमतौल में पिछले 24 घंटे के दौरान 2-2 सेंमी, जाले, पूर्णिया, ठाकुरगंज, सिमरी बख्तियारपुर, महेशी, बेलसंड और मधेपुरा में एक-एक सेंमी बारिश हुई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

शाह ने अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को चेताया

श्रीनगर, 26 जून (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम को लेकर किसी भी तरह के संतुष्टि के भाव के खिलाफ अधिकारियों को चेताया और तीर्थयात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया।

शाह की अगुवाई में हुई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव एपी माहेश्वरी ने कहा कि मंत्री ने निर्देश दिया कि पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों या ड्यूटी स्टाफ द्वारा कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया, 'कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एसपीओ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर इंतजामों की निगरानी करनी चाहिए।' माहेश्वरी ने कहा, 'उन्होंने (शाह ने) हिंसा मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा एजंसियों को पूरी तरह से सतर्क रहने और सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।' उन्होंने बताया कि मंत्री ने काफिलों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की अहमियत पर बल दिया और खासकर काफिलों को वक्त पर रवाना करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी के अदालत कक्ष में मना नेताजी का जन्मदिन, अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज

इंदौर, 26 जून (भाषा)।

जिलाधिकारी के अदालत कक्ष में केक काटकर एक स्थानीय कांग्रेस नेता का जन्मदिन मनाने के मामले में पुलिस ने बुधवार को अज्ञात लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया। इस वाकये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुकी हैं।

रावजी बाजार पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी लोकेश जाटव के रीडर की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 186 (लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना) और धारा 448 (किसी स्थान पर अनधिकृत प्रवेश) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, 'हम मामले की जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उचित कानूनी कदम उठाएंगे।' चश्मदीदों ने बताया कि जिलाधिकारी के अदालत कक्ष में मंगलवार को स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने दल की शहर इकाई के महामंत्री शेख अलीम का जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटा गया और अलीम को माला पहनाकर मुबारकबाद दी गई।

जब जिन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, तब इसके ठीक पास स्थित सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक चल रही थी। इसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन समेत तीन मंत्री, स्थानीय जन प्रतिनिधि और आला सरकारी अफसर मौजूद थे। इस बीच, जिलाधिकारी लोकेश जाटव ने बताया, 'मुझे वॉट्सऐप पर कुछ लोगों ने वीडियो और तस्वीरें भेजकर सूचना दी कि मेरे अदालत कक्ष में केक काटकर एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया है।

सेवानिवृत्त अधिकारी के ठिकानों पर छापे

जबलपुर, 26 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) सुरेश उपाध्याय के चार ठिकानों पर छापेमारी कर उनके और उनके परिवार के नाम पर कथित रूप से करोड़ों रुपयों की चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत ज्यादा है।

जबलपुर प्रकोष्ठ के पुलिस उपाधीक्षक राजवर्द्धन माहेश्वरी ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को सुरेश उपाध्याय के जबलपुर स्थित चार ठिकानों पर छापा मारा गया, जिसमें उनके, उनकी पत्नी अनुराधा एवं उनके बेटे सचिन के नाम पर जिले में 70 एकड़ जमीन के कागजात मिले हैं, जिनमें प्रमुख स्थानों में आवासीय प्लाट भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस 70 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य कई करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, हमें उपाध्याय के घर से ढाई लाख रुपए नकद, करीब दो किलोग्राम सोना एवं पांच किलोग्राम चांदी भी मिली है, जिन्हें हमने जब्त कर लिया है।'

माहेश्वरी ने बताया कि उनकी दो कंपनियां भी हैं, जिसमें से एक रियल इस्टेट की है। उसके पास दो एसयूवी भी हैं। उन्होंने कहा, 'छापे के दौरान हमें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं।' माहेश्वरी ने बताया, 'यह संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक है और इसका मूल्यांकन करने में समय लग सकता है।' उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू ने सुरेश उपाध्याय और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संचालित बैंक खातों को सीज करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधकों को पत्र भेजा है। इनके खातों में जमा रकम के बारे में भी जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा, 'हमने उपाध्याय, उसकी पत्नी एवं बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।' माहेश्वरी ने बताया कि सुरेश उपाध्याय वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 1978 से वर्ष 2014 तक उनकी कुल आय 53.26 लाख रुपए थी जिसमें से 33 फीसद व्यय संभावित है। आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी पत्नी की आय 1.14 लाख रुपए तथा बेटे की आय पांच लाख रुपए है।

दिलचस्प आंकड़े

रन	14652	सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर
विकेट	437	
छक्के	259	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	79	

कैरेबियाई टीम से आज भिड़ेगी कोहली सेना, धोनी की बल्लेबाजी पर होंगी निगाहें

विंडीज की परीक्षा लेंगे भारतीय गेंदबाज!

मैनचेस्टर, 26 जून (भाषा)।

भारत विश्व कप के अपने छठे लीग मैच में गुरुवार को सेमी फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी वेस्ट इंडीज की टीम से भिड़ेगा। इस मुकाबले में टीम प्रबंधन की मुख्य चिंता महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी और उनका बल्लेबाजी क्रम होगी। लीग चरण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में भारत एक और जीत के साथ सेमी फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। वेस्ट इंडीज की टीम के पास भी गंवाने के लिए कुछ नहीं है और वे बाकी मैचों में अन्य टीमों का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी।

धोनी ने अफगानिस्तान के खिलाफ बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंद में 28 रन बनाए। टीम प्रबंधन इस समस्या से वाकिफ है लेकिन अब जब चार लीग मैच बचे हैं तब उनके पास एकमात्र विकल्प धोनी के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना है। संभवतः इससे केदार जाधव को अधिक गेंद खेलने को मिल सकती है जो अपने शॉट चयन में नयापन लाने के लिए पहचाने जाते हैं। हार्दिक पंड्या का इस्तेमाल अब तक फ्लोटर के रूप में हुआ है लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मैच ने दिखाया कि अगर उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिलता है तो फिर उन पर काफी दबाव आ जाता है।

विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री अब तक ऋषभ पंत का इस्तेमाल करने को लेकर काफी उत्सुक नजर नहीं आए हैं। टीम प्रबंधन अगर विजय शंकर को बाहर करने का फैसला करता है तो ही पंत को टीम में जगह मिल सकती है। वेस्ट इंडीज की टीम में काफी तेज गेंदबाज हैं और ऐसे में धोनी को स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी हो सकती है क्योंकि वह धीमे गेंदबाजों के खिलाफ सहज होकर नहीं खेल पा रहे हैं। पिछले मैच में अफगानिस्तान के धीमे गेंदबाजों ने इसका काफी फायदा उठाया था।

आइपीएल में धोनी की बल्लेबाजी और भारत के लिए 50 ओवर के प्रारूप में उनके प्रदर्शन में अंतर को लेकर काफी बहस हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए धोनी ने भारत के एक अनुभवहीन घरेलू गेंदबाज को निशाना बनाया जबकि बड़े अंतरराष्ट्रीय नामों के खिलाफ सुरक्षित क्रिकेट खेला। लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के दौरान उन्होंने कागिसो रबादा या जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ कोई जोखिम नहीं उठाया जबकि अन्य गेंदबाजों के खिलाफ रन जुटाए।

टीम को धोनी की रणनीति और तेजतर्रार विकेटकीपिंग की जरूरत है और ऐसे में कप्तान और कोच को उनकी भूमिका पर काफी माथापच्ची करनी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम विश्व कप में सेमी फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन टीम टूर्नामेंट का सकारात्मक अंत करना चाहेगी। आंद्रे रसेल पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं और इससे टीम को बड़ा झटका लगा है।

अभ्यास सत्र के दौरान वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी।

मैच का समय

दोपहर तीन बेज से

महेंद्र सिंह धोनी

भारत के खिलाफ शृंखला के बाद संन्यास लेंगे गेल

मैनचेस्टर, 26 जून (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल ने मौजूदा विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा करने की योजना में बदलाव किया है। अब उन्होंने अगस्त-सितंबर में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टैस्ट शृंखला के बाद संन्यास लेने का मन बनाया है। पिछले दो दशकों में संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ियों में गेल ने स्टीव वॉ (2004) और जैक कैलिस (2013) के नक्शेकदमों पर चलते हुए भारत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय संन्यास लेने की घोषणा की।

उम्मीद है कि गेल का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच भारत के खिलाफ टैस्ट मैच होगा जो जमैका में उनके घरेलू मैदान में किंग्स्टन में 30 अगस्त से शुरू होगा। गेल (39 वर्ष) ने पिछले महीने कहा था कि मौजूदा विश्व कप के बाद वह संन्यास ले लेंगे लेकिन यहां भारत के खिलाफ होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने मन बदल लिया है।

जब विश्व कप के बाद करिअर समाप्त करने की योजना के बारे में पूछा गया तो गेल ने कहा, 'अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे कुछ और मैच खेलने हैं। शायद एक शृंखला और खेल सकता हूं। कौन जानता है, क्या पता ऐसा हो जाए। मेरी योजना विश्व कप के बाद की थी। मैं भारत के खिलाफ एक टैस्ट मैच भी खेल सकता हूं और मैं निश्चित रूप से भारत के खिलाफ वनडे भी खेलूंगा। मैं टी-20 नहीं खेलूंगा। विश्व कप के बाद मेरी यही योजना है।

योजना में बदलाव

गेल ने पिछले महीने कहा था कि मौजूदा विश्व कप के बाद वह संन्यास ले लेंगे लेकिन यहां भारत के खिलाफ होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने मन बदल लिया है।

वेस्ट इंडीज के मीडिया मैनेजर फिलिप स्पूनर ने बाद में पुष्टि की कि गेल राष्ट्रीय टीम के लिए अंतिम शृंखला भारत के खिलाफ खेलेंगे। स्पूनर ने कहा कि हां, क्रिस अपनी अंतिम शृंखला भारत के खिलाफ खेलेंगे। पता चला है कि भारत शृंखला में गेल की भागीदारी व्यवसायिक पहलू को ध्यान में रखते हुए जरूरी थी क्योंकि यह विश्व कप के बाद ही आयोजित हो रही है।

साथ ही जमैका में टैस्ट मैच और पूर्व आइपीएल साथी व परम मित्र विराट कोहली के खिलाफ खेलना उनके संन्यास के लिए बिलकुल सटीक होगा। भारत के वेस्ट इंडीज दौरे में तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय, तीन वनडे और दो टैस्ट मैच शामिल हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत दौरे की शुरुआत तीन अगस्त से करेगा। इसके बाद वनडे आठ अगस्त से और फिर टैस्ट मैच 22 अगस्त से तीन सितंबर तक खेले जाएंगे।

विश्व कप डायरी

आलोचकों की टिप्पणी पर सरफराज ने कहा, इससे पीड़ा पहुंचती है

बर्मिंघम, 26 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि उनकी तुलना 'सुअर' से करने जैसी घटनाओं से उन्हें पीड़ा पहुंचती है। लेकिन, वह इनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वे सिर्फ आलोचना करते हुए दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील कर सकते हैं। मैनचेस्टर में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ 89 रन की हार के बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों ने राष्ट्रीय टीम की काफी आलोचना की थी।

हाल में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सरफराज को इंग्लैंड के एक मॉल में अपने बेटे को गोद में उठाकर चलते हुए दिखाया गया है। इस दौरान एक प्रशंसक उन्हें रोककर पूछता है कि वह मोटे सुअर की तरह क्यों दिख रहे हैं। इस प्रशंसक ने हालांकि खिलाड़ी को निशाना बनाने के लिए चौतरफा आलोचना के बाद अपने आचरण के लिए माफी मांग ली थी। लंदन में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान के सेमी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें जीवंत रखने के बाद सरफराज ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।

बेहरेनडोर्फ ने पूछा, मैं और स्टार्क एक साथ क्यों नहीं खेल सकते

लंदन, 26 जून (भाषा)।

जेसन बेहरेनडोर्फ को उनके और मिशेल स्टार्क जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को आस्ट्रेलिया की अंतिम एकादश में एक साथ अधिक मौका मिलने में कोई दिक्कत नहीं नजर आती। बेहरेनडोर्फ और स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में मंगलवार को मिलकर नौ विकेट चटकाकर आस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई।

बेहरेनडोर्फ ने कहा कि हमें अधिकांश समय ऐसा देखने को नहीं मिलता लेकिन मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि हम एक साथ नहीं खेल सकते। कभी कभी हम दाएं हाथ के तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेलते हैं तो फिर हम दो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के साथ क्यों नहीं खेल सकते। टीम में मिशेल और मेरी भूमिका अलग है इसलिए यह काफी अच्छा है कि हम दोनों जोड़ी बनाएं। हमने सोचा कि यह इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा काम करेगा और फिर हम दोनों ने मिलकर नौ विकेट चटकाए इसलिए इसने काफी अच्छा काम किया।

विश्व कप जीतने की उम्मीदें अभी नहीं टूटीं हैं : स्टोक्स

लंदन, 26 जून (भाषा)।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने जोर देते हुए कहा है कि लगातार दो मैचों में हार के बावजूद उनकी टीम की पहला विश्व कप जीतने की उम्मीद नहीं टूटी हैं। विश्व कप अभियान की अच्छी शुरुआत करने के बावजूद इंग्लैंड पिछले दो मैचों में श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के साथ मुश्किल स्थिति में घिर गया है। इंग्लैंड की टीम सात मैचों में आठ अंक के साथ 10 टीमों की तालिका में चौथे स्थान पर है। मेजबान टीम को अब 30 जून को भारत जबकि तीन जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मुश्किल मैच खेलने हैं। स्टोक्स ने मंगलवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद कहा कि यह हमारा विश्व कप है। पिछले चार साल में हमें शानदार समर्थन मिला और हमें पता है कि विश्व कप प्रशंसकों के लिए क्या मायने रखता है और खिलाड़ी के रूप में हमें भी यह पता है।

पाक ने कीवियों को छह विकेट से हराया

नीशाम-ग्रैंडहोम की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने बनाए थे 237 रन

बर्मिंघम, 26 जून (भाषा)।

बाबर आजम की शानदार शतकीय पारी की मदद से पाकिस्तान ने विश्व कप मुकाबले में बुधवार को न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 237 रन बनाए। पाकिस्तान ने 49.1 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाए।

इससे पहले जेम्स नीशाम और कोलिन डि ग्रैंडहोम की शानदार शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड शाहीन शाह अफरीदी के शुरुआती झटकों से उबरकर पाकिस्तान के खिलाफ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 83 रन था जिसके बाद नीशाम (नाबाद 97) और ग्रैंडहोम (64 रन) ने जिम्मेदारी संभाली। छठे विकेट के लिए उन्होंने 132 रन की अहम साझेदारी की। इन दोनों के अलावा केवल कप्तान केन विलियमसन (41) ही कुछ योगदान दे पाए।

बल्लेबाजी के दौरान बाबर आजम।

न्यूजीलैंड ने अंतिम पांच ओवरों में 53 रन जोड़े। नीशाम ने अपने करिअर का सर्वोच्च स्कोर बनाया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन ने दस ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए। शादाब खान और मोहम्मद आमिर ने एक-एक विकेट चटकाए। पिच गीली होने के कारण खेल एक घंटे बाद शुरू हुआ और नम परिस्थितियों में केन विलियमसन का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला उल्टा पड़ गया। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को अच्छा मूवमेंट मिल रहा था और उन्होंने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर न्यूजीलैंड का शीर्ष क्रम झकझोर दिया।

दूसरे छोर से गेंद संभालने वाले मोहम्मद आमिर ने अपनी पहली गेंद पर ही मार्टिन गुप्टिल को बोल्ड किया जो टूर्नामेंट में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। इसके बाद शाहीन ने कहर बरपाया। उन्होंने कोलिन मुनरो (12), रोस टेलर (तीन) और टॉम लैथम (एक) को आउट करके स्टेडियम में बड़ी संख्या में मौजूद पाकिस्तानी दर्शकों को मदहोश कर दिया।

साथियों के जेहन में आज भी जिंदा हैं मैलकम मार्शल

मैनचेस्टर, 26 जून (भाषा)।

मैलकम मार्शल छुपी हुई प्रतिभा से विश्व के महान तेज गेंदबाज बने। उन्होंने ढेरों मित्र बनाए और फिर एक दिन अचानक कभी वापस नहीं आने के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। मार्शल ने अपने मित्रों के जेहन में ऐसी छाप छोड़ी कि वे अब तक इस दिग्गज तेज गेंदबाज को नहीं भुला पाए हैं। बारबाडोस के ब्रिजटाउन में जन्में मार्शल हैंपशर क्रिकेट की आत्मा में बसे हैं और वे लोग अब तक उन्हें नहीं भूल पाए हैं जिन्होंने उन्हें ओल्ड नार्थलैंड्स रोड ग्राउंड पर गेंदबाजी करते देखा है।

शहर के बाहर 2000 में एक नया स्टेडियम शुरू हुआ। इससे संभवतः यह नहीं पता चलता कि मार्शल का क्लब के लिए क्या महत्व है जिसके लिए उन्होंने चैंपियनशिप में 1000 विकेट चटकाए। जाने माने कमेंटेटर और हैंपशर काउंटी में मार्शल के कप्तान रहे मार्क निकोलस ने कहा कि मैलकम और मैं काफी करीबी थे और यह शानदार था। क्रिकेट में वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। निकोलस ने कहा कि नार्थलैंड्स रोड बेहद छोटा और निजी मैदान था जो बल्लेबाजी के अनुकूल था। लेकिन इसके बावजूद मार्शल ने यहां काफी प्रभावी गेंदबाजी की। उस समय काउंटी क्रिकेट में मार्शल और विवियन रिचर्ड्स या गोर्डन ग्रीनिज के बीच मुकाबले आकर्षण का केंद्र होते थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18000 से अधिक रन बनाने वाले निकोलस ने बताया कि हैंपशर आने के चार से पांच साल में ही मार्शल अपने समय के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बन गए थे।

उन्होंने कहा कि मैलकम ने सटीक एक्शन के साथ काफी तेज गति से शॉर्ट गेंदबाजी से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न तरह की गेंदबाजी सीखी। एक बार आउटस्विंग में पारंगत होने के बाद उन्होंने परफेक्ट इनस्विंगर सीखी। 1984-85 तक उनके पास सब कुछ था- स्टैमिना, गति, नियंत्रण, मूवमेंट और शानदार गेंदबाजी दिमाग।

काउंटी स्तर पर रिचर्ड्स और मार्शल के बीच संघर्ष के बारे में पूछने पर निकोलस ने कहा कि मुझे लगता है कि वह जब समरसेट के साथ थे तब विव पर मैलकम ने दबदबा बनाया लेकिन ग्लेमोर्गन में मुझे लगता है कि विव ने आपसी प्रतिस्पर्धा में कुछ शानदार जीत दर्ज की।

आइओसी ने एआइबीए से ओलंपिक दर्जा छीना

लुसाने, 26 जून (एपी)।

आइओसी ने बुधवार को विवादों से घिरे मुक्केबाजी संघ एआइबीए से ओलंपिक दर्जा छीन लिया और अब 2020 तोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालीफाइंग और फाइनल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। ओलंपिक जांच पैनल के चेयरमैन नेनाद लालोविच ने कहा कि एआइबीए ने आइओसी और इसके अमेरिकी हितधारकों के लिए 'बहुत गंभीर प्रतिष्ठा संबंधित, कानूनी और वित्तीय जोखिम' खड़े कर दिए।

एआइबीए चुनाव में अध्यक्ष गाफूर राखिमोव के चुने जाने के बाद पिछले साल आइओसी को मुक्केबाजी के संचालन, कर्जे और ओलंपिक बाउट की प्रमाणिकता की जांच के लिए बाध्य कर दिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों ने पिछले महीने कार्यकारी बोर्ड की सिफारिशों का समर्थन करते हुए एआइबीए का ओलंपिक दर्जा छीनने के हक में मत दिया।

नीदरलैंड और इटली क्वार्टर फाइनल में

रेनेस (फ्रांस), 26 जून (एएफपी)।

लाइके मार्टन्स के अंतिम मिनट में पेनल्टी पर दागे गोल की बदौलत नीदरलैंड ने महिला विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई जबकि इटली की टीम भी अंतिम आठ में प्रवेश करने में सफल रही।

मंगलवार को हुए मुकाबले में नीदरलैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को 2-1 से हराया। नीदरलैंड को 17वें मिनट में मार्टन्स ने बढ़त दिलाई लेकिन 43वें मिनट में युई हासेगावा ने स्कोर 1-1 कर दिया। मार्टन्स ने इसके बाद 90वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर नीदरलैंड को पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह दिला दी।

शनिवार को होने वाले क्वार्टर फाइनल में अब नीदरलैंड का सामना इटली से होगा। इटली ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन को 2-0 से हराया। इटली की ओर से वेलेन्टीना गियासिंती और ओरोरा गेली ने गोल दागे।

महिला विश्व कप

जीत के बाद जश्न मनातीं नीदरलैंड महिला टीम की खिलड़ी।

जापान और चीन की हार के साथ टूर्नामेंट में एशिया महाद्वीप का अभियान खत्म हो गया। जापान का टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर होना निराशाजनक है क्योंकि टीम 2011 की चैंपियन है जबकि चार साल पहले कनाडा में भी टीम फाइनल का सफर तय करने में सफल रही थी।

चार तीरंदाज 'टाप्स' में शामिल, 34 लाख के प्रस्ताव मंजूर किए गए

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

तीरंदाज तरूणदीप राय, अतनु दास, प्रवीण जाधव और अतुल वर्मा को बुधवार को 2020 तोक्यो ओलंपिक के लिये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) में शामिल किया गया। यह फैसला भारतीय खेल प्राधिकरण की मिशन ओलंपिक इकाई की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक नीलम कपूर ने की। इसमें 34 लाख रूपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

राय, दास और जाधव उस भारतीय पुरुष रिकर्व टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इस महीने के शुरू में नीदरलैंड में विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। इन तीनों ने इसी प्रक्रिया में ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। इसके साथ भारत ने पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में तीन एकल कोटा हासिल कर लिए। वर्मा 2014 युवा ओलंपिक में लड़कों के रिकर्व वर्ग में कांस्य पदकधारी हैं। साइ के बयान के अनुसार खिलाड़ियों को उनके बीते और मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। अन्य फैसलों में साइ ने पहलवान पूजा ढांडा, बजरंग पूनिया, उत्कर्ष काले और विनेश फोगाट के विदेशी टूर्नामेंट में भागीदारी और ट्रेनिंग के लिये वित्तीय खर्चे को मंजूरी दी।

समिति ने पूजा ढांडा को खेलों के सामान खरीदने के लिए भी मंजूरी दी। समिति ने एथलीट श्रीशंकर और जिनसन जानसन के विदेशों में टूर्नामेंट में भाग लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। शॉट पुट एथलीट तेजिंदर तूर के विदेशी कोच इरेनेयूस्ज बुकोविएकी को दो महीने के लिए रखने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।

पैडलर मनिका बत्रा को किट खरीदने और शरत कमल को फिजियो हिराक बागची को 12 दिन के लिए रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। रोहन बोपन्ना के घुटने की चोट के लिए उपचार के खर्चे के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी गई। निशानेबाजी में समिति ने लक्ष्य श्योराण, अंगद वीर सिह बाजवा और संजीव राजपूत के उपकरण की जरूरतों, ट्रेनिंग और भागीदारी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 221, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।